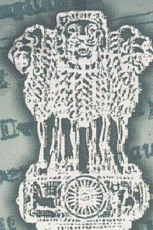


अभिलेख महानिदेशक की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में
आठवीं रिपोर्ट
वर्ष 2005

EIGHTH REPORT
OF THE
DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES
ON THE IMPLEMENTATION OF THE
PUBLIC RECORDS ACT, 1993
FOR THE YEAR
2005



भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
NEW DELHI

2006

अभिलेख महानिदेशक की
लोक अभिलेख अधिनियम, 1993
के कार्यान्वयन के संबंध में
आठवीं रिपोर्ट
वर्ष 2005

EIGHTH REPORT
OF THE
DIRECTOR GENERAL OF ARCHIVES
ON THE IMPLEMENTATION OF THE
PUBLIC RECORDS ACT, 1993
FOR THE YEAR
2005



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय अभिलेखागार
नई दिल्ली

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
NEW DELHI

2006

विषय वस्तु

1. प्रस्तावना	1-2
2. आंकड़ों का विश्लेषण	3
3. विभागीय अभिलेख कक्ष	4-6
4. विभागीय अभिलेख अधिकारी	7-9
5. स्थान की भागीदारी	10-11
6. अर्ध-प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, समीक्षा एवं छटाई	12-14
7. अभिलेखों की सूची बनाना	15-17
8. अभिलेखों के प्रतिधारण सारणी का संकलन	18-20
9. वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण	21-23
10. निष्क्रिय समितियाँ / आयोग	24-26
11. अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा अप्रचलित अभिलेखों पर आरंभ की गई कार्रवाई	27-29
12. संगठनात्मक इतिहास	30-32
13. 'क' श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग	33
14. अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन	34
15. संदर्भ माध्यम	35-36
16. अभिलेख अवाप्ति / अधिग्रहण	37-40
17. अभिलेख प्रतिधारण-सूची की पुनरीक्षा	41
18. परामर्शी कार्य	42-43
19. ट्रेनिंग	44-46
20. अभिलेख जागरूकता	47-49
21. प्राथमिकताएं	50-51

CONTENTS

1. Introductory	1-2
2. Analysis of the Data : General Observations	3
3. Departmental Records Rooms	4-6
4. Departmental Records Officers	7-9
5. Sharing of Space	10-11
6. Recording, Reviewing and Weeding Out of Semi-Current Records	12-14
7. Indexing of Records	15-17
8. Compilation of Retention Schedules for Records	18-20
9. De-Classification of Classified Records	21-23
10. Defunct Commissions/ Committees	24-26
11. Action initiated by Records Creating Agencies on Appraisal of Non-Current Records	27-29
12. Organisational History	30-32
13. Microfilming of 'A' Category Records	33
14. Appraisal of Non-Current Records	34
15. Reference Media	35-36
16. Accessions/ Acquisitions of Records	37-40
17. Vetting of Retention Schedules for Records	41
18. Advisory Work	42-43
19. Training	44-46
20. Archival Awareness	47-49
21. Priorities	50-51

अनुलग्नक

अनुलग्नक -1

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के संबंध में
सूचना प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

52-57

अनुलग्नक -2

अर्ध-प्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण, सूचीकरण, समीक्षा तथा
विनष्टीकरण के संबंध में की गयी प्रगति के बारे में अर्धवार्षिक
विवरणियां प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

58-61

अनुलग्नक -3

वर्गीकृत अभिलेखों के विवर्गीकरण पर अर्धवार्षिक विवरणियां
भेजने वाले संगठनों की सूची

62-64

अनुलग्नक -4

अभिलेख प्रबंधन पर पांच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम में
शामिल हुए विभागीय अभिलेख अधिकारियों के नाम

65-67

INTERIM

ANNEXURES

ANNEXURE – I

List of Organizations who have furnished information
on the Implementation of the Public Records Act, 1993. 52-57

ANNEXURE – II

List of Organizations who have furnished Half-yearly
returns on the progress made by them in Recording, Indexing,
Reviewing, and Weeding of Semi-current Records. 58-61

ANNEXURE – III

List of Organizations who have furnished half-yearly
returns on De-classification of Classified Records. 62-64

ANNEXURE – IV

Names of the Departmental Records Officers who have
attended Orientation Courses on Records Management
during 2005. 65-67

3. Training of Records Officers and Staff
4. Sharing of space for housing records
5. Review of records
6. Appraisal of non-current records

प्रस्तावना

राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्कृति विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह राष्ट्र की अभिलिखित विरासत का भंडार है और यह विभाग लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 का क्रियान्वयन करने वाली नोडल एजेंसी भी है। लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के नियम 8(2) के उपबंधों के तहत अभिलेख महानिदेशक, भारत सरकार को लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (क) से (ठ) के अनुपालन में हर साल भारत सरकार को विभागीय अभिलेख अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाही के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। तदनुसार 1563 अभिलेख सर्जक एजेंसियों, यानी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, सांविधिक निकायों आदि को परिपत्र सं. 16-12(ए)/2006-आर.एम. दिनांक 14 अप्रैल, 2006 भेजा गया जिसमें उनसे वर्ष 2005 के दौरान उपर्युक्त खंडों पर उनके द्वारा की गयी कार्रवाई के बारे में निर्देशानुसार लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के फॉर्म-5 में रिपोर्ट भेजने को कहा गया था जिससे कि अभिलेख महानिदेशक लोक अभिलेख अधिनियम 1993 पर अमल के बारे में रिपोर्ट संकलित कर भारत सरकार को प्रेषित कर सकें।

चूंकि रिकार्ड सर्जक एजेंसियों से प्राप्त हुए उत्तर उत्साहजनक नहीं थे अतः दिनांक 14 जुलाई 2006 को उन 27 मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को सचिव (संस्कृति) द्वारा एक अर्द्धशासकीय पत्र भेजा गया जिनसे रिपोर्ट नहीं मिली थी। इसी प्रकार दिनांक 17 जुलाई, 2006 को संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 29 मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को एक दूसरा अर्द्धशासकीय पत्र भेजा गया जिसमें उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन आने वाले विभिन्न संगठनों से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सूचना प्राप्त करने के लिए इस रिपोर्ट में शामिल करने हेतु हमारे प्रयास दिनांक 15 नवंबर 2006 के अनुस्मारक अभिलेख उपनिदेशक द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कवर होने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के 211 उद्यमों के सीएमडी को भेजने से प्रतिबिंबित हुए।

1.1 प्रस्तुत प्रतिवेदन को अधिनियम के दायरे में आने वाली अभिलेख सर्जक एजेंसियों द्वारा वर्ष 2005 के दौरान उनके द्वारा निम्नलिखित पहलुओं पर की गयी कार्रवाई के बारे में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संकलित किया गया है:

1. एक संगठित विभागीय अभिलेख कक्ष की स्थापना;
2. अभिलेख अधिकारियों का नामांकन;
3. अभिलेख अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण;
4. अर्ध-प्रचलित अभिलेखों को रखने के लिए जगह की भागीदारी;
5. समय-समय पर अर्ध-प्रचलित अभिलेखों को अभिलेखबद्ध करना, पुनरीक्षण और विनष्टीकरण;

INTRODUCTORY

National Archives of India is an attached office of the Department of Culture, Ministry of Tourism and Culture. It is the repository of the documentary heritage of the nation and also serves as the Nodal Agency for the implementation of the Public Records Act, 1993. Under the provisions of the Rule 8 (2) of the Public Records Rules, 1997, Director General of Archives, Government of India is required to submit to the Government of India an Annual Report every year on the action taken by the Departmental Records Officers in pursuance of Clause (a) to (l) of the Sub-section (1) of Section 6 of the Public Records Act, 1993. Accordingly, Circular letter No. 16-12(A)/2006 RM dated 14 April, 2006 was issued to 1563 records creating agencies i.e. Ministries/ Departments, Attached and Subordinate Offices of the Government of India, Public Sector Undertakings, Statutory Bodies, etc. requesting them to furnish the report in Form-5 of the Public Records Rules, 1997 in respect of the action taken by them on the clauses mentioned above during the year 2005 so as to enable the Director General of Archives to compile and submit the report to the Government of India on the implementation of Public Records Act 1993.

Since the response from the records creating agencies was not very encouraging, on 14 July 2006 a d.o. letter was addressed by the Secretary (Culture) to the Secretaries of 27 Ministries/ Department, from where no report was received. Similarly, on 17 July 2006 another d.o. letter was addressed by the Joint Secretary, Ministry of Culture to the Secretaries of 29 Ministries/ Department, requesting them to expedite the submission of report from various organisations under their administrative control. Our efforts for eliciting information from the Public Sector Undertakings for inclusion in this report were reflected in a reminder dated 15 November 2006 addressed by the Deputy Director of Archives to the CMDs of 211 PSUs covered under this Act.

1.1 The present report is compiled on the basis of the data received till 30 November 2006 from the records creating agencies falling within the scope of the Act on the action taken by them during the year 2005 on the following aspects:-

1. Setting up of an organised Departmental Records Room;
2. Nomination of Records Officers;
3. Training of Records Officers and Staff;
4. Sharing of space for housing semi-current records;
5. Periodical recording, reviewing, and weeding out of semi-current records;
6. Appraisal of non-current records;

6. अर्ध-प्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन;
 7. अभिलेखों की प्रतिधारण अनुसूची का संकलन/संशोधन;
 8. वर्गीकृत अभिलेखों की आवधिक समीक्षा;
 9. अभिलेखों की वार्षिक सूचिका का संकलन;
 10. संगठनात्मक इतिहास का संकलन; और
 11. निष्क्रिय संगठनों आदि के रिकार्ड को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतरण।
- 1.2 इस प्रतिवेदन के आगे के अध्यायों में उपर्युक्त बिन्दुओं पर सूचना का ब्यौरा दिया गया है।

7. Compilation/ revision of Retention Schedule of Records;

8. Periodical review of classified records;

9. Compilation of Annual indices to records;

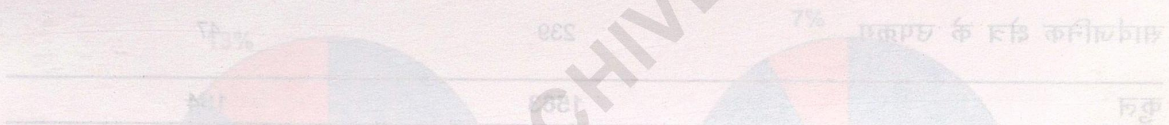
10. Compilation of Organisational history, and

11. Transfer of Records of Defunct Bodies/ Committees etc. to National Archives of India.

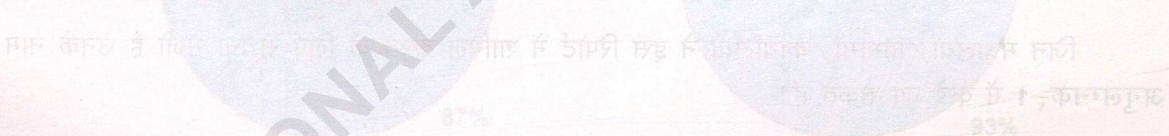
1.2 Details of information on the aforesaid points have been delineated in the following chapters of the report.

संस्थाओं की संख्या	कुल प्राप्त प्रतिक्रियाएं
Total No. of Organisations	Total responses received
41	28

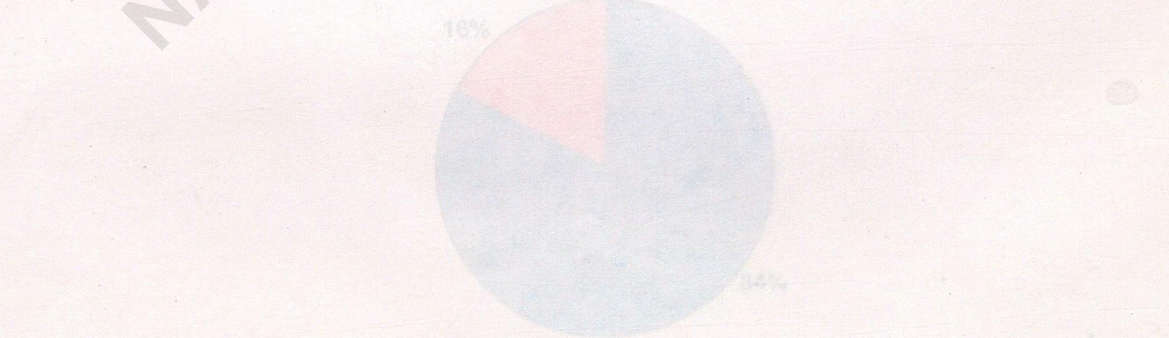
विभाग/विभाग
Ministries/Departments



विभाग/विभाग
Ministries/Departments



सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
Public Sector Undertakings



आंकड़ों का विश्लेषण

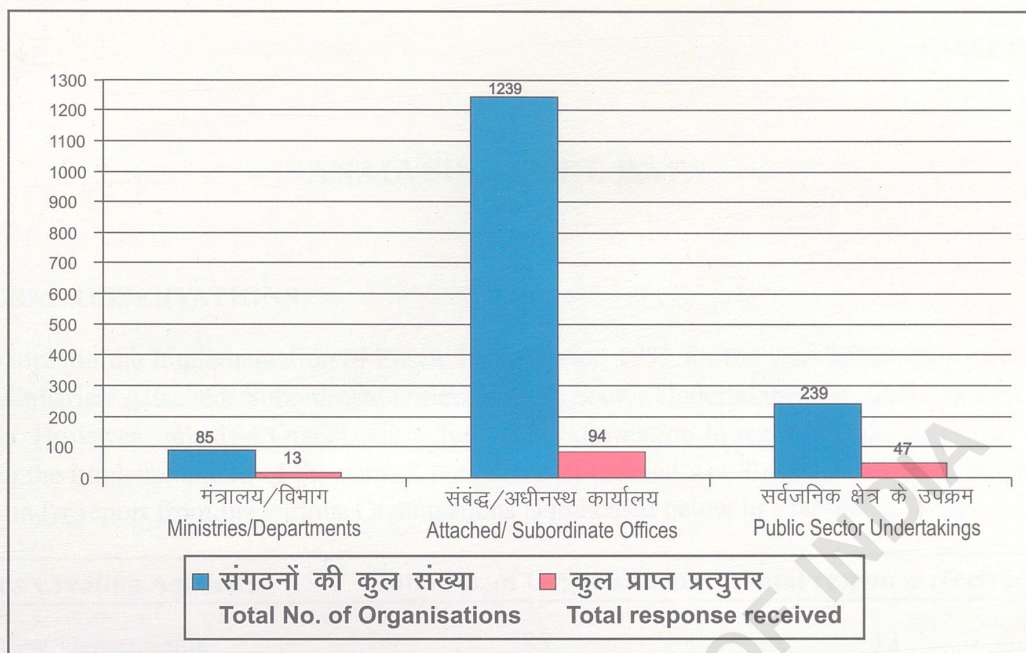
सामान्य निष्कर्ष

वर्ष 2005 में लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के बारे में भारत सरकार के 1,563 मंत्रालयों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि से सूचना मांगी गयी थी। तथापि, इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर अमल के बारे में मात्र 154 संगठनों ने सूचना उपलब्ध करायी है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विभिन्न संगठनों से प्राप्त उत्तरों को नीचे तालिका के रूप में दिया जा रहा है:

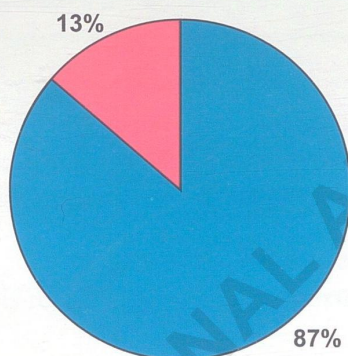
रिकार्ड सर्जक एजेंसियां	संगठनों की कुल संख्या	प्राप्त हुए कुल उत्तर
मंत्रालय/विभाग	85	13
संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय आदि	1239	94
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	239	47
कुल	1563	154

2.1 हालांकि कुल उत्तरों की प्रतिशतता में विगत वर्ष के 8.2 प्रतिशत से इस वर्ष में 9.85 प्रतिशत तक मामूली सुधार दिखाई दिया है तथापि विभिन्न रिकार्ड सर्जक एजेंसियों से समस्त उत्तर निराशाजनक ही रहें।

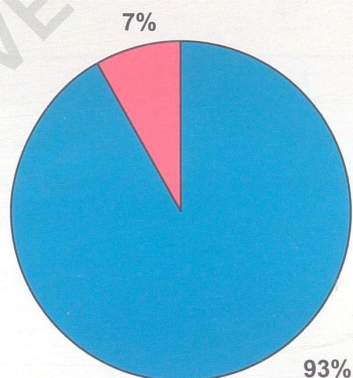
जिन मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने इस रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सूचना भेजी है उनके नाम अनुलग्नक-1 में देखे जा सकते हैं।



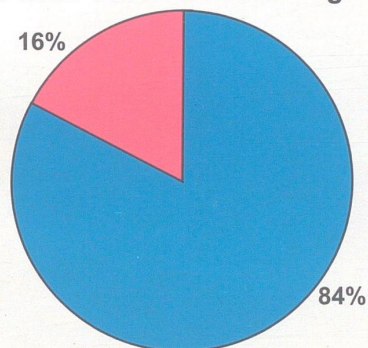
मंत्रालय/विभाग
Ministries/ Departments



संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
Attached/ Subordinate Offices



सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
Public Sector Undertakings



■ कुल प्राप्त प्रत्युत्तर (Total Response Received)
 ■ प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं (Response Not Received)

ANALYSIS OF THE DATA

GENERAL OBSERVATIONS

Information on the implementation of Public Records Act, 1993 for the year 2005 was sought from 1563 Ministries/ Attached/ Subordinate Offices/ Public Sector Undertakings etc. of the Government of India. However, only 154 Organisations furnished information in respect of the action taken by them on the implementation of the various provisions of the said Act. Response received during the period under report from the various Organisations is indicated below in a tabulated form:-

Records Creating Agencies	Total No. of Organisations	Total response received
Ministries/ Departments	85	13
Attached/ Subordinate Offices etc.	1239	94
Public Sector Undertakings etc.	239	47
Total	1563	154

- 2.1 Though the percentage of total response has shown marginal improvement from 8.2% during last year to 9.85% this year, the overall response from the different records creating agencies remains dismal.

The names of the Ministries/ Departments/ Offices who have furnished information for this report may be seen **Annexure –I**.

विभागीय अभिलेख कक्ष

किसी संगठन में उचित अभिलेख प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करने और संगठन के सभी अर्ध-प्रचलित अभिलेखों को केंद्रीकृत करने और अनुरक्षित करने के लिए व्यवस्थित अभिलेख कक्ष की आवश्यकता होती है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5 की उप-धारा (2) भी सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों के लिए यह अनिवार्य करती है कि वे उचित स्थान पर अभिलेख कक्ष स्थापित करें और प्रत्येक अभिलेख कक्ष को अभिलेख अधिकारी के प्रभार में दे। ये अभिलेख कक्ष अभिलेखों के वैज्ञानिक संरक्षण को सुविधाजनक बनाते हैं और अभिलेखों की समय पर रिकार्डिंग/समीक्षा का भी अनुवीक्षण करते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार इन संगठनों से परिपत्र भेजकर सुव्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष स्थापित करने के लिए अनुरोध कर रहा है और अभिलेख कक्ष की न्यूनतम आवश्यकताओं का नोट भी परिचालित किया गया है। ये विभागीय अभिलेख कक्षों के निरीक्षण के लिए अपने अधिकारी भी भेजता रहा है, जो इनके रखरखाव में सुधारों का सुझाव देते हैं।

3.1 154 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों ने सूचना भेजी है, इनमें से 107 मंत्रालय/विभाग/कार्यालय है और 47 लोक उपक्रम सांविधिक निकाय आदि हैं। इस संबंध में प्राप्त की गई सूचना की विस्तृत विश्लेषण निम्नानुसार है।

3.2 निम्न 58 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया कि उनके अभिलेख कक्ष सुव्यवस्थित है। इनके नाम इस प्रकार हैं: कृषि और सहकारिता मंत्रालय, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सूचना एवं प्रसारण, रेलवे (रेलवे बोर्ड), जल संसाधन, योजना आयोग, प्रधान मंत्री कार्यालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, वाणिज्य, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, आपूर्ति एवं निपटान महा निदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय का कार्यालय, विस्तार निदेशालय, डाटा प्रबंधन निदेशालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, वायु सेना मुख्यालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और आयकर निपटान आयोग, सभी दिल्ली में, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला चेन्नई; राष्ट्रीय एटलेस थेमैटिक एवं मैपिंग संगठन, जूट आयुक्त का कार्यालय, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण एवं टाउन एंड कंट्री योजना संगठन, सभी कोलकाता में; मुख्यमहा डाकपाल कार्यालय, महाराष्ट्र मंडल मुख्य आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय, मुंबई-1 जन संपर्क अधिकारी का कार्यालय, सभी मुंबई में; दक्षिणी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षा अधिकारी, अनंतपुर (आं.प्र.); क्षेत्रीय श्रमिक आयुक्त का कार्यालय (मध्य), अजमेर; मुख्य महाजनपाल का कार्यालय, कर्नाटक मंडल, मुख्य श्रमिक आयुक्त (मध्य) का कार्यालय, विधि मामलों का शाखा सचिवालय एवं केंद्रीय मत्स्य उद्योग तटीय इंजिनियरी संस्थान, सभी बंगलोर में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, बेलगांव; पूर्वी क्षेत्र कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), भोपाल एवं भुवनेश्वर, टमिनल, सीमांत बैलीस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़, केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड, जिला, सूरत (गुजरात), क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय एवं केंद्रीय मत्स्य सामुद्रीक एवं इंजिनियरी प्रशिक्षण संस्थान, दोनों कोचीन में, मुख्य महा डाक पाल, उत्तरांचल एवं भारतीय वन सर्वेक्षण कार्यालय, दोनों देहरादून

DEPARTMENTAL RECORDS ROOM

An organised Records Room to centralize and maintain all semi-current records of an organisation is one of the pre-requisites to ensure proper records management system in that organisation. The sub-Section (2) of Section 5 of the Public Records Act, 1993 also makes it mandatory on the part of all the records creating agencies to set up their Records Rooms in such places as it deems fit and also place each records room under the charge of a Records Officer. These Records Rooms facilitate Scientific Preservation of records and also monitor the timely recording/ reviewing of records. National Archives of India requesting these organisations to have a well established Departmental Records Rooms by sending circulars and have also been circulating note on the Minimum Requirements of Records Room. It has also been sending its officers for the inspection of the Departmental Records Rooms, who suggest improvement for its upkeep.

3.1 In all 154 Ministries/ Departments/ Offices and Public Sector Undertakings have send information, out of which 107 are Ministries/ Departments/ Offices and 47 are Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. the detailed analysis of information received in this regard is given below.

3.2 The following 58 Ministries/ Departments/ Offices have mentioned that their Records Rooms are well organised. These are:- Ministries of Agriculture and Cooperation, Defence, Health and Family welfare, Information and Broadcasting, Railways (Railway Board), Water Resources, Planning Commission, Prime Minister's Office, Departments of Chemicals and Petrochemicals, Commerce, Information and Technology, Telecommunications, Directorate General of Supplies and Disposals, Office of the Directorate General of Central Reserve Police Force, Directorate of Extension, Directorate of Data Management, Central Excise and Customs, Air Headquarters, Council of Scientific and Industrial Research and Income Tax Settlement Commission, all in New Delhi; BCG Vaccine, Laboratory, Chennai; National Atlas Thematic and Mapping Organisation, Office of the Jute Commissioner, Anthropological Survey of India and Town and Country Planning Organisation, all in Kolkata; Office of the Chief Post Master General, Maharashtra Circle, Office of the Chief Commissioner of Central Excise, Mumbai-I, Office of the Public Relation Officer, all in Mumbai; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (AP); Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer; Office of the Chief Post Master General, Karnataka Circle, Office of the Chief Labour Commissioner (Central), Branch Secretariat of Legal Affairs and Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, all in Bangalore; Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum; Eastern Region Offices (Ministry of Environment and Forests), Bhopal and Bhubaneswar; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod, Dist., Surat (Gujarat), Office of the Regional Labour Commissioner (Central) and Central Institute of Coastal Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, both in Cochin; Office of the Chief Post

में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, पणजी-गोवा; आयकर आयुक्त कार्यालय हैदराबाद; नमक आयुक्त एवं क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, दोनों जयपुर में; मुख्य महा डाकपाल कार्यालय, उ.प्र., रेलवे सुरक्षा आयुक्त दोनों लखनऊ में, पत्तन स्वास्थ्य संगठन एवं भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, दोनों मार्मागांव, गोवा में, पत्तन स्वास्थ्य संगठन मंडपम कैप; लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी, मसूरी; मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, नागपुर; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय एवं राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, दोनों पुणे में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, शिलांग, क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर; सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, तूतीकोरन।

3.3 निम्नलिखित 43 संगठनों ने बताया है कि उनके अभिलेख कक्ष पूर्णतया व्यवस्थित नहीं हैं और उन्होंने 'शून्य' सूचना दी है, इनके नाम इस प्रकार हैं:- प्रकाशन विभाग, आयकर महानिदेशालय (प्रशासन) कार्यालय, उप महानिदेशक, वन्य जीवन क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), आयकर आयुक्त कार्यालय (अपील-24), केंद्रीय पेंशन लेखा (वित्त मंत्रालय), सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रमाण एवं एकीकृत मुख्यालय की एम एस शाखा (रक्षा मंत्रालय) (सेना) एवं क्षेत्रीय परिषद सचिवालय, सभी नई दिल्ली में; सीमा शुल्क आयुक्त (निवारण) कार्यालय, चेन्नई-1 एवं केंद्रीय औषज परीक्षण प्रयोगशाला, दोनों चेन्नई में; भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय एवं केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, दोनों कोलकाता में, वन्यजीवन क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), मुंबई; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, बंगलोर; मुख्य महा डाकपाल कार्यालय, उड़ीसा मंडल, भुवनेश्वर; क्षेत्रीय फोरेज उत्पादन एवं प्रदर्शन केंद्र, पालाजी गांधी नगर (गुजरात); राष्ट्रीय जैव कृषि केंद्र, गाजियाबाद; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, हैदराबाद; उत्तरी क्षेत्र मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार; जवाहर विकास निदेशालय, जयपुर आयकर आयुक्त कार्यालय, जबलपुर; संयुक्त निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कार्यालय, सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, करनाल; आयकर आयुक्त कार्यालय (अपील-1), कानपुर; क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान केंद्र, डाकोपग्रे-तूरा, मेघालय; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नासिक रोड; भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर; केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा, संबलपुर (उड़ीसा), आयकर आयुक्त कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), दोनों शिमला में; उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), शिलांग; सीमा शुल्क आयुक्तालय कार्यालय, त्रिची; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई; कोलकाता; चड़ीगढ़; हैदराबाद; लखनऊ एवं परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, मुंबई, अहमदाबाद; भोपाल, गुवाहाटी, पटना एवं तिरुअनंतपुरम।

3.4 निम्न 6 कार्यालयों ने या तो ये सूचित किया कि उनके कार्यालय नए स्थापित हुए हैं, या बताया कि ये छोटे अधीनस्थ कार्यालय हैं; और जब आवश्यकता होगी तो व्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। ये हैं :- मुख्य आयुक्त सीमा (निवारण) कार्यालय, चेन्नई; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कालीकट एवं हैदराबाद; संयुक्त निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्यालय, जबलपुर, फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), शिमला।

3.5 47 लोक उपक्रमों/सांविधिक निकायों इत्यादि में से 27 ने रिपोर्ट भेजी है कि उनके पास सुव्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष हैं: भारतीय खाद्य निगम, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमि. भारतीय प्रतिरक्षण संस्थान, राष्ट्रीय

Master General, Uttaranchal and Forest Survey of India, both in Dehradun; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa; Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Hyderabad; Office of the Salt Commissioner and Regional Evaluation Office, both in Jaipur; Office of the Chief Post Master General, (UP Circle), and Commissioner of Railway Safety, both in Lucknow; Port Health Organisation and Fishery Survey of India, both in Marmagao, Goa; Port Health Organisation Mandapam Camp; Lal Bhadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Nagpur; office of the Commissioner of Central of Central Excise and National Film Archive of India, both in Pune; Office of the Commissioner of Central Excise, Shillong; Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare) J&K, Srinagar; Office of the Commissioner of Customs, Tuticorin.

3.3 The following 43 Organisations have mentioned that their Records Rooms are not fully organised and furnished NIL information. These are:- Department of Publication, Office of the Directorate General of Income Tax (Administration), Deputy Director General, Wildlife Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Office of the Commissioner of Income Tax (Appeals-24), Central Pension Accounts Office (Ministry of Finance), Armed Forces Film and Photo Division and MS Branch of Integrated Headquarter (Ministry of Defence) (Army) and Zonal Councils Secretariat, all in New Delhi; Office of the Commissioner of Customs (Preventive), Chennai-I and Central Drugs Testing Laboratory, both in Chennai; Government of India Stationary Office and Central Food Laboratory, both in Kolkata; Wildlife Regional Office (Ministry of Environment of Forests), Mumbai; Office of the Commissioner of Central Excise, Bangalore; Office of the Chief Post Master General, Orissa Circle, Bhubaneswar; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Palaji, Gandhinagar (Gujarat); National Centre of Organic Farming Ghaziabad; Directorate of Marketing and Inspection, Hyderabad; North Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar; Directorate of Millets Development, Jaipur; Office of the Commissioner of Income Tax, Jalandhar; Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Government Medical Store Depot, Karnal; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeals-I), Kanpur; Regional Station Training Institute for Women, Dakopgre-Tura, Meghalaya; Directorate of Marketing and Inspection, Nasik Rod; Indian Bureau of Mines, Nagpur; Central Cattle Breeding Farm, Chiplima, Sambalpur (Orissa); Office of the Commissioner of Income Tax and Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), both in Shimla; North Eastern Region Office (Ministry of Environment and Forests), Shillong; Office of the Customs Commissionerate, Trichy; Regional Evaluation Offices, Chennai; Kolkata; Chandigarh; Hyderabad; Lucknow and Project Evaluation Offices, Mumbai; Ahmedabad; Bhopal, Guwahati, Patna and Thiruvananthapuram.

3.4 The following 6 offices have either intimated that their offices are newly established/ or stated that these are small/ subordinate office, and that the steps will be taken up for setting up an organised Departmental Records Rooms when necessity arises. These are:- Office of the Chief Commissioner of Customs (Preventive), Chennai; Directorates of Marketing and Inspection, Calicut and Hyderabad; Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme Jabalpur, Foremen Training Institute, Jamshedpur and Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Shimla.

3.5 Out of 47 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. 27 have reported that they have well organized Departmental Records Rooms:- Food Corporation of India, Bharat Heavy Electricals

लघु उद्योग निगम लि. परियोजना उपकरण निगम लि., भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लि. एवं भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., सभी नई दिल्ली में; बंगाल केमिकल्स एंड फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड, एंड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, दोनों कोलकाता में; भारतीय कपास निगम लि., माजगांव डॉक लिमिटेड एवं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई में; फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड, एल्लूर, राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान एवं नैशनल फर्टिलाइजर्स लि., दोनों नोएडा में; नैवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड नैवेली; सेंटर फार मेटिरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी, पुणे; हिंदुस्तान न्युजप्रिंट लि. न्यूजप्रिंट नगर, एडंवास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रौसेस इंस्ट्रुमेंटेशन, देहरादून; खनिज अनुसंधान निगम लि., नागपुर; नैशनल एल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर, नैशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर कार्पोरेशन लि., फरीदाबाद; टिहरी जल विकास निगम लि., ऋषिकेश; नुमालीगढ़ तेलशोधन लि. गोलाघाट (असम); मारमागांव पोर्ट ट्रस्ट गोवा, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, बड़ोदरा।

3.6. 6 लोक उपक्रमों की एक अन्य श्रेणी है जिन्होंने 'शून्य' सूचना भेजी है। ये हैं: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली; सोसायटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेब इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी एंड रिसर्च एवं इंडियन रेयर अर्थस लि., दोनों मुंबई में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी, राय बरेली; हिंदुस्तान लेटेक्स लि., तिरुवनंतपुरम, उत्तर पूर्वोत्तर विद्युत ऊर्जा निगम लि., शिलांग।

3.7 एन्नोर पोर्ट लि. चेन्नई ने सूचित किया है कि वे एक नया संगठन हैं जो अभी-अभी प्रारंभ हुआ है।

3.8 निम्न 14 लोक उपक्रमों ने अस्पष्ट उत्तर दिया है। ये हैं :- भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि., एन टी पी सी लि., एवं भारतीय राज्य कृषि निगम लि. सभी नई दिल्ली में; भारतीय जहाजरानी निगम लि, मुंबई; जी.बी.पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा; एंड्रयूल एंड कंपनी लि., एवं हिंदुस्तान केबल्स लि. दोनों कोलकाता में; भारत पम्प एंड कंप्रेसर लि., इलाहाबाद, एच एम टी मशीन टूल्स लि. एवं एच एम टी (अंतरराष्ट्रीय) लि., और अंतरिक्ष निगम लि, सभी बंगलोर में; तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्स लि., तुंगभद्रा बांध, जिला बेल्लारी, पोर्टकोरिन; तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट; एवं भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर।

Limited, National Institute of Immunology, National Small Industries Corporation Limited, Project Equipment Corporation Limited, Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited and State Trading Corporation of India Limited, all in New Delhi; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, and Hindustan Copper Limited, both in Kolkata; Cotton Corporation of India Limited, Mazagon Dock Limited and Mumbai Port Trust, all in Mumbai. Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Elloor; National Institute for Training of Highway Engineers and National Fertilizers Limited, both in Noida; Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli; Central for Materials for Electronics Technology, Pune; Hindustan Newsprint Limited, Newsprint Nagar; Advanced Training Institute, Electronics and Process Instrumentation, Dehradun; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad; Tehri Hydro Development Corporation Limited, Rishikesh; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat (Assam); Mormugao Port Trust, Goa; Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara.

3.6 There is another category of 6 Public Sector Undertakings who have furnished 'NIL' report. These are:- National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, New Delhi; Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research and Indian Rare Earths Limited, both in Mumbai; Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy, Rae Bareilly; Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram; North Eastern Electric Power Corporation Limited, Shillong;

3.7 Ennore Port Limited, Chennai has informed that they are new organisation which is just commenced.

3.8 The following 14 Public Sector Undertakings have furnished vague reply. These are:- Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, NTPC Limited and State Farms Corporation of India Limited, all in New Delhi; Shipping Corporation of India Limited, Mumbai; G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora; Andrew Yule and Company Limited and Hindustan Cables Limited, both in Kolkata; Bharat Pumps and Compressors Limited Allahabad; HMT Machine Tools Limited and HMT (International) Limited and Antrix Corporation Limited, all in Bangalore; Tungabhadra Steel Products Limited, Tungabhadra Dam, Distt. Bellary; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; and Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur.

विभागीय अभिलेख अधिकारी

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 5(1) में यह निर्धारित है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक अभिकरण को अपने एक अधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 6(1) के तहत निर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन करने के लिए नामित करना होगा। विभागीय अभिलेख अधिकारी से अपेक्षित है कि वह संगठन में विभिन्न अनुभागों/प्रभागों में समन्वय रखे एवं मार्गदर्शन दे और अभिलेखों के लिए अभिलेख प्रतिधारण समय सारणी के अनुपालन, गैर-प्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन, स्थायी प्रकृति के 25 वर्ष से पुराने अभिलेखों को संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार को स्थानांतरित करने और अभिलेख प्रबंधन से जुड़े अन्य अनुषंगी मामलों के संबंध में महानिदेशक अभिलेखागार, भारत सरकार के साथ संपर्क भी बनाए रखे। इसको ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों इत्यादि से लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के उक्त उपबंधों का अनुपालन और अपने अधिकारियों को अभिलेख अधिकारी के रूप में नामित करने का अनुरोध किया है। इसके परिणामस्वरूप 91 संगठनों ने अब तब अपने एक अधिकारी को अभिलेख अधिकारी के रूप में नामित किया है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 107 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने इस संबंध में अपेक्षित सूचना भेजी है। प्राप्त किए गए उत्तरों का विवरण नीचे दिया गया है।

4.1 लगभग 63 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के पास पूर्ण प्रशिक्षित विभागीय अभिलेख अधिकारी हैं। ये हैं:- कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सूचना एवं प्रसारण, रेलवे (रेलवे बोर्ड), जल संसाधन, योजना आयोग, प्रधान मंत्री कार्यालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, वाणिज्य, सूचना एवं प्रौद्योगिकी दूरसंचार, वायुसेना मुख्यालय, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय का कार्यालय, विस्तार महानिदेशालय, डाटा प्रबंधन निदेशालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, केंद्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय (वित्त मंत्रालय), वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी क्षेत्र) (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सभी नई दिल्ली में; जूट विकास निदेशालय, एटलस थिमैटिक एवं मौपिंग संगठन, टाउन एंड कंट्री योजना संगठन, क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय एवं भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, भारत सरकार लेखन सामग्री, सभी कोलकाता में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय एवं क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, दोनों मुंबई में; दक्षिणी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आ.प्र.) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय, अजमेर; उप मुख्य श्रम आयुक्त (मध्य) एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय एवं विधि मामले विभाग का शाखा सचिवालय, सभी बंगलोर में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, बेलगांव, महा डाकपाल कार्यालय (उड़ीसा मंडल) एवं पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), दोनों भुवनेश्वर में; उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) भोपाल; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कालीकट; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय, (मध्य) एवं केंद्रीय मत्स्यिकी, सामुद्रिक एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, दोनों कोचीन में; सीमांत बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़; मुख्य महाडाकपाल कार्यालय एवं भारतीय वन सर्वेक्षण, दोनों देहरादून में; राष्ट्रीय जैव कृषि केंद्र, गाजियाबाद; केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, पणजी-गोवा, विपणन एवं निरीक्षण

DEPARTMENTAL RECORDS OFFICERS

Section 5(1) of the Public Records Act, 1993 stipulates that every records creating agency shall nominate one of its officer to discharge the functions as outlined under section 6(1) of the said Act. The Departmental Records Officer is required to coordinate and guide various Sections/ Divisions in an organisation and also to keep liaison with the Director General of Archives, Government of India, regarding the compilation of records retention schedule for records, appraisal of non-current records, transfer of records of permanent nature which are 25 years old to National Archives of India for preservation and on other ancillary matters pertaining to records management. Keeping this in view, National Archives of India has requested all the Ministries/ Departments/ Offices etc. to comply with the said provisions of the Public Records Act, 1993 and nominate one of its officers as Records Officer. As a result of this 91 Organisations have so far nominated one of their officers as Records Officer. During the period under report 107 Ministries/ Departments/ Offices have furnished the requisite information in this regard. Details of the replies received are given below.

4.1 63 Ministries/ Departments/ Offices have full trained Departmental Records Officers. These are:- Ministries of Agriculture and Cooperation, Defence, Health and Family Welfare, Information and Broadcasting, Railways (Railway Board), Water Resources, Planning Commission, Prime Minister's Office, Departments of Chemicals and petrochemicals, Commerce, Information and Technology, Telecommunications, Air Headquarters, Directorate General of Supplies and Disposals, Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force, Directorate of Extension, Directorate of Data Management, Central Excise and Customs, Central Pension Accounting Office (Ministry of Finance), Wildlife Regional Office (NR) (Ministry of Environment and Forests), Council of Scientific and Industrial Research, all in New Delhi; Directorate of Jute Development, Atlas Thematic and Mapping Organisation, Town and Country Planning Organisation, Regional Evaluation Office and Anthropological Survey of India, Government of India Stationary, all in Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise and Regional Evaluation Office, both in Mumbai; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (AP), Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer; Deputy Chief Labour Commissioner (Central) and Office of the Commissioner of Central Excise and Branch Secretariat of Department of Legal Affairs, all in Bangalore; Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum; Office of the Post Master General (Orissa Circle) and Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), both in Bhubaneswar; Northern Regional Office (Ministry of Environment and Forests) Bhopal; Directorate of Marketing and Inspection, Calicut; Office of the Regional Labour Commissioner (Central) and Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, both in Cochin; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Office of the Chief Post Master General and Forest Survey of India, both in Dehradun; National Centre for Organic Farming, Ghaziabad; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa; Directorate of Marketing and Inspection, Hyderabad; Directorate of

निदेशालय, हैदराबाद, ज्वार विकास, निदेशालय, जयपुर; महाडाक पाल कार्यालय, उ.प्र. मंडल एवं 'रेलवे' सुरक्षा आयोग, दोनों लखनऊ में; पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, मारमागांव, गोवा एवं मंडपम कैप; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी; मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला एवं राष्ट्रीय खान ब्यूरो, सभी नागपुर में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय एवं राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, दोनों पुणे में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय, रायपुर; केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा, संबलपुर (उड़ीसा); क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), शिमला, क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), जम्मू एवं कश्मीर, श्री नगर; उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), शिलांग; एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, तूतीकोरिन।

4.2 निम्न 40 संगठनों ने यह सूचित किया कि वे छोटे संगठन हैं और उन्हें अभिलेख अधिकारी नामित करना आवश्यक नहीं लगता। कुछ कार्यालयों ने 'शून्य' उत्तर दिए हैं या यह बताया है कि यह अधिनियम उन पर लागू नहीं है अथवा उन्होंने राष्ट्रीय अभिलेखागार को अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए अपने मुख्यालय से संपर्क करने को कहा है। ये हैं:—प्रकाशन विभाग, आयकर निपटान आयोग, सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग, एकीकृत मुख्यालय की एम.एस शाखा (रक्षा मंत्रालय) (सेना), एवं आयकर आयुक्त कार्यालय, सभी नई दिल्ली में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, मुख्य सीमा शुल्क (निवारक) बी.सी. जी. टीकाकरण प्रयोगशाला, केंद्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, सभी चेन्नई में; केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, पोर्ट स्वास्थ्य संगठन एवं भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण सभी कोलकाता में; वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), जन संपर्क अधिकारी का कार्यालय, दोनों मुंबई में; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कालीकट; हैदराबाद एवं नासिक रोड; चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन क्षेत्रीय केंद्र, पालाजी-गांधीनगर (गुजरात); मुख्य आयकर आयुक्त का कार्यालय, हैदराबाद; उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार (हरियाणा); नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर; संयुक्त निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कार्यालय, जबलपुर; फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर; आयकर आयुक्त (अपील) का कार्यालय, जालंधर; आयकर आयुक्त का कार्यालय कानपुर; सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, करनाल; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, डाकोपग्रे-तूरा, मेघालय, क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर; आयकर आयुक्त का कार्यालय, शिमला, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय शिलांग; सीमा शुल्क आयुक्तालय का कार्यालय, त्रिची; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई, चंडीगढ़, हैदराबाद, लखनऊ, परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद, जयपुर, भोपाल, गुवाहाटी, पटना और निरुवानंतपुरम।

4.3 निम्नलिखित 4 संगठनों ने सूचित किया है कि उनके अभिलेख कक्ष उनके दफ्तरी/क्लर्क के प्रभार में हैं; ये हैं :— आयकर महानिदेशक का कार्यालय (प्रशासन) और क्षेत्रीय परिषद सचिवालय, दोनों नई दिल्ली में; भारतीय मत्स्यिकी सर्वेक्षण, मारमागांव, गोवा और केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड, जिला सूरत (गुजरात)।

4.4 लोग उपक्रम/साविधानिम निकायों इत्यादि के संबंध में विभागीय अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित स्थिति है:—

26 लोक उपक्रमों के पास पूर्णकालिक विभागीय अभिलेख अधिकारी हैं :— भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., परियोजना उपकरण निगम लि., एवं भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लि., सभी नई दिल्ली

Millets Development, Jaipur; Office of the Post Master General, UP Circle and Commission of Railway Safety, both in Lucknow; Port Health Organisations, Marmagao, Goa and Mandapam Camp; Lal Bhadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Central Agmark Laboratory and Indian Bureau of Mines, all in Nagpur; Office of the Central Excise and National Film Archive of India, both in Pune; Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur; Central Cattle Breeding Farm, Chiplima, Sambalpur (Orissa); Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare) Shimla; Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Jammu and Kashmir, Srinagar; North Eastern Region Office (Ministry of Environment and Forests), Shillong; and Office of the Commissioner of Customs, Tuticorin.

4.2 The following 40 Organisations have informed that they have small organisations and they do not feel necessary nominate Records Officer. Some offices have given 'NIL' replies, or stated that the Act is not applicable to them or have asked the National Archives of India to contact to their Headquarters to obtain the requisite information. These are:- Department of Publication, Income Tax Settlement Commission, Armed Forces Film and Photo Division, MS Branch of Integrated Headquarter (Ministry of Defence) (Army), and office of the Commissioner of Income Tax, all in New Delhi; Office of the Commissioner of Central Excise, Office of the Chief Commissioner of Customs (Preventive), BCG Vaccine, Laboratory, Central Drugs Testing Laboratory, all in Chennai; Central Food Laboratory, Port Health Organisations and Anthropological Survey of India, all in Kolkata; Wildlife Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Office of the Public Relation Officer, both in Mumbai; Directorates of Marketing and Inspection, Calicut, Hyderabad and Nasik Road; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Palaji-Gandhinagar (Gujarat); Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Hyderabad; North Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar (Haryana); Office of the Salt Commissioner, Jaipur; Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Foremen Training Institute, Jamshedpur; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal), Jalandhar; Office of the Commissioner of Income Tax, Kanpur; Government Medical Store Depot, Karnal; Regional Vocational Training Institute for Women, Dakopgre-Tura, Meghalaya; Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Jammu and Kashmir, Srinagar; Office of the Commissioner of Income Tax, Shimla, Office of the Commissioner of Central Excise, Shillong; Office of the Customs Commissionerate, Trichy; Regional Evaluation Offices, Chennai, Chandigarh, Hyderabad, Lucknow; Project Evaluation Offices, Ahmedabad; Jaipur, Bhopal, Guwahati, Patna, and Thiruvananthapuram.

4.3 Under-mentioned 4 organisations have intimated that their Records Rooms are under the charge of Daftry/ Clerk. These are:- Office of the Director General of Income Tax (Administration) and Zonal Councils Secretariat, both in New Delhi; Fishery Survey of India, Marmagao, Goa and Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod, Distt., Surat (Gujarat).

4.4 As regards the Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. the position regarding the appointment of Departmental Records Officer is as follows:-

26 Public Sector Undertakings have full time Departmental Records Officer:- Food Corporation of India, State Trading Corporation of India Limited, Bharat Heavy Electricals Limited, National Institute of Immunology, National Small Industries Corporation Limited, Project Equipment Corporation

में; बंगाल केमिकल्स एंड फार्मासियुटिकल्स लि., एवं हिंदुस्तान कॉपर लि., दोनों कोलकाता में; भारतीय कपास निगम लि., माजगांव डॉक लि., मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एवं इंडियन रेयर अर्थस लि., सभी मुंबई में; भारतीय जलविद्युत ऊर्जा निगम लि., फरीदाबाद; फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लि., एल्लूर; नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., नोएडा; हिंदुस्तान लेटेक्स लि., तिरुवानंतपुरम; एडवांसड प्रशिक्षण संस्थान – इलेक्ट्रानिक्स एंड प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशन, देहरादून, खनिज अनुसंधान निगम लि., नागपुर; नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर, टिहरी जल विकास निगम लि., ऋषिकेश; पूर्व विद्युत ऊर्जा निगम लि., शिलांग, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. गोलाघाट (असम); मारमागांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा, नैवेली लिग्नाइट निगम लि., नैवेली एवं सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, बड़ोदरा।

4.5 निम्नलिखित 6 लोक उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनके पास कोई अभिलेख अधिकारी नहीं है :- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली, सोसायटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी एंड रिसर्च (समीर) मुंबई; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली; सेंटर फॉर मेटिरियल्स फॉर इलेक्ट्रानिक्स टेक्नॉलॉजी, पुणे; हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लि., न्यूजप्रिंट नगर एवं राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा (उत्तर प्रदेश)।

4.6 एन्नोर पोर्ट लि. चेन्नई ने सूचित किया है कि यह एक नया संगठन है जो अभी-अभी प्रारंभ हुआ है।

4.7 निम्नलिखित 14 लोग उपक्रमों ने अस्पष्ट उत्तर प्रेषित किए हैं:- एन.टी.पी.सी लि., भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि., भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., सभी नई दिल्ली में; भारतीय जहाजरानी निगम लि., मुंबई; एंड्रयूल एंड कंपनी लि., एवं हिंदुस्तान केबल्स लि., दोनों कोलकाता में; जी.बी. पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोरा; भारत पम्प एवं कंप्रेशर लि., इलाहाबाद; एच.एम.टी मशीन टूल्स लि; एच.एम.टी (अंतरराष्ट्रीय) लि., एवं अंतरिक्ष निगम लि., सभी बंगलोर में; तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि., तुंगभद्रा बांध, जिला बेल्लारी, तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन; एवं भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर।

Limited, and Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, all in New Delhi; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited and Hindustan Copper Limited, both in Kolkata; Cotton Corporation of India Limited, Mazagon Dock Limited, Mumbai Port Trust and Indian Rare Earths Limited, all in Mumbai; National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad; Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Elloor; National Fertilizers Limited, Noida; Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram; Advanced Training Institute – Electronics and Process Instrumentation, Dehradun; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Tehri Hydro Development Corporation Limited, Rishikesh; North Eastern Electric Power Corporation Limited, Shillong; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat (Assam); Mormugao Port Trust, Goa; Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli and Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara;

4.5 The following 6 Public Sector Undertakings have informed that they have no Records Officer:- National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, New Delhi; Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Mumbai; Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy, Rai Bareilly; Centre For Materials for Electronics Technology Pune; Hindustan Newsprint Limited, Newsprint Nagar and National Institute for Training of Highway Engineers, Noida (UP);

4.6 Ennore Port Limited, Chennai has informed that they are new organisation which is just commenced.

4.7 The following 14 Public Sector Undertakings have forwarded vague replies:- NTPC Limited, Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, State Trading Corporation of India Limited, all in New Delhi; Shipping Corporation of India Limited, Mumbai; Andrew Yule and Company Limited and Hindustan Cables Limited, both in Kolkata; G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora; Bharat Pumps and Compressors Limited, Allahabad; HMT Machine Tools Limited, HMT (International) Limited and Antrix Corporation Limited, all in Bangalore; Tungabhadra Steel Products Limited, Tungabhadra Dam Distt. Bellary; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; and Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur.

स्थान की भागीदारी

विभागीय अभिलेख कक्षों के वार्षिक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि भारत सरकार के अधिकांश अभिलेख सर्जक अभिकरण अपने अर्ध-प्रचलित अभिलेखों को अपने अनुभागों की अलमारियों या अपने कार्यालय भवन के किसी गलियारे में रखते हैं। अभिलेखों को इस ढंग से रखना उनके उचित रख-रखाव व संरक्षण के लिए लाभदायक नहीं है। स्थान की कमी की समस्या से छुटकारा पाने और अभिलेखों को तब तक वैज्ञानिक ढंग से संरक्षित करने के लिए, जब तक कि अभिलेख सर्जक अभिकरण अपने व्यवस्थित विभागीय अभिलेख कक्ष स्थापित करने में समर्थ नहीं हो जाते, राष्ट्रीय अभिलेखागार, सभी संगठनों को अपने एनेक्सी भवन में नई दिल्ली और भोपाल के क्षेत्रीय केंद्र तथा जयपुर, भुवनेश्वर एवं पांडिचेरी के अभिलेख केन्द्रों में स्थान की भागीदारी करने का प्रस्ताव दे रहा है। इस संबंध में प्राप्त सूचना का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

5.1 जिन सभी 154 संगठनों ने सूचना भेजी है उनमें से 107 सरकारी संगठन हैं और 47 लोक उपक्रम हैं। सरकारी संगठनों के मामले में 90 संगठनों ने नकारात्मक उत्तर दिया है और 8 कार्यालयों ने स्थान की भागीदारी के लिए इच्छा दर्शाई है या पहले से ही अभिलेख राष्ट्रीय अभिलेखागार एनेक्सी भवन, नई दिल्ली और इसके क्षेत्रीय अभिलेख केंद्रों, भोपाल, जयपुर, पांडिचेरी और भुवनेश्वर में स्थानांतरित कर दिए हैं। इस संबंध में प्राप्त उत्तरों के विवरण इस प्रकार है:- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, आयकर आयुक्त का कार्यालय (अपील-24), सभी नई दिल्ली में नमक; आयुक्त कार्यालय, जयपुर ने पहले ही अपने अभिलेख राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केंद्र, जयपुर में स्थानांतरित कर दिए हैं। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे राष्ट्रीय अभिलेखागार, रिकार्ड केंद्र, जयपुर में अपने अभिलेख स्थानांतरित करने का इच्छुक है। मुख्य महा डाक पाल उड़ीसा मंडल, भुवनेश्वर कार्यालय ने पहले से ही अपने अभिलेख राष्ट्रीय केंद्र भुवनेश्वर को स्थानांतरित कर दिए हैं और अन्य संगठन जैसे राष्ट्रीय एटलस एवं थेमैटिक मैपिक संगठन एवं भारत सरकार लेखन सामग्री, दोनों कोलकाता में, राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केंद्र, भुवनेश्वर में स्थान भागीदारी के इच्छुक हैं

5.2 47 लोक उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि जिन्होंने राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय एवं क्षेत्रीय केंद्र ने स्थान की भागीदारी से संबंधित सूचना प्रस्तुत की है; उनमें से केवल एक संगठन अर्थात् हिंदुस्तान लेटेक्स लि., तिरुवानंतपुरम ने स्थान भागीदारी के लिए अपनी इच्छा दर्शाई है जबकि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., नई दिल्ली; राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम लि., फरीदाबाद; एवं टिहरी जल विकास निगम लि., ऋषिकेश ने सूचित किया है कि इस मामले में लिए गए निर्णय को बाद में सूचित किया जाएगा।

5.3 निम्न 24 लोक उपक्रम/सांविधिक निकाय किसी न किसी कारण से अभिलेख भंडारण स्थान की भागीदारी के लिए इच्छुक नहीं हैं: परियोजना उपकरण निगम लि., भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., भारतीय खाद्य निगम, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि., राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, एवं भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लि., सभी नई दिल्ली में; बंगाल केमिकल्स एंड फार्मासियुटिकल्स लि. एवं हिंदुस्तान कॉपर लि.,

SHARING OF SPACE

During the Annual Inspection of the Departmental Records Rooms it has been observed that most of the Records Creating Agencies of the Government of India are keeping their semi-current records in the almirahs of their Sections or in some corridors of their office buildings. Keeping records in such a manner is not conducive for their proper up-keep and preservation. To overcome the problem of shortage of space and to preserve the records in more scientific way till the time, the Records Creating agencies are able to set up their organised Departmental Records Rooms, National Archives of India, has been offering to all the Organisations to share space in its Annexe Building, New Delhi and its Regional Office at Bhopal and Records Centres at Jaipur, Bhubaneswar and Pondicherry. Information received in this regard is summarised below:-

5.1 In all 154 Organisations have furnished information, out of which 107 are the Government Organisations and 47 are Public Sector Undertakings. In case of the Government Organisations 99 Organisations have given negative response and 8 Offices have shown their willingness to Share Space or already transferred to the National Archives of India, Annexe Building, New Delhi and its Regional Records Centres, Bhopal, Jaipur, Pondicherry, and Bhubaneswar. Details of replies received in this regard are as follows:- Ministry of Health and Family Welfare, Department of Telecommunications and Office of the Commissioner of Income Tax (Appeals-24), all in New Delhi; Office of the Salt Commissioner, Jaipur have already transferred their records to National Archives of India, Records Centre, Jaipur. National Film Archive of India, Pune is willing to Share Space at National Archives of India, Record Centre, Jaipur. Office of the Chief Post Master General, Orissa Circle, Bhubaneswar have already transferred their records to National Archives of India, Records Centre, Bhubaneswar and other Organisations i.e. National Atlas and Thematic Mapping Organisation and Government of India Stationary Office, both in Kolkata are willing to Share the Space at National Archives of India, Record Centre, Bhubaneswar.

5.2 Out of 47 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies, etc who have furnished information regarding Sharing of Space in National Archives of India, Regional Office and Regional Centres only one Organisation i.e. Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram has showed its willingness to share space while National Small Industries Corporation Limited, New Delhi; National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad; and Tehri Hydro Development Corporation Limited, Rishikesh have informed that decision in this matter will be intimated later on.

5.3 The following 24 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies are unwilling to share records storage space for one reasons or the other. These are:- Project Equipment Corporation Limited, State Trading Corporation of India Limited, Food Corporation of India, Bharat Heavy Electricals Limited, National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, and Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, all in New Delhi; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals

दोनों कोलकाता में; मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी एंड रिसर्च (समीर), मझगांव डॉक लि., एंड भारतीय कपास निगम लि., सभी मुंबई में; नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., नोएडा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरी; नैवली लिग्नाइट निगम लि., नैवेली, सेंटी फार मैटिरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नॉलॉजी, पुणे, आधुनिक प्रशिक्षण संस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशन, देहरादून, खनिज अनुसंधान निगम लि., नागपुर; राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर; पूर्वोत्तर विद्युत ऊर्जा निगम लि., शिलांग; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., गोलाघाट (असम); मारमागांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा; राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा (उत्तर प्रदेश) एवं सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, बड़ोदरा।

5.4 एन्नोर पोर्ट लि. चेन्नई ने सूचित किया है कि यह एक नया संगठन है जो अभी-अभी प्रारंभ हुआ है।

5.5 4 लोक उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि की एक अन्य श्रेणी है जिन्होंने यह सूचना दी है कि स्थान की भागीदारी आवश्यक नहीं है या उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। ये हैं: राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान, नई दिल्ली, इंडियन रेयर अर्थस लि., मुंबई, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लि., एल्लूर एवं हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लि0, न्यूजप्रिंट नगर।

5.6 इस के अलावा इन 14 लोक उपक्रमों ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं:- एन टी पी सी लि., भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि., एवं भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., सभी नई दिल्ली में, हिंदुस्तान केबल्स लि. एवं एंड्रयूल एवं कंपनी लि., दोनों कोलकाता में; भारतीय जहाजरानी निगम लि., मुंबई; भारत पंप एवं कंप्रेसर लि., इलाहाबाद; भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण, कानपुर, जी.बी. पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा; एच एम टी मशीन टूल्स लि., एच एम टी (अंतरराष्ट्रीय) लि., एवं अंतरिक्ष निगम लि., सभी बंगलोर में, तुंगभद्रा स्टील उत्पाद लि., तुंगभद्रा बांध जिला - बेल्लारी एवं तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन।

Limited and Hindustan Copper Limited, both in Kolkata; Mumbai Port Trust, Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Mazagon Dock Limited, and Cotton Corporation of India Limited, all in Mumbai; National Fertilizers Limited, Noida; Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy, Rae Bareilly; Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli; Centre for Materials for Electronics Technology, Pune; Advanced Training Institute – Electronics and Process Instrumentation, Dehradun; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; North Eastern Electric Power Corporation Limited, Shillong; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat (Assam); Mormugao Port Trust, Goa; National Institute for Training of Highway Engineers, Noida (UP) and Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara.

5.4 Ennore Port Limited, Chennai has informed that they are new organisation and just commenced.

5.5 There is yet another category of 4 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. who have forwarded the information that the Sharing of Space is not necessary or not required by them. These are:- National Institute of Immunology, New Delhi; Indian Rare Earths Limited, Mumbai; Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Elloor and Hindustan Newsprint Limited, Newsprint Nagar.

5.6 Besides the following 14 Public Sector Undertakings have sent vague replies:- N.T.P.C Limited, Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, and State Farms Corporation of India Limited, all in New Delhi; Hindustan Cables Limited and Andrew Yule and Company Limited, both in Kolkata; Shipping Corporation of India Limited, Mumbai; Bharat Pumps and Compressors Limited, Allahabad; Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur; G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora; HMT Machine Tools Limited, HMT (International) Limited and Antrix Corporation Limited, all in Bangalore; Tungabhadra Steel Products Limited, Tungabhadra Dam Distt. Bellary and Tuticorin Port Trust, Tuticorin.

अर्ध-प्रचलित अभिलेखों का अभिलेखन, समीक्षा एवं छटाई

प्रत्येक अभिलेख सर्जक अभिकरण अपने दिन-प्रतिदिन के लेन देने में अभिलेखों का सृजन करते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेखों को अत्पावधि के अभिलेखों से पृथक करने के लिए और इनके उचित प्रबंधन/रख-रखाव के लिए भी, उनका समय पर अभिलेखन/समीक्षा/छटाई आदि ऐसे आवश्यक कदम हैं जिन्हें सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा किया जाना आवश्यक है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) (ख) और लोक अभिलेख नियम, 1997 का नियम 9 उपबंधित करता है कि किसी भी अभिलेख को अभिलेखन और समीक्षा के बगैर नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का नियम (9) आगे उपबंधित करता है कि प्रत्येक अभिलेख सर्जक अभिकरण को इस विषय पर अर्ध वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। तदनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों सहित लोक उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि को दिनांक 11 मई 2006 को परिपत्र सं. 16-6/2006 आर एम जारी किया गया था। उन संगठनों की सूची जिन्होंने सूचना भेजी है अनुलग्नक II पर देखी जा सकती है। अन्य परिपत्र सं. 16-12 क/2006 आर एम दिनांक 14.4.2006 में जारी किया गया था। 107 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और 47 लोक उपक्रमों/सांविधिक निकायों ने सूचना भेजी है। सूचना का विश्लेषण निम्नानुसार है:-

6.1 58 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचना भेजी है कि वे इस कार्य को कर रहे हैं; ये इस प्रकार हैं: कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सूचना एवं प्रसारण, रेलवे (रेलवे बोर्ड), जल संसाधन, योजना आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, वाणिज्य, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, वायु सेना मुख्यालय, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय, आयकर महानिदेशालय का कार्यालय (प्रशासन), विस्तार निदेशालय, एकीकृत मुख्यालय की एम एस शाखा (रक्षा मंत्रालय) (थल मंत्रालय), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और क्षेत्रीय परिषद सचिवालय, सभी नई दिल्ली में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, चेन्नई; राष्ट्रीय एटलस थिमेटीक एवं मैपिंग संगठन, जूट विकास निदेशालय और टाउन एवं कट्टी संगठन, सभी कोलकाता में; मुख्य महा डाकपाल कार्यालय, (महाराष्ट्र मंडल), मुंबई (कर्नाटक मंडल), बंगलोर और (उड़ीसा मंडल), भुवनेश्वर एवं (उ.प्र. मंडल), लखनऊ मुख्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुंबई-1 और वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), दोनों मुंबई में; क्षेत्रीय कार्यालय, उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय, विधि मामले विभाग की शाखा सचिवालय एवं केंद्रीय मत्स्यकी तटीय इंजीनियरी संस्थान, सभी बंगलोर में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय मत्स्यकी, सामुद्रिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, दोनों कोचीन में; टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़; भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केंद्र, पालाजी, गांधी नगर (गुजरात); भारतीय मत्स्यकी सर्वेक्षण, मारमागांव-गोवा, मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, हैदराबाद, ज्वार विकास निदेशालय एंड नमक आयुक्त कार्यालय, दोनों जयपुर में; रेलवे सुरक्षा आयोग, लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय

RECORDING, REVIEWING AND WEEDING OUT OF SEMI-CURRENT RECORDS

Every Records Creating Agency creates records in their day to day transaction. To segregate the important records from those of ephemeral ones and also for their proper management/ maintenance, their timely recording/ reviewing/ weeding are the essential steps which are required to be taken by all records creating agencies. The Section 6(1) (b) of the Public Records Act, 1993 and Rule 9 of Public Records Rule, 1997 stipulates that no records shall be destroyed without being recorded and reviewed. Rule 9(1) of the Public Records Rules, 1997 further stipulates that each records creating agency should furnish half-yearly returns on the subject. Accordingly, a Circular letter No. 16-6/2006-RM, dated 11 May 2006 was issued to all the Ministries/ Departments/ Offices including Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. A list of Organisations who have sent information may please be seen in Annexure II. In response to another Circular letter No. 16-12A/2006-RM, dated 14.4.2006 was issued. 107 Ministries/ Departments/ Offices and 47 Public Sector Undertakings/ Statutory bodies etc. have sent information. The analysis of information is given below:-

6.1 58 Ministries/ Departments/ Offices have informed that they are attending the job. These are:- Ministries of Agriculture and Cooperation, Defence, Health and Family welfare, Information and Broadcasting, Railways (Railway Board), Water Resources, Planning Commission, Prime Minister's Office, Departments of Chemicals and Petrochemicals, Commerce, Information and Technology, Telecommunications, Air Headquarters, Directorate General of Supplies and Disposals, Office of the Directorate General of Central Reserve Police Force, Office of the Director General of Income Tax (Administration), Directorate of Extension, MS Branch of Integrated Headquarters (Ministry of Defence) (Army), Council of Scientific and Industrial Research and Zonal Councils Secretariat, all in New Delhi; Office of the Commissioner of Central Excise, Chennai; National Atlas Thematic and Mapping Organisation, Directorate of Jute Development and Town and Country Planning Organisation, all in Kolkata; Offices of the Chief Post Master General, (Maharashtra Circle), Mumbai; (Karnataka Circle), Bangalore and (Orissa Circle), Bhubaneswar and (UP Circle), Lucknow; Office of the Chief Commissioner of Central Excise, Mumbai-I and Wildlife Regional Office (Ministry of Environment and Forests), both in Mumbai; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer; Office of the Commissioner of Central Excise, Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Branch Secretariat of Department of Legal Affairs and Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, all in Bangalore; Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum; Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Bhubaneswar; Directorate of Marketing and Inspection, Calicut; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, both in Cochin; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Forest Survey of India, Dehradun; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Palaji, Gandhinagar (Gujarat); Fishery Survey of India, Marmagao-Goa; Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Hyderabad; Directorate of Millets Development and Office of the Salt Commissioner,

प्रशासन अकादमी, मसूरी; मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय एवं भारतीय खान ब्यूरो, दोनों नागपुर में; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नासिक रोड; उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, पुणे; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), जम्मू एवं काश्मीर, श्रीनगर; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद।

6.2 48 संगठनों ने शून्य सूचना भेजी है। ये हैं: प्रकाशन विभाग, डाटा प्रबंधन निदेशालय, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, आयकर आयुक्त कार्यालय (अपील-24), टाउन एंड कंट्री संगठन, वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, सभी नई दिल्ली में; सीमा शुल्क आयुक्त (निवारण) कार्यालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, बी.सी.जी टीकाकरण प्रयोगशाला, केंद्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, सभी चेन्नई में; पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला एवं भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, सभी कोलकाता में; दक्षिणी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आ.प्र.) दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), भोपाल; मुख्य महाडाक पाल कार्यालय (उत्तरांचल मंडल), देहरादून; सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, पणजी-गोवा, पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, मारमागांव, गोवा; राष्ट्रीय जैव कृषि केंद्र, गाजियाबाद; उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण केंद्र एवं परीक्षण संस्थान, हिसार (हरियाणा); केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड, जिला-सूरत (गुजरात) और जिला संबलपुर (उड़ीसा); विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय एवं राष्ट्रीय जैव कृषि केंद्र, दोनों हैदराबाद में; संयुक्त निदेशक, सी.जी.एच.एस कार्यालय, जबलपुर, आयकर आयुक्त कार्यालय, जालंधर आयकर आयुक्त (अपील-1) कार्यालय, कानपुर; सीमा एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय और राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, दोनों पुणे में; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय चेन्नई एवं चंडीगढ़ और जयपुर; फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर; चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, करनाल; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, डाकोपग्रा-तूरा, मेघालय, पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, मंडपम कैप; परियोजना मूल्यांकन कार्यालय अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ, गुवाहाटी, पटना और तिरुवानंतपुरम, आयकर आयुक्त कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), दोनों शिमला में; सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय (निवारक), उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, उत्तर पूर्व क्षेत्र (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) दोनों शिलांग में; सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, तूतीकोरिन, सीमा शुल्क आयुक्तालय; कार्यालय, त्रिची।

6.3 विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय दक्षिणी केंद्रीय क्षेत्र कार्यालय ने सूचित किया है कि उनकी स्थापना बहुत ही छोटी है जिसमें बहुत सीमित अभिलेख हैं, अधिकतर अभिलेख उनके मुख्यालय, फरीदाबाद और शाखा मुख्य कार्यालय, नागपुर में रखे जाते हैं।

6.4 कुल 47 लोक उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने सूचना भेजी है जिसमें से केवल 22 ने सूचित किया है कि वे इस कार्य को कर रहे हैं। ये हैं: भारतीय खाद्य निगम, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., और परियोजना उपकरण निगम लि., सभी नई दिल्ली में; बंगाल केमिकल्स एंड फार्मासियुटिकल्स लि. और हिंदुस्तान कॉपर लि. दोनों कोलकाता में; भारतीय कपास निगम लि., मझगांव डॉक लि., और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, सभी मुंबई में, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लि., एल्लोर; नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नोएडा, नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नैवेली; हिन्दुस्तान

both in Jaipur; Commission of Railway Safety, Lucknow; Lal Bahadur Shastri National Academy Administration, Mussoorie; Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Indian Bureau of Mines, both in Nagpur; Directorate of Marketing and Inspection, Nasik Road; Office of the Commissioner of Central Excise, Pune; Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur; Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), J&K, Srinagar; Regional Evaluation Offices, Kolkata, Mumbai and Hyderabad.

6.2 48 Organisations have furnished NIL report. These are:- Department of Publication, Directorate of Data Management, Central Excise and Customs, Office of the Commissioner of Income Tax (Appeals-24), Town and Country Planning Organisation, Wildlife Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Central Pension Accounts Office, all in New Delhi; Office of the Commissioner of Customs (Preventive), Office of the Commissioner of Central Excise, BCG Vaccine Laboratory, Central Drugs Testing Laboratory, all in Chennai; Port Health Organisation, Central Food Laboratory and Anthropological Survey of India, all in Kolkata; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (AP); Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Bhopal; Office of the Chief Post Master General (Uttaranchal Circle), Dehradun; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa; Port Health Organisations, Marmagao, Goa; National Centre of Organic Farming, Ghaziabad; Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar (Haryana); Central Cattle Breeding Farms, Dhamrod, Distt. Surat (Gujarat) and Distt. Sambalpur (Orissa); Directorate of Marketing and Inspection and National Centre for Organic Farming, both in Hyderabad; Office of the Joint Director, CGHS, Jabalpur; Office of the Commissioner of Income Tax, Jalandhar; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal-I), Kanpur; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise and National Film Archive of India, both in Pune; Regional Evaluation Offices, Chennai and Chandigarh and Jaipur; Foremen Training Institute, Jamshedpur; Government Medical Store Depot, Karnal; Regional Vocational Training Institute for Women, Dakopgra-Tura, Meghalaya Port Health Organisation, Mandapam Camp; Project Evaluation Offices Ahmedabad, Bhopal, Lucknow; Guwahati, Patna and Thiruvananthapuram; Office of the Commissioner of Income Tax and Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), both in Shimla; Office of the Commissioner of Customs (Preventive), North Regional Office, North Eastern Region (Ministry of Environment and Forests), both in Shillong; Office of the Commissioner of Customs, Tuticorin, Office of the Customs Commissionerate, Trichy.

6.3 South Central Regional Office of the Directorate of Marketing and Inspection has informed that there is a small establishment with very limited records, bulk of records are maintained at their Head Office, Faridabad and Branch Head Office, Nagpur.

6.4 In all 47 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have furnished information out of which only 22 have reported that they are attending the job. These are:- Food Corporation of India, Bharat Heavy Electricals Limited, National Institute of Immunology, National Small Industries Corporation Limited and Project Equipment Corporation Limited, all in New Delhi; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited and Hindustan Copper Limited, both in Kolkata; Cotton Corporation of India Limited, Mazagon Dock Limited, and Mumbai Port Trust, all in Mumbai; Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Elloor; National Fertilizers Limited, Noida; Neyveli Lignite Corporation

लेटेक्स लि., तिरुवानंतपुरम, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लि., न्यूजप्रिंट नगर; आधुनिक प्रशिक्षण संस्थान इलेक्ट्रानिक्स एंड प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशन, देहरादून, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर; पूर्वोत्तर विद्युत ऊर्जा निगम लि., शिलांग; नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., गोलाघाट (असम); मारमागांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा; सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, बडोदरा।

6.5 भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, नई दिल्ली, इंडियन रेयर अर्थ्स लि., मुंबई और खनिज अनुसंधान निगम लि., नागपुर ने सूचित किया है कि अर्ध प्रचलित अभिलेखों के अभिलेखन, समीक्षा और छंटाई के लिए उपाय किए जा रहें हैं।

6.6 एन्नोर पोर्ट लि., चेन्नई ने सूचित किया है कि ये एक नया संगठन है जो अभी-अभी प्रारंभ हुआ है।

6.7 निम्न 7 लोक उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने सूचित किया है कि वे इस कार्य को कर रहे हैं। ये हैं : भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, दोनों नई दिल्ली में; सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी एंड रिसर्च (समीर), मुंबई; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली; सेंटर फॉर मैटिरियल्स फार इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे, टिहरी जल विकास निगम लि. ऋषिकेश और राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा (उत्तर प्रदेश)।

6.8 निम्न 14 लोक उपक्रमों/आयोगों/आयोग/वैधानिक निकायों ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं: एन टी पी सी. लि. भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि., और राज्य फार्म निगम लि., सभी नई दिल्ली में; एंड्रयूल एंड कंपनी लि., मुंबई; जी.बी. पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा; भारत पंप एवं कंप्रेसर लि., इलाहाबाद, एच एम टी मशीन टूल्स लि., एच.एम.टी (अंतरराष्ट्रीय) लि. और अंतरिक्ष निगम लि., सभी बंगलोर में; तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि., तुंगभद्रा बांध, जिला बेल्लारी, तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन; एवं भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर।

6.5 Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, New Delhi; Indian Rare Earths Limited, Mumbai; and Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur have informed that the steps are being taken up for recording reviewing and weeding of semi-current records.

6.7 The following 7 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have informed that they are not doing the job these are:- State Trading Corporation of India Limited, National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, both in New Delhi; Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Mumbai; Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy, Rae Bareilly; Centre for Materials for Electronics Technology, Pune; Tehri Hydro Development Corporation Limited, Rishikesh and National Institute for Training of Highway Engineers, Noida (UP).

6.8 The following 14 Public Sector Undertakings/ Commissions/ Commissioned/ Statutory Bodies have sent vague replies. N.T.P.C Limited, Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, and State Farms Corporation of India Limited, all in New Delhi; Andrew Yule and Company Limited, and Hindustan Cables Limited, both in Kolkata; Shipping Corporation of India Limited, Mumbai; G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora; Bharat Pumps and Compressors Limited, Allahabad; HMT Machine Tools Limited, HMT (International) Limited and Antrix Corporation Limited, all in Bangalore; Tungabhadhra Steel Products Limited, Tungabhadhra Dam, Distt. Bellary; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; and Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur.

अध्याय-7

अभिलेखों की सूची बनाना

दक्ष अभिलेख के लिए, अभिलेख सर्जक अभिकरण अधिकांशतः अपने सूचना प्राप्ति प्रणाली की दक्षता पर निर्भर करते हैं। कोई भी सूचना जो पहले से ही अभिलेखों में विद्यमान है उन्हें आवश्यकता पड़ने पर तुरंत प्राप्त किया जाना चाहिए जिससे कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके। यह महत्वपूर्ण प्राप्ति उपकरण अभिलेखों की संसूची है। इसको ध्यान में रखते हुए, मैं अपने पहले की रिपोर्टों में भी यह बल देता रहा हूँ कि अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा 'क' व 'ख' अभिलेख श्रेणी की संसूचियों को एकत्र करने को शीर्ष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तथापि, संगठनों से प्राप्त उत्तर बहुत उत्साहवर्धक नहीं हैं क्योंकि सूचना के विश्लेषण ने दर्शाया कि विद्यमान परिस्थिति में कोई प्रशंसनीय परिवर्तन नहीं हुआ है।

7.1 राष्ट्रीय अभिलेखागार ने दिनांक 14 अप्रैल, 2006 के अपने परिपत्र सं.-16-12-क/2006-आर.एम. द्वारा अनुरोध किया कि सभी अभिलेख सर्जक अभिकरण इस संबंध में अपनी सूचना भेजें, केवल 154 संगठनों ने सूचना भेजी, जिसमें से 107 मंत्रालयों/विभागों और 47 लोक उपक्रम/वैधानिक निकाय आदि हैं।

7.2 निम्न 11 अभिलेख सर्जक अभिकरणों ने सूचित किया कि उन्होंने संसूचियों का संकलन कर लिया है या संकलन प्रगति पर है। ये हैं: जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि 1979-1985 अवधि के लिए उनके अभिलेखों की सूचियों का संकलन किया जा रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस, बल महानिदेशालय, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि वार्षिक सूचियों के संकलन का कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नई ने सूचित किया कि वे बंध पंजी बाउंड रजिस्टर में फाइल सूचियों का रखरखाव कर रहे हैं। राष्ट्रीय एटलस थैमैटिक एवं मैपिंग संगठन कोलकाता, वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), मुंबई; मुख्य महा डाक पाल कार्यालय (कर्नाटक मंडल) और (उड़ीसा मंडल), भुवनेश्वर; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, बेलगांव; मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, हैदराबाद; रेलवे सुरक्षा आयोग, लखनऊ और क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर ने सूचित किया है कि अभिलेखों की वार्षिक सूचियों का संकलन किया जा रहा है।

7.3 निम्न 96 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने सूचित किया है कि वे वार्षिक सूचियों का संकलन नहीं कर रहे वे ऐसा आवश्यक नहीं समझते और उन्होंने 'शून्य-सूचना भेजी है। ये हैं:- कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सूचना एवं प्रसारण, रेलवे (रेलवे बोर्ड), योजना आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, वाणिज्य, (आपूर्ति प्रभाग), सूचना एवं प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, वायुसेना, मुख्यालय, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, आयकर महानिदेशक का कार्यालय (प्रशासन), विस्तार निदेशालय, डाटा प्रबंधन निदेशालय, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, आयकर आयुक्त (अपील-24) कार्यालय, आयकर निपटान आयोग, सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग, एकीकृत मुख्यालय की एम एस शाखा रक्षा मंत्रालय (सेना), वन्यजीवन क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), केंद्रीय पेंशन

INDEXING OF RECORDS

For an efficient administration, a records creating agency often depends on efficiency of its information retrieving Mechanism. Any information which already exists in records should be expeditiously culled out when it is required so as to facilitate the decision making process. One of the important retrieving tools is the indices to records. Keeping this in view, I have been emphasizing in my earlier reports as well, that top priority should be given by the Records Creating Agencies for compiling Indices of A and B Category of records. However, the response received from the organisations is not very encouraging as the analysis of the information shown no appreciable change in the existing situation.

7.1 The National Archives of India vide its Circular letter No.16-12-A/2006-RM, dated 14 April, 2006 requested to all Records Creating Agencies to furnish information in this regard. In all 154 Organisations have furnished information, out of these 107 are Ministries/ Departments/ Offices and 47 Public Sector Undertakings/ Statutory bodies etc.

7.2 The following 11 records creating agencies have informed that they have compiled or compilation of indices is in progress. These are:- Ministry of Water Resources, New Delhi has intimated that the indices of their records are being compiled for the period 1979-1982. Directorate General of Central Reserve Police Force, New Delhi has intimated that the job for compiling of annual indices is being undertaken. Central Drugs Testing Laboratory, Chennai has informed that they are maintaining file indices in bound registers. National Atlas Thematic and Mapping Organisation, Kolkata; Wildlife Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Mumbai; Office of the Chief Post Master General, (Karnataka Circle), Bangalore and (Orissa Circle), Bhubaneswar; Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum; Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Hyderabad; Commission of Railway Safety, Lucknow and Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare) Jammu and Kashmir, Srinagar have informed that they are being compiled the annual indices of records.

7.3 The following 96 Ministries/ Departments/ Offices have informed that they are not compiling annual indices, not feel necessary and sent 'NIL' reports. These are:- Ministry of Agriculture and Cooperation, Defence, Health and Family Welfare, Information and Broadcasting, Railways (Railway Board), Planning Commission, Prime Minister's Office, Department of Chemical and Petrochemicals, Commerce (Supply Division), Information and Technology, Telecommunications, Air Headquarters, Directorate General of Supplies and Disposals, Office of the Director General of Income Tax (Administration), Directorate of Extension, Directorate of Data Management, Central Excise and Customs, Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal-24), Income Tax Settlement Commission, Armed Forces Film and Photo Division, MS Branch of Integrated Headquarter of Ministry of Defence (Army), Wildlife Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Central Pension Accounts Office (Ministry of Finance), Council of Scientific and Industrial Research and Zonal Councils Secretariat, all in New Delhi; Office of the Chief Commissioner of Customs (Preventive), Office of

लेखा कार्यालय (वित्त मंत्रालय), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और क्षेत्रीय परिषद सचिवालय, सभी नई दिल्ली में; मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त (निवारण) कार्यालय, केंद्रीय सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, बी.सी.जी टीकाकरण प्रयोगशाला, सभी चेन्नई में; जूट विकास निदेशालय, जूट आयुक्त कार्यालय, पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, टाउन एंड कंट्री संगठन, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, सभी कोलकाता में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्य आयुक्त कार्यालय, मुंबई; मुख्य महाडाक पाल कार्यालय, (महाराष्ट्र मंडल), वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) सभी मुंबई में; दक्षिणी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आं.प्र.) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का कार्यालय, अजमेर; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय, विधि मामले विभाग का शाखा सचिवालय और केंद्रीय मत्स्यिकी एवं तटीय इंजीनियरी संस्थान, सभी बंगलोर में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय, बेलगांव; पूर्वी क्षेत्र कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), भोपाल एवं भुवनेश्वर; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कालीकट, टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय एवं केंद्रीय मत्स्य उद्योग, सामुद्रिक एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, दोनों कोचीन में; मुख्य महा डाकपाल कार्यालय और भारतीय वन सर्वेक्षण, दोनों देहरादून में; केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड़, जिला, सूरत (गुजरात) और संबलपुर (उड़ीसा); सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, पणजी, गोवा; क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केंद्र, पालाजी, गांधीनगर, पोर्ट स्वास्थ्य संगठन और भारतीय मत्स्यिकी सर्वेक्षण, दोनों मारमागांव, गोवा में; राष्ट्रीय जैव कृषि केंद्र गाजियाबाद; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, हैदराबाद; उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार (हरियाणा); संयुक्त निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर कार्यालय, ज्वार विकास निदेशालय एवं नमक आयुक्त कार्यालय, दोनों जयपुर में; आयकर (अपील) आयुक्त कार्यालय, जालंधर, फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर, आयकर आयुक्त कार्यालय, कानपुर, सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, करनाल; मुख्य महा डाक पाल कार्यालय, (यू.पी. मंडल), लखनऊ, पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, मंडपम कैंप, क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, डाकापोगा-तूरा, मेघालय, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो एवं केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, आयुक्त कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो एवं केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय एवं राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, दोनों पुणे; में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, रायपुर; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय एवं पूर्वी क्षेत्र कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), दोनों शिलांग में; आयकर आयुक्त कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), श्रीनगर; सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, तूतीकोरिन; सीमा शुल्क आयुक्तालय का कार्यालय, त्रिची; क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई; मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर एवं लखनऊ, परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद, भोपाल, गुवाहाटी, पटना और तिरुवनंतपुरम।

7.4 सभी 47 लोक उपक्रमों/समितियों/ निगमों आदि ने इस विभाग के परिपत्र का उत्तर दिया। जिनमें से केवल तीन ने सूचित किया कि वे संसूचना का कार्य कर रहे हैं। ये हैं : राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान, नई दिल्ली, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई और मारमागांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा।

7.5 खनिज अनुसंधान निगम लि., नागपुर ने सूचित किया कि इस कार्य को जल्द ही कर दिया जाएगा।

the Commissioner of Central Excise, BCG Vaccine, Laboratory, all in Chennai; Directorate of Jute Development, Office of the Jute Commissioner, Port Health Organisation, Town and Country Planning Organisation, Anthropological Survey of India and Government of India Stationery Office, all in Kolkata; Office of the Chief Commissioner of Central Excise, Mumbai-I, Office of the Chief Post Master General, (Maharashtra Circle), Wildlife Regional Office (Ministry of Environment and Forests), all in Mumbai; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (AP); Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer; Office of the Commissioner of Central Excise, Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Branch Secretariat of Department of Legal Affairs and Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, all in Bangalore; Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum; Eastern Regional Offices (Ministry of Environment and Forests), Bhopal and Bhubaneswar; Directorate of Marketing and Inspection, Calicut; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Office of the Regional Labour Commissioner (Central) and Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, both in Cochin; Office of the Chief Post Master General and Forest Survey of India, both in Dehradun; Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod, Distt., Surat (Gujarat) and Sambalpur (Orissa); Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji, Goa; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Palaji, Gandhinagar; Port Health Organisations and Fishery Survey of India, both in Marmagao, Goa; National Centre of Organic Farming Ghaziabad; Directorate of Marketing and Inspection, Hyderabad; North Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar (Haryana); Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Directorate of Millets Development and Office of the Salt Commissioner, both in Jaipur; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal), Jalandhar, Foremen Training Institute, Jamshedpur; Office of the Commissioner of Income Tax, Kanpur; Government Medical Store Depot, Karnal; Office of the Chief Post Master General, (UP Circle), Lucknow; Port Health Organisation, Mandapam Camp, Regional Vocational Training Institute for Women, Dakapgre-Tura, Meghalaya; Lal Bahadur Shastri National Academy Administration, Mussoorie; Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Indian Bureau of Mines and Central Agmark Laboratory, all in Nagpur; Office of the Commissioner of Central Excise and National Film Archive of India, both in Pune; Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur; Office of the Commissioner of Central Excise and Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), both in Shillong; Office of the Commissioner of Income Tax and Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), both in Shimla; Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare) Jammu and Kashmir, Srinagar; Office of the Commissioner of Customs, Tuticorin; Office of the Customs Commissionerate, Trichy; Regional Evaluation Offices, Chennai; Mumbai; Kolkata; Chandigarh; Hyderabad; Jaipur and Lucknow; Project Evaluation Offices, Ahmedabad; Bhopal; Guwahati; Patna and Thiruvananthapuram.

7.4 In all 47 Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations etc. have responded to the Circular letter of this Department. Out of which only 3 have informed that they are doing the job of Indexing. These are:- National Institute of Immunology, New Delhi; Mumbai Port Trust, Mumbai and Mormugao Port Trust, Goa.

7.5 Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur has informed that the job will be taken up soon.

7.6 एन्नोर पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई ने सूचित किया कि यह नया संगठन है जो अभी प्रारंभ हुआ है।

7.7 निम्न 21 लोक उपक्रमों/सांविधिक निकायों आदि ने सूचित किया कि वे अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। ये हैं: भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., भारतीय खाद्य निगम, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, सभी नई दिल्ली में; बंगाल केमिकल्स एंड फार्मासियुटिकल्स लि., और हिंदुस्तान कॉपर लि., दोनों कोलकाता में; इंडियन रेयर अर्थस लि., और सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी एंड रिसर्च (समीर), दोनों मुंबई में, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लि., एल्लूर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., नोएडा; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली; नेवेली लिग्नाइट निगम लि., नेवेली हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, न्यूजप्रिंट नगर, आधुनिक प्रशिक्षण संस्थान — इलेक्ट्रानिक्स एंड प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशन, देहरादून; राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी, भुवनेश्वर राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कापॉशन लि., फरीदाबाद, टिहरी जल विकास निगम लि., ऋषिकेश, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., गोलाघाट (असम) एवं सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, बड़ोदरा।

7.8 निम्न 7 संगठनों ने सूचित किया है कि ये उन पर लागू नहीं होता। परियोजना उपकरण निगम लि. और भारतीय जन जाति सहकारी विपणन विकास संघ लि., दोनों नई दिल्ली में; भारतीय कपास निगम लि., और मजगांव डाक लि., दोनों मुंबई में, सेंटर फॉर मटिरियल्स फॉर इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे; पूर्वोत्तर विद्युत ऊर्जा निगम लि. शिलांक; और राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा।

7.9 निम्न 14 लोक उपक्रमों/सांविधिक निकायों ने अस्पष्ट उत्तर दिए हैं:— एन.टी.पी.सी लि., भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि., और भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., सभी नई दिल्ली में; एंड्रयूल एंड कंपनी लि. और हिंदुस्तान केबल्स लि. दोनों कोलकाता में, भारतीय जहाजरानी निगम लि., मुंबई; जी. बी. पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा; भारत पंप एवं कंप्रेसर लि., इलाहाबाद, एच.एम.टी मशीन टूल्स लि. एवं एच.एम.टी (अंतरराष्ट्रीय) लि. एवं अंतरिक्ष निगम लि., सभी बंगलोर में, तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि., तुंगभद्रा बांध, जिला बेल्लारी, तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर।

अभिलेखों के प्रतिधारण सारणी का संकलन

यह एक ऐसी सुनिर्मित अभिलेख प्रतिधारण समय सारणी है जो विभिन्न अभिलेख समूहों की प्रतिधारण अवधि को विदित करती है। ये प्रशासकों के हाथ में आवश्यक अभिलेखों और अल्पकालिक प्रति के अभिलेखों के बीच तार्किक अनुपात को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक औजार है। इसको ध्यान में रखते हुए अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 6(1)(ड) निर्धारित करती है कि सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों को अभिलेखों के लिए प्रतिधारण समय सारणी बनानी चाहिए और राष्ट्रीय अभिलेखागार से इसकी पुनरीक्षा करवानी चाहिए। इसके अलावा ऐसी प्रतिधारण समय सारणियों को हर पांच साल के बाद संशोधित करना नितांत अनिवार्य है क्योंकि संगठन के प्रशासन में परिवर्तन के कारण नए विषयों को सम्मिलित करने और पुराने विषयों को निकालने की संभावना होती है और तदनुसार ऐसे अभिलेख समूहों के लिए प्रतिधारण अवधि को निर्धारित किया जाना होता है

8.1 दिनांक 14 अप्रैल, 2006 के हमारे परिपत्र सं. 16-12 क/2006 आर एम के उत्तर में 107 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि तथा 47 लोक उपक्रमों/वैधानिक निकायों आदि ने उत्तर दिया। उत्तरों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:-

8.2 निम्न 32 कार्यालयों ने सूचित किया है कि उन्होंने प्रतिधारण समय सारणी का संकलन किया है ये हैं: कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सूचना एवं प्रसारण, रेलवे (रेलवे बोर्ड), जल संसाधन, योजना आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय, टाउन एंड कंट्री आयोजना संगठन, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय की एम एस शाखा (सेना) क्षेत्रीय परिषद सचिवालय सभी नई दिल्ली में; केंद्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नई राष्ट्रीय मंत्रालय थिमेटिक एवं मैपिंग संगठन एवं भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय सभी कोलकाता में, दक्षिणी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आं.प्र.) मुख्य महा डाकपाल कार्यालय, (उड़ीसा मंडल) एवं पूर्वी क्षेत्र कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) दोनों भुवनेश्वर में; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कालीकट; सीमांत बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़, केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड जिला सूरत (गुजरात), नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर, मुख्य महाडाकपाल कार्यालय (उ.प्र.मंडल) और रेलवे सुरक्षा आयोग, दोनों लखनऊ में; पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, मंडपम कैप, और भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।

8.3 65 कार्यालय ऐसे हैं जिन्होंने अपने अभिलेखों की प्रतिधारण समयसूची संकलित नहीं की है और 'शून्य' सूचना भेजी है। ये हैं: प्रकाशन विभाग, वायुसेना मुख्यालय, आयकर आयुक्त (प्रशासन) महानिदेशालय कार्यालय, विस्तार निदेशालय, डाटा प्रबंधन निदेशालय, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, आयकर निपटान आयोग कार्यालय, सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रमाण, वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण वन एवं मंत्रालय) और केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय। सभी नई दिल्ली में; जूट विकास निदेशालय जूट आयुक्त

COMPILATION OF RETENTION SCHEDULE OF RECORDS

A well prepared records retention schedule which prescribes retention periods of various records groups is an important administrative tool in the hand of the administrators for maintaining a reasonable ratio between the records of vital importance and those which are of ephemeral nature. Keeping this in view, Section 6(1) (e) of the Public Records Act, 1993, lays down that all records creating agencies should frame a Retention Schedule for Records and get it vetted by the National Archives of India. Further, revision of such retention schedule after every fifth year becomes absolutely essential as new subjects are likely to be included or some old subjects to be excluded due to administrative changes in the organisations and retention period for such records groups have to be determined accordingly.

8.1 In response to our circular letter No.16-12A/2006-RM, dated 14 April, 2006, 107 Ministries/ Departments/ Offices etc. 47 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. have responded. A detailed analysis of the replies is given below.

8.2 The following 32 Offices have informed that they have compiled retention schedule. These are:- Ministries of Agriculture and Cooperation, Defence, Health and Family Welfare, Information and Broadcasting, Railways (Railway Board), Water Resources, Planning Commission, Prime Minister's Office, Department of Chemicals and Petrochemicals, Information and Technology, Telecommunications, Directorate of Supplies and Disposals, Town and Country Planning Organisation, Council of Scientific and Industrial Research, MS Branch of Integrated Headquarter of Ministry of Defence (Army), Zonal Councils Secretariat, all in New Delhi; Central Drugs Testing Laboratory, Chennai; National Atlas Thematic and Mapping Organisation and Government of India Stationary Office, all in Kolkata; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (AP); Office of the Chief Post Master General, (Orissa Circle) and Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests, both in Bhubaneswar; Directorate of Marketing and Inspection, Calicut; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod, Distt., Surat (Gujarat); Office of the Salt Commissioner, Jaipur; Office of the Chief Post Master General (UP Circle) and Commission of Railway Safety, both in Lucknow; Port Health Organisation, Mandapam Camp; and Indian Bureau of Mines, Nagpur.

8.3 There are 65 offices which have not compiled Retention Schedule of their records and furnished 'NIL' reports. These are:- Department of Publication, Air Headquarters, Office of the Directorate General of Income Tax (Administration), Directorate of Extension, Directorate of Data Management Central Excise and Customs, Office of the Income Tax Settlement Commission, Armed Forces Film and Photo Division, Wildlife Regional Office (Ministry of Environment and Forests) and Central Pension Accounts Office, all in New Delhi; Directorate of Jute Development, Office of the Jute Commissioner, Port Health Organisation, Anthropological Survey of India and Central Food Laboratory, all in Kolkata; Office of the Chief Post Master General, Maharashtra Circle, Office of the Commissioner

कार्यालय, पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण और केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला सभी कोलकाता में; मुख्य महाडाकपाल कार्यालय, महाराष्ट्र मंडल, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, मुंबई-1, वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) और परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, सभी मुंबई में; उप मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय (केन्द्रीय), अजमेर, क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केंद्र, पालाजी, गाँधी नगर; मुख्य महाडाकपाल कार्यालय (केंनाटक मण्डल), उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, केन्द्रीय तटीय इंजीनियरी मत्स्यिकी संस्थान एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, सभी बंगलोर में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय कार्यालय, बेलगांव; क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिमी क्षेत्र (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), भोपाल, केन्द्रीय मत्स्यिकी सामुद्रिक एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, दोनों कोचीन में, मुख्य महाडाकपाल कार्यालय (उत्तरांचल मण्डल), और भारतीय वन सर्वेक्षण दोनों देहरादून में; राष्ट्रीय जैव कृषि केंद्र, गाजियाबाद, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, पणजी-गोवा, भारतीय मत्स्यिकी सर्वेक्षण, मारमागाँव-गोवा, उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार (हरियाणा), मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद, संयुक्त निदेशक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर, आयकर (अपील) आयुक्त कार्यालय, जालंधर, आयकर आयुक्त कार्यालय, कानपुर, सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार, करनाल; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, डाकपग्रे-तूरा, मेघालय, लाल बाहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय पुणे, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नासिक रोड मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय नागपुर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय रायपुर, केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म चिपलिमा संबलपुर (उड़ीसा) सोमा शुल्क (निवारण) आयुक्त कार्यालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), शिलांग सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय, निजी क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई कोलकाता मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर एवं लखनऊ, परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद, भोपाल, गुवाहाटी, पटना और तिरुवनंतपुरम।

8.4 निम्न कार्यालयों ने सूचित किया है कि उनकी अपनी प्रतिधारण समय सारणी है, ये हैं; केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय, नई दिल्ली, बी सी जी टीका प्रयोगशाला, चेन्नई; विधि मामले विभाग का शाखा सचिवालय, बंगलौर एवं मुख्य महाडाकपाल (उ.प्र. मण्डल) कार्यालय लखनऊ।

8.5 निम्न तीन कार्यालयों ने प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी अभिलेख प्रतिधारण समय-सारणी का अनुपालन किया है। ये हैं:- दूरसंचार विभाग, वाणिज्य, दोनों नई दिल्ली में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर।

8.6 सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, चेन्नई ने सूचित किया कि उनका कार्यालय नया स्थापित हुआ है और अभी तक अभिलेख प्रतिधारण सारणी का संकलन नहीं किया गया है, केन्द्रीय दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, हैदराबाद ने सूचित किया है कि उनका कार्यालय छोटा है, अधिकांश अभिलेखों का रख रखाव उनके मुख्यालय, फरीदाबाद द्वारा किया जाता है। ज्वार विकास निदेशालय, जयपुर ने सूचित किया है कि यह कार्य कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। जन संपर्क अधिकारी, मुम्बई ने सूचित किया है कि उन्होंने समस्त कार्यालयों को परिपत्र की प्रतिलिपि भेजी है कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार को अपेक्षित सूचना भेजें।

of Central Excise, Mumbai-I; Wildlife Regional Office (Ministry of Environment and Forests) and Project Evaluation Offices, all in Mumbai; Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Ajmer; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Palaji-Gandhinagar; Office of the Chief Post Master General (Karnataka Circle), Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Central Institute of Coastal Engineering for Fisheries and office of the Commissioner of Central Excise, all in Bangalore; Office of the Commissioner of Central Excise, Office of the Regional Labour Commissioner (Central) Belgaum; Regional Office, Western Region (Ministry of Environment and Forests), Bhopal; Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, both in Cochin; Office of the Chief Post Master General, (Uttaranchal Circle), and Forest Survey of India, both in Dehradun; National Centre for Organic Farming, Ghaziabad; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa; Fishery Survey of India, Marmagao, Goa; Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar (Haryana); Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Hyderabad; Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Office of the Salt Commissioner, Jaipur; Foremen Training Institute, Jamshedpur; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal), Jalandhar; Office of the Commissioner of Income Tax, Kanpur; Government Medical Store, Karnal; Regional Vocational Training Institute for Women, Dakapgre-Tura, Meghalaya, Lal Bhadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Office of the Commissioner of Central Excise, Pune; Directorate of Marketing and Inspection, Nasik Road; Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Nagpur; Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur; Central Cattle Breeding Farm, Chiplima, Sambalpur (Orissa); Office of the Commissioner of Customs (Preventive) North Eastern Region, Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Shimla; North Eastern Region Office (Ministry of Environment and Forests), Shillong. Office of the Commissioner of Customs Commissionerate, Trichy; Regional Evaluation Offices, Chennai; Kolkata; Mumbai; Chandigarh; Hyderabad; Jaipur and Lucknow; Project Evaluation Offices, Ahmedabad; Bhopal; Guwahati; Patna and Thiruvananthapuram.

8.4 The following offices have informed that they have their own Retention Schedule. These are:- Directorate General of Central Reserve Police Force, New Delhi; BCG Vaccine, Laboratory, Chennai; Branch Secretariat of Department of Legal Affairs, Bangalore; and Office of the Chief Post Master General, (UP Circle), Lucknow.

8.5 The Following 3 Offices followed the Records Retention Schedule issued by Department of Administrative Reforms and Public Grievances, These are:- Department of Telecommunications and Commerce, both in New Delhi; Regional Office of Ministry of Health and Family Welfare, Jammu and Kashmir, Srinagar.

8.6 Office of the Commissioner of Customs, Chennai has informed that their office is newly established and that a retention schedule of records has not yet been compiled. Southern Central Regional Office of the Directorate of Marketing and Inspection, Hyderabad has informed there is a small office, bulk of records maintained by their Head Office, Faridabad. Directorate of Millets Development, Jaipur has intimated that this work is being done by Ministry of Agriculture and Cooperation, New Delhi. Public Relation Officer, Mumbai has informed that they have sent a copy of Circular to all offices to furnish the requisite information to National Archive of India.

8.7 जहाँ तक लोक उपक्रमों/वैधानिक निकायों आदि का संबंध है उन 47 संगठनों में से जिन्होंने इस संबंध में सूचना भेजी है उनमें से 11 ने सूचित किया है कि उन्होंने अभिलेख या प्रतिधारण सारणी बना ली है। ये हैं:— भारतीय जन जाति सहकारी विपणन विकास संघ लि., नई दिल्ली बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मासियुटिकल्स लि., कोलकाता, भारतीय कपास निगम लिमिटेड और मजगावं डाक लिमिटेड, दोनों मुंबई में, फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावणकोर लि., एल्लूर, नेशनल फर्टीलाइजर्स लि., नोएडा, हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लि., न्यूज प्रिंट नगर, आधुनिक प्रशिक्षण संस्थान, इलेक्ट्रानिक्स एण्ड प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, देहरादून; राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कम्पनी लि., भुवनेश्वर, राष्ट्रीय जल विद्युत उर्जा निगम लि., फरीदाबाद और सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वड़ोदरा।

8.8 निम्न 5 लोक उपक्रमों/वैधानिक निकायों ने सूचित किया है कि उन्होंने अभिलेख प्रतिधारण सारणी के संकलन के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी है और कार्य प्रगति पर है,— ये हैं: भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि. और भारतीय खाद्य निगम, दोनों नई दिल्ली में, नैवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि., नैवेली, हिन्दुस्तान लेटेक्स लि., तिरुअनंतपुरम और नुमाली गढ़ रिफाइनरी लि. गोला घाट (असम);

8.9 निम्न 2 लोक उपक्रमों/वैधानिक निकायों ने सूचित किया है कि अभिलेखों की प्रतिधारण सारणी के संकलन का कार्य जल्द ही आरंभ किया जाएगा। ये हैं: खनिज अनुसंधान निगम लि., नागपुर और पूर्वोत्तर विद्युत उर्जा निगम लि., शिलांग

8.10 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली ने सूचित किया कि वे कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार अभिलेख प्रतिधारण सारणी का पालन कर रहे हैं।

8.11 एन्नोर पोर्ट लि. चेन्नई ने सूचित किया है कि ये एक नया संगठन है जो अभी अभी प्रारंभ हुआ है।

8.12 निम्नलिखित 13 लोक उपक्रमों/वैधानिक निकायों ने सूचित किया कि उन्होंने अपनी अभिलेख प्रतिधारण सारणी का संकलन नहीं किया है। ये हैं: भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., एवं परियोजना उपकरण निगम लि.; सभी नई दिल्ली में; इंडियन रेयर अर्थस लि., मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और सोसायटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेब इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी एण्ड रिसर्च (समीर) सभी मुंबई में, हिन्दुस्तान कॉपर लि. कोलकाता; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली, सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे, टिहरी जल विकास निगम लि. ऋषिकेश, मारमागांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा, एवं राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान नोएडा (उ. प्र.)।

8.13 निम्नलिखित 14 लोक उपक्रमों/वैधानिक निकायों ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं:— एन.टी.पी.सी लि., भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लि., और भारतीय राज्य कृषि निगम लि., सभी नई दिल्ली में एंड्रयूल एवं कम्पनी लि., और हिन्दुस्तान केबल्स लि., दोनों कोलकाता में; भारतीय जहाजरानी निगम लि., मुंबई; जी. बी. पंत हिमालियन पर्यावरण और विकास संस्थान, अल्मोड़ा; भारत पंप एवं कंप्रेसर लि., इलाहाबाद; एच.एम.टी मशीन टूल्स लि., एच.एम.टी (अंतरराष्ट्रीय) लि., और अंतरिक्ष निगम लि., सभी बंगलौर में; तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट लि., तुंगभद्रा बांध, जिला बेल्लारि, तूतीकोरिन, पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर।

8.7 As regards Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. are concerned out of 47 Organisations who have furnished information in this regard 11 have informed that they have prepared Retention Schedule or records. These are:- Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, New Delhi; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata; Cotton Corporation of India Limited and Mazagon Dock Limited, both in Mumbai; Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Elloor; National Fertilizers Limited, Noida; Hindustan Newsprint Limited, Newsprint Nagar; Advanced Training Institute - Electronics and Process Instrumentation, Dehradun; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad and Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara;

8.8 The following 5 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies have informed that they have initiated the action for compilation of Records Retention Schedule and work is under progress, Bharat Heavy Electricals Limited, and Food Corporation of India,, both, in New Delhi; Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli; Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram and Numaligarh Refinery Limited, Golaghat (Assam);

8.9 The following 2 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies have informed that the action for compilation of Records Retention Schedule will be taken up soon Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur and North Eastern Electric Power Corporation, Limited, Shillong;

8.10 National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, New Delhi has informed that they are following the Records Retention Schedule as per Companies Act, 1956.

8.11 Ennore Port Limited, Chennai has informed that they are new organisation and just commenced.

8.12 The following 13 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies have informed that they have not compiled their Records Retention Schedule, State Trading Corporation of India Limited, National Institute of Immunology, National Small Industries Corporation Limited and Project Equipment Corporation Limited, all in New Delhi; Indian Rare Earths Limited, Mumbai Port Trust and Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), all in Mumbai; Hindustan Copper Limited, Kolkata; Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy, Rae Bareli; Centre for Materials for Electronics Technology, Pune; Tehri Hydro Development Corporation Limited, Rishikesh; Mormugao Port Trust, Goa; and National Institute for Training of Highway Engineers, Noida (UP).

8.13 The following 14 Public Sector Undertaking / Statutory Bodies have sent vague reply:- NTPC Limited, Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, and State Farms Corporation of India, all in New Delhi; Andrew Yule and Company Limited, and Hindustan Cables Limited, both in Kolkata; Shipping Corporation of India Limited, Mumbai; G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora; Bharat Pumps and Compressors Limited, Allahabad; HMT Machine Tools Limited, HMT (International) Limited and Antrix Corporation Limited, all in Bangalore; Tungabhadra Steel Products Limited, Tungabhadra Dam, Distt. Bellary; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur.

अध्याय-9

वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय अपने संवेदनशील प्रकृति के कार्यों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए कुछ वर्गीकृत अभिलेखों का सृजन करते हैं तथापि, समय के साथ मामले की संवेदनशीलता/परिवर्तनशीलता होती है ऐसे सभी वर्गीकृत अभिलेखों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। इस प्रकार वर्गीकृत अभिलेखों का वर्गीकरण अभिलेख प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा (6) (च) के साथ पठित लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का नियम 7 अपने क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों के लिए अपने वर्गीकृत अभिलेखों को विवर्गीकृत करने के लिए कारवाई आरंभ करने को अनिवार्य बनाता है, इन उपबंधों का क्रियान्वयन करने के लिए दिनांक 14 अप्रैल, 2006 को परिपत्र से 16.12.क/2006 आर.एम जारी किया गया था। सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों को इस संबंध में प्राप्त हुए उत्तर उत्साहवर्धक नहीं हैं क्योंकि केवल 154 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/लोक उपक्रमों/वैधानिक निकायों आदि ने उत्तर दिया है। प्राप्त की गई सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया है।

9.1 निम्न 16 कार्यालयों जिन्होंने अपने वर्गीकृत अभिलेखों को वर्गीकृत किया है, वे हैं: रक्षा मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण, प्रधान मंत्री कार्यालय, योजना आयोग, वायुसेना, मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय की एम एस शाखा (सेना), महा निदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सभी नई दिल्ली में; राष्ट्रीय एटलस थेमैटिक एवं मैपिंग संगठन, और भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, बंगलोर; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय, कोचीन; सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, पणजी-गोवा; रेलवे सुरक्षा आयोग, लखनऊ; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, मंडपम कैप और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, रायपुर।

9.2 90 संगठन जो वर्गीकृत अभिलेखों का विवर्गीकरण नहीं कर रहे हैं। जिनके पास वर्गीकृत अभिलेख नहीं हैं या जिन्होंने अस्पष्ट उत्तर दिए हैं, ये हैं:— कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रेलवे (रेलवे बोर्ड), जल संसाधन, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, वाणिज्य, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, प्रकाशन, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, आयकर महानिदेशक कार्यालय (प्रशासन), डाटा प्रबंधन निदेशालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, विस्तार निदेशालय, आयकर (अपील) आयुक्त कार्यालय, क्षेत्रीय परिषद सचिवालय, आयकर निपटान आयोग, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद; टाउन एंड कंट्री आयोजना संगठन, वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), सभी नई दिल्ली में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय और मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त (विरोधक) कार्यालय बी सी जी. टीका प्रयोगशाला, और केंद्रीय भेषज परीक्षण प्रयोगशाला, सभी चेन्नई में; जूट विकास निदेशालय, पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला और जूट आयुक्त कार्यालय, सभी कोलकाता में, मुख्य महा डाक पाल का कार्यालय (महाराष्ट्र मंडल), केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, मुम्बई-1 और वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय

DECLASSIFICATION OF CLASSIFIED RECORDS

Each Ministry/ Department / Office creates certain classified records to ensure secrecy in its transactions of sensitive nature. However, as the sensitivity of the matter is subject to change with time, all such classified records are to be periodically reviewed. Thus, de-classification of classified records becomes one of the important aspects of records management. The Section (6) (f) of the Public Records Act, 1993 to be read with Rule 7 of Public Records Rules, 1997 makes it mandatory for all records creating agencies falling under its purview to initiate action to de-classify their classified records. In order to implement these provisions, a Circular letter No. 16-12A/2006-RM, dated 14 April, 2006 was issued to all the records creating agencies. Replies received in this regard are not encouraging as only 154 Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. responded. A detailed analysis of the information received is given below.

9.1 The following 16 offices who are de-classify their classified records are:- Ministries of Defence, Information and Broadcasting, Prime Minister's Office, Planning Commission, Air Headquarters, MS Branch of Integrated Headquarter of Ministry of Defence (Army), Office of the Director General Central Reserve Police Force, all in New Delhi; National Atlas Thematic and Mapping Organisation, and Government of India Stationary Office, both in Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise, Bangalore; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Cochin; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa; Commission of Railway Safety, Lucknow; Lal Bahadur Shastri National Academy of administration, Mussoorie; Port Health Organisation, Mandapam Camp and Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur.

9.2 90 Organisations who are not doing de-classification of classified records/ do not have classified records or given vague replies. These are:- Ministries of Agriculture and Cooperation, Health and Family welfare, Railways (Railway Board), Water Resources, Departments of Chemicals and Petrochemicals, Commerce, Information and Technology, Telecommunications, Publication, Directorate General of Supplies and Disposals Office of the Director General of Income Tax (Administration), Directorate of Data Management Central Excise and Customs, Directorate of Extension, Office of the Commissioner of Income Tax (Appeals) Zonal Councils Secretariat, Income Tax Settlement Commission, Central Pension Accounts Office and Council of Scientific and Industrial Research, Town and Country Planning Organisation, Wildlife Regional Office (Ministry of Environment and Forests), all in New Delhi; Office of the Commissioner of Central Excise and Office of the Chief Commissioner Customs (Preventive), BCG Vaccine, Laboratory, and Central Drugs Testing Laboratory, all in Chennai; Directorate of Jute Development, Port Health Organisation, Anthropological Survey of India, Central Food Laboratory and Office of the Jute Commissioner, all in Kolkata; Office of the Chief Post Master General (Maharashtra Circle), Office of the Commissioner of Central Excise, Mumbai-I and Wildlife Regional Office (Ministry of Environment and Forests), all in Mumbai; Southern

(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) सभी मुंबई में; दक्षिणी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आं. प्र.) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, अजमेर; उप मुख्य एवं आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, मुख्य महाडाकपाल कार्यालय, (कर्नाटक मंडल) और केन्द्रीय वित्तीय इंजीनियरी, मत्स्यकी संस्थान, विधि मामले विभाग का शाखा सचिवालय, सभी बंगलोर में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, बेलगांव, पूर्वी क्षेत्र कार्यालय (उड़ीसा मंडल) एवं पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) दोनों भोपाल में; मुख्य डाकपाल कार्यालय (उड़ीसा मंडल) एवं पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) दोनों भुवनेश्वर; में विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कालीकट, केन्द्रीय मत्स्यकी, सामुद्रिक एवं इंजीनियर्स प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन, टर्मिनल बैलीस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़, मुख्य महाडाकपाल (उत्तरांचल मंडल) कार्यालय देहरादून, क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, पालाजी, गांधीनगर, पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, मारमागांव, गोवा; उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार (हरियाणा), विपणन एवं परीक्षण निदेशालय और मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, दोनों हैदराबाद में; राष्ट्रीय जैव कृषि केन्द्र, गाजियाबाद, भारतीय मत्स्यकी सर्वेक्षण मारमागांव, गोवा, ज्वार विकास निदेशालय और नमक आयुक्त कार्यालय दोनों जयपुर में, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्यालय, जबलपुर, आयकर आयुक्त (अपील) कार्यालय, जालंधर, सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, करनाल; आयकर आयुक्त कार्यालय, कानपुर, मुख्य महाडाकपाल कार्यालय (पू.पी. मंडल), लखनऊ; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय डाकपत्रे-तूरा, मेघालय, मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, और भारतीय खान ब्यूरो, सभी नागपुर में; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नासिक रोड, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, पूणे, आयकर आयुक्त कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), दोनों शिमला में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) दोनों शिलांग में, केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलोमा, संबलपुर (उड़ीसा) और धामरोड जिला, सूरत (गुजरात), और जिला क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय), जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर, सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय तूतीकोरिन, सीमा शुल्क कार्यालय, आयुक्तालय, त्रिची निजी क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ, परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद, भोपाल, चंडीगढ़, गोवाहाटी, हैदराबाद, पटना और तिरुवनंतपुरम।

9.3 सशस्त्र बल फिल्म एवं फोटो प्रभाग, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनका प्रभाग उनकी सेवाओं के लिए रक्षा प्रशिक्षण फिल्म निर्माण का कार्य करता है, एक बार जब प्रभाग द्वारा वर्गीकृत सशस्त्र बल फिल्म का निर्माण कर दिया जाता है तो अविवर्गीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि यह वर्गीकरण का अपना महत्व नहीं खोता

9.4 इस संबंध में 47 लोक उपक्रमों/ वैधानिक निकायों आदि से प्राप्त सूचना का विश्लेषण इस प्रकार है। सभी 8 संगठनों ने सूचित किया है कि वे फारलों विवर्गीकरण कर रहे हैं। एक ने सूचित किया है कि उनका नया संगठन है जो अभी अभी प्रारंभ का है। 6 ने सूचित किया है कि ये उन पर लागू नहीं है जबकि 18 संगठनों ने शून्य/नहीं सूचना भेजी है जबकि 14 संगठनों ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं।

9.5 निम्नलिखित 8 संगठनों ने सूचित किया कि उनके पास वर्गीकृत अभिलेख हैं और वे वि-वर्गीकरण का कार्य कर रहे हैं:- भारतीय कपास निगम लि., और मजगांव डॉक लि., दोनों मुम्बई में; नैवेली लिग्नाइट कार्पाॅशन लि.; नैवेली; हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, न्यूजप्रिंट नगर, राष्ट्रीय हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कार्पाॅशन लि., फरीदाबाद,

Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (AP); Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer; Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Office of the Chief Post Master General, (Karnataka Circle) and Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Branch Secretariat of Department of Legal Affairs, all in Bangalore; Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum; Eastern Regional, Office (Ministry of Environment and Forests), Bhopal; Office of the Chief Post Master General (Orissa Circle) and Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), both in Bhubaneswar; Directorate of Marketing and Inspection, Calicut; Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Office of the Chief Post Master General (Uttaranchal Circle) Dehradun; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Palaji Gandhinagar; Port Health Organisation, Marmagao, Goa; North Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar (Haryana), Directorate of Marketing and Inspection and Office of the Chief Commissioner of Income Tax, both in Hyderabad; National Centre for Organic Farming, Ghaziabad; Fishery Survey of India, Marmagao, Goa; Directorate of Millets Development and Office of the Salt Commissioner, both in Jaipur; Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal), Jalandhar; Government Medical Store Depot, Karnal; Office of the Commissioner of Income Tax, Kanpur; Office of the Chief Post Master General (UP Circle), Lucknow; Regional Vocational Training Institute for Women, Dakapgre-Tura, Meghalaya; Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Central Agmark Laboratory and Indian Bureau of Mines, all in Nagpur; Directorate of Marketing and Inspection, Nasik Road; Office of the Commissioner of Central Excise, Pune; Office of the Commissioner of Income Tax and Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), both in Shimla; Office of the Commissioner of Central Excise and North Eastern Region Office (Ministry of Environment and Forests), both in Shillong; Central Cattle Breeding Farm, Chiplima, Sambalpur (Orissa) and Dhmdrod Distt. Surat (Gujarat); and Distt. Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Jammu and Kashmir, Srinagar; Office of the Commissioner of Customs, Tuticorin; Office of the Customs, Commissionerate, Trichy; Regional Evaluation Offices, Chennai; Mumbai; Kolkata, Chandigarh; Hyderabad; Jaipur; and Lucknow; Project Evaluation Offices, Ahmedabad; Bhopal; Chandigarh; Guwahati; Hyderabad; Patna and Thiruvananthapuram.

9.3 Armed Forces Film and Photo Division, New Delhi has informed that their Division deals with Production of Defence Training Films for their Services, once a classified Film is produced by the Division for Armed that cannot be de-classified as it does not lose its importance of classification.

9.4 The analysis of information received from 47 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies etc. in this regard is as follows. In all 8 Organisations have intimated that they are doing the de-classification of files. One has informed that they are new organisation and just commenced. 6 have reported that it is not applicable to them whereas Nil/ No information has been forwarded by 18 Organisations while 14 Organisation have sent vague reply.

9.5 The following 8 Organisations have informed that they are having classified records and doing the job of de-classification:- Cotton Corporation of India Limited and Mazagon Dock Limited, both in Mumbai; Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli; Hindustan Newsprint Limited, Newsprint Nagar; National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad; North Eastern Electric Power

पूर्वोत्तर इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन लि., शिलांग, नुमालीगढ़ रफाइनरी लि., गोलाघाट (असम) और मारमागांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा।

9.6 एन्नोर पोर्ट लि., चेन्नई ने सूचित किया है कि ये नया संगठन है जो अभी अभी प्रारंभ हुआ है।

9.7 6 संगठनों की एक अन्य श्रेणी को यह महसूस करती है कि यह उन पर लागू नहीं है। ये हैं:- भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि., राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.; राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, और परियोजना उपकरण निगम लि., सभी नई दिल्ली में; राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा उ.प्र.)।

9.8 निम्न 18 संगठनों ने शून्य रिपोर्ट भेजी है:- भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., और भारतीय जन जाति सहकारी विपणन विकास संघ लि., सभी नई दिल्ली में, बंगाल केमिकल्स एवं फार्मासियुटिकल्स लि., कोलकाता, मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट और सोसायटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी एंड रिसर्च (समीर) और इंडियन रेयर अर्थस लि., सभी मुम्बई में; हिन्दुस्तान कॉपर लि., कोलकाता; फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लि., ऐल्लूर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., नोएडा, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली, इलेक्ट्रानिक, आधुनिक प्रशिक्षण संस्थान, इलेक्ट्रानिक्स एंड प्रोसेस इस्ट्रुमेंटेशन, देहरादून, खनिज अन्वेषण निगम लि., नागपुर, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर, टिहरी जल विकास निगम लि., ऋषिकेश और सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वड़ोदरा।

9.9 निम्न 14 लोक उपक्रमों/आयोग/कमीशन/वैधानिक निकायों ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं, एन.टी.पी.सी लि., भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि., और भारतीय राज्य कृषि निगम लि., सभी नई दिल्ली में, एंड्रयूल एंड कंपनी लि., और हिंदुस्तान केबल्स लि. दोनों कोलकाता में, भारतीय जहाजरानी लि., मुम्बई, जी.बी. पतं हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा, भारत पम्प एवं कंप्रेसर लि., इलाहाबाद, एच.एम.टी मशीन टूल्स लि., एच.एम.टी (अंतरराष्ट्रीय) लि., और अंतरिक्ष निगम लि., सभी बंगलोर में, तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लि., तुंगभद्रा बाँध, जिला बेल्लारी, तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर।

Corporation Limited, Shillong; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat (Assam) and Mormugao Port Trust, Goa.

9.6 Ennore Port Limited, Chennai has informed that they are new organisation and just commenced.

9.7 The other category of 6 organisations who feel that it is not applicable to them are:- Bharat Heavy Electricals Limited, National Institute of Immunology, National Small Industries Corporation Limited, National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, and Project Equipment Corporation Limited, all in New Delhi; National Institute for Training of Highway Engineers, Noida (UP);

9.8 The following 18 Organisations have forward 'NIL' reports:- Food Corporation of India, State Trading Corporation of India Limited, and Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, all in New Delhi; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata; Mumbai Port Trust and Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER) and Indian Rare Earths Limited, all in Mumbai; Hindustan Copper Limited, Kolkata; The Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Elloor; National Fertilizers Limited, Noida; Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy, Rae Bareli; Centre for Materials for Electronics Technology, Pune; Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram; Advanced Training Institute, Electronics and Process Instrumentation, Dehradun; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Tehri Hydro Development Corporation Limited, Rishikesh and Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara.

9.9 The following 14 Public Sector Undertakings/ Commissions/ Commissioned/ Statutory Bodies have sent vague reply. N.T.P.C Limited, Handicrafts and Handlooms Export Corporation of India Limited and State Farms Corporation of India Limited, all in New Delhi; Andrew Yule and Company Limited, and Hindustan Cables Limited, both in Kolkata; Shipping Corporation of India Limited, Mumbai; G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora; Bharat Pumps and Compressors Limited, Allahabad; HMT Machine Tools Limited, HMT (International) Limited and Antrix Corporation Limited, all in Bangalore; Tungabhadra Steel Products Limited, Tungabhadra Dam, Distt. Bellary; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur.

निष्क्रिय समितियाँ/आयोग

विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित की गई समितियाँ/आयोग जो महत्वपूर्ण सूचना रखते हैं जो प्रशासन के साथ-साथ बहुत समय बीतने पर इतिहासकारों के लिए भी उपयोगी होते हैं। चूँकि इस प्रकार की सूचना कहीं और उपलब्ध नहीं होगी, राष्ट्रीय अभिलेखागार इसे संरक्षित करने के लिए अभिलेख सर्जक अभिकरणों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए, दिनांक 11 अप्रैल 2006 द्वारा जारी परिपत्र संख्या. 16.12.2006. आर.एम के द्वारा 1563 अभिलेख सर्जक अभिलेखों सहित लोक उपक्रमों को भी संपर्क कर रहा है। अन्य परिपत्र स. 16/10/2006 दिनांक 11 मई, 2006 है। इन परिपत्रों के उत्तर में 154 मंत्रालयों/ विभागों/कार्यालयों और लोक उपक्रमों आदि ने इस संबंध में सूचना प्रस्तुत की है। सूचना का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है :-

10.1 सभी 107 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों इत्यादि ने शून्य रिपोर्ट भेजी है या ये उन पर लागू नहीं है। ये हैं:- कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सूचना एवं प्रसारण, रेलवे (रेलवे बोर्ड), जल संसाधन, प्रधान मंत्री कार्यालय और योजना आयोग, वायुसेना मुख्यालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, वाणिज्य, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, प्रकाशन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महा निदेशक कार्यालय, आपूर्ति एवं निपटान महा निदेशालय, आयकर महानिदेशक कार्यालय (प्रशासन) आयकर आयुक्त (अपील) कार्यालय विस्तार निदेशालय, सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग, रक्षा मंत्रालय (सेना) एकीकृत मुख्यालय की एम एस शाखा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, आयकर निपटान आयोग, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, डाटा प्रबंधन निदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय (उ.क्षे.) क्षेत्रीय परिषद सचिवालय, सभी नई दिल्ली में; केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय सीमा शुल्क (निवारण) आयुक्त कार्यालय, बी सी जी टीका प्रयोगशाला, केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, सभी चेन्नई में; जूट विकास निदेशालय, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, पोर्ट स्वास्थ्य संगठन केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, नेशनल एटलस थिमैटिक एवं मैपिंग संगठन, केन्द्रीय लेखन सामाग्री कार्यालय, सभी कोलकाता में, मुख्य महाडाकपाल कार्यालय (महाराष्ट्र मण्डल), मुख्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) और जनसंपर्क अधिकारी, सभी मुंबई में; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, अजमेर, दक्षिणी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आ.प्र.), केन्द्रीय तटीय मत्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान, मुख्य महा डाक पाल कार्यालय (कर्नाटक मण्डल), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, विधि मामलों का शाखा सचिवालय, सभी बंगलोर में, मुख्य महाडाकपाल (उड़ीसा मण्डल) कार्यालय और पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) दोनों भुवनेश्वर में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, बेलगांव, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) भोपाल, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कालीकट, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय, केन्द्रीय मत्स्यिकी सामुद्रिक एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, दोनों कोचीन में सीमांत बैलिस्टिक अनुसंधान प्रौद्योगिकी, चंडीगढ़, मुख्य महा डाक पाल कार्यालय (उत्तरांचल मण्डल) और भारतीय वन सर्वेक्षण, दोनों देहरादून में,

DEFUNCT COMMITTEES/ COMMISSIONS

Commissions/ Committees which are set-up for a specific purpose to contain important information that is useful for administration and after considerable lapse of time for historians as well. As this type of information will not be available elsewhere, the National Archives of India has been making efforts to preserve it by contacting Records Creating Agencies to achieve the target, a Circular letter No. 16-12A/2006-RM, dated 11 April 2006 was issued to 1563 Records Creating Agencies, including Public Sector Undertakings. Another Circular letter No. 16-10/2006-RM, dated 11 May, 2006. In response to these Circulars 154 Ministries/ Departments/ Offices and Public sector Undertakings etc. have furnished information in this regard. The detailed analysis of the information is given below:-

10.1 All 107 Ministries/ Departments/ Offices etc have given 'NIL' report or not applicable to them. These are:- Ministries of Agriculture and Co-operation, Defence, Health and Family Welfare, Information and Broadcasting, Railway (Railway Board), Water Resources, Prime Minister's Office and Planning Commission, Air Headquarter, Departments of Chemicals and Petrochemicals, Commerce, Information and Technology, Telecommunication, Publication, Office of the Director General Central Reserve Police Force, Directorate of General of Supplies and Disposals, Office of the Director General of Income Tax (Administration), Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal), Directorate of Extension, Armed Forces Film and Photo Division, MS Branch of Integrated Headquarter of Ministry of Defence (Army), Council of Scientific and Industrial Research, Income Tax Settlement Commission, Central Pension Accounts Office, Directorate of Data Management, Central Excise and Customs, Wildlife Regional Office (NR), Zonal Councils Secretariat, all in New Delhi; Office of the Commissioner of Central Excise, Office the Commissioner of Customs (Preventive), BCG Vaccine Laboratory, Central Drugs Testing Laboratory, all in Chennai; Directorate of Jute Development, Anthropological Survey of India, Port Health Organisation, Central Food Laboratory, National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Office of the Jute Commissioner, Town and Country Planning Organisation Central Stationary Office, all in Kolkata; Office of the Chief Post Master General (Maharashtra Circle), Office of the Chief Commissioner of Central Excise, Wildlife Regional Office (Ministry of Environment and Forests) and Public Relation Officer, all in Mumbai; Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (AP); Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Office of the Chief Post Master General (Karnataka Circle), Office of the Commissioner of Central Excise, Office of the Chief Labour Commissioner (Central), Branch Secretariat of Legal Affairs, all in Bangalore; Office of the Chief Post Master General (Orissa Circle) and Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), both in Bhubaneswar; Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum; Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests) Bhopal; Directorate of Marketing and Inspection Calicut; Office of the Regional Labour Commission (Central), Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, both in Cochin; Terminal Ballistics Research

क्षेत्रीय चारा उत्पाद एवं प्रदर्शन केंद्र प्रालाजी गाँधीनगर, राष्ट्रीय जैव कृषि केंद्र, गाजियाबाद, मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय दोनों हैदराबाद में; संयुक्त निदेशक, सी जी एच एस कार्यालय, जबलपुर, ज्वार विकास निदेशालय और नमक आयुक्त का कार्यालय, दोनों जयपुर में; फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर, आयकर आयुक्त (अपील) कार्यालय, जालंधर, आयकर आयुक्त कार्यालय, कानपुर, महाडाकपाल कार्यालय (उ.प्र. मण्डल) एवं रेलवे सुरक्षा आयोग, दोनों लखनऊ में; सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, करनाल, पोर्ट स्वास्थ्य संगठन और भारतीय मत्स्यिकी सर्वेक्षण, दोनों मारमागांव, गोवा में, पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, मंडपम कैप, क्षेत्रीय महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र, डामापोर्ट-तुरा, मेघालय, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, मुख्य आयकर आयुक्त और केंद्रीय एग्मार्क प्रयोगशाला, दोनों नागपुर में, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नासिक रोड, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय और राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार दोनों पुणे में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, रायपुर, केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड, जिला सूरत (गुजरात) और जिला संबलपुर (उड़ीसा), केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) दोनों शिलांग में, आयकर आयुक्त कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) और आयकर आयुक्त कार्यालय, दोनों शिमला में, सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, तूतीकोरिन, सीमा शुल्क आयुक्तालय कार्यालय, निजी क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, दोनों, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर एवं परियोजना मूल्यांकन कार्यालय अहमदाबाद, भोपाल, गोवाहाटी, लखनऊ, पटना और तिरुवनंतपुरम।

10.2 इस संबंध में कुल 47 लोक उपक्रमों/सचिवालय/निगमों आदि ने उत्तर दिया जिनमें से 29 ने 'शून्य' सूचना भेजी जबकि एक ने सूचित किया कि वे एक नया संगठन है जो अभी प्रारंभ हुआ है। 3 ने सूचित किया कि ये उन पर लागू नहीं होता जबकि 14 ने अस्पष्ट उत्तर भेजे।

10.3 जिन 29 संगठन ने 'शून्य' सूचना भेजी है वे इस प्रकार हैं : भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि., राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, और परियोजना उपकरण निगम लि. सभी नई दिल्ली में; बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मासियुटिकल्स लिमिटेड, और हिन्दुस्तान कॉपर लि. दोनों कोलकाता में; मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मजगांव डॉक लि., सोसायटी फॉर माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी एण्ड रिसर्च (समीर) और इंडियन रेयर अर्थ्स लि., सभी मुंबई में; द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लि., एल्लोर, नैशनल फर्टिलाइजर्स लि., नोएडा; इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली, नैवेली लिगनाइट निगम लि.; नैवेली, सेंटर फॉर मेटिरियल्स इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे. हिंदुस्तान लेटेक्स लि.; तिरुवनंतपुरम, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लि., न्यूजप्रिंट नगर, आधुनिक प्रशिक्षण संस्थान— इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे; हिंदुस्तान लेटेक्स लि., तिरुवनंतपुरम, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लि., न्यूजप्रिंट नगर, आधुनिक प्रशिक्षण संस्थान— इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशन, देहरादून, खनिज अनुसंधान निगम लि.; नागपुर, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लि.; भुवनेश्वर, राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम लि., फरीदाबाद, टिहरी जल विकास निगम लि., ऋषिकेश, नुमालीगढ़, रिफाइनरी लि., गोलाघाट (असम) मारमागांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा, राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा (उ.प्र.) और सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा।

Technology, Chandigarh; Office of the Chief Post Master General (Uttaranchal Circle) and Forest Survey of India, both in Dehradun; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Palaji-Gandhinagar; National Centre for Organic Farming, Ghaziabad; Office of the Chief Commissioner of Income Tax and Directorate Marketing and Inspection, both in Hyderabad; Office of the Joint Director, CGHS, Jabalpur; Directorate of Millets Development and Office of the Salt Commissioner, both in Jaipur; Foremen Training Institute, Jamshedpur; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal), Jalandhar; Office of the Commissioner of Income Tax, Kanpur; Office of the Post Master General (UP Circle) and Commission of Railway Safety, both in Lucknow; Government Medical Store Depot, Karnal; Port Health Organisation and Fishery Survey of India, both in Marmagao, Goa; Port Health Organisation, Mandapam Camp; Regional Vocational Training Institute for Women, Dakopgre-Tura, Meghalaya; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Office of the Chief Commissioner of Income Tax and Central Egmark Laboratory, both in Nagpur; Directorate of Marketing and Inspection, Nasik Road; Office of the Commissioner of Central Excise and National Film Archive of India, both in Pune; Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur; Central Cattle Breeding Farms, Dhamrod, Distt. Surat (Gujarat) and Distt. Sambalpur (Orissa); Office of the Commissioner of Central Excise and North Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), both in Shillong; Office of the Commissioner of Income Tax, Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare) J&K Srinagar; Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare) and Office of the Commissioner of Income Tax, both Shimla; Office of the Commissioner of Customs, Tuticorin; Office of the Customs, Commissionerate, Trichy; Regional Evaluation Offices, Chennai; Kolkata; Mumbai; Chandigarh; Hyderabad; Jaipur and Project Evaluation Offices, Ahmedabad, Bhopal, Guwahati, Lucknow, Patna and Thiruvananthapuram.

10.2 In all 47 Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations etc. responded in this regard out of which 29 have furnished 'NIL' information whereas one has informed that they are new organisation and just commenced. 3 have intimated that it is not applicable to them, while 14 have sent vague reply.

10.3 The following 29 Organisations have furnished NIL information: Food Corporation of India, State Trading Corporation of India Limited, Bharat Heavy Electricals Limited, National Small Industries Corporation Limited, National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, and Project Equipment Corporation Limited, all in New Delhi; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, and Hindustan Copper Limited, both in Kolkata; Mumbai Port Trust, Mazagon Dock Limited, Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER) and Indian Rare Earths Limited, all in Mumbai; The Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Elloor; National Fertilizers Limited, Noida; Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy, Rae Bareli; Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli; Centre for Materials for Electronics Technology, Pune; Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram; Hindustan Newsprint Limited, Newsprint Nagar; Advanced Training Institute - Electronics and Process Instrumentation, Dehradun; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad; Tehri Hydro Development Corporation Limited, Rishikesh; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat (Assam); Mormugao Port Trust, Goa; National Institute for Training of Highway Engineers, Noida (UP) and Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara.

10.4 एन्नोर पोर्ट लिमिटेड चेन्नई ने सूचित किया कि उनका एक नया संगठन है जो अभी प्रारंभ हुआ है।

10.5 3 संगठनों ने सूचित किया कि यह उन पर लागू नहीं होता है। ये हैं:- राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान और भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लि., दोनों नई दिल्ली में; और भारतीय कपास निगम लि., मुंबई।

10.6 निम्नलिखित 14 लोक उपक्रमों ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं। ये हैं:- भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि., एन टी पी सी लि., और भारतीय राज्य कृषि निगम लि., सभी नई दिल्ली में; एंड्रयूल एंड कंपनी लि., और हिंदुस्तान केबल्स लि., दोनों कोलकाता में; भारतीय जहाजरानी निगम लि., मुंबई, जी.बी.पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोरा; भारत पम्प एवं कंप्रेशर लि., इलाहाबाद, एच.एम.टी मशीन टूल्स लि., और एच एम टी (अंतराष्ट्रीय) लि., और अंतरिक्ष निगम लि., सभी बंगलोर में; तुंगमद्रा इस्पात उत्पाद लि., तुंगमद्रा बाँध, जिला-बेल्लोरी, तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन; और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर।

10.4 Ennore Port Limited, Chennai has informed that they are new Organisation and just commenced.

10.5 3 Organisations have informed that it is not applicable to them. These are:- National Institute of Immunology and Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, both in New Delhi and Cotton Corporation of India Limited, Mumbai.

10.6 The following 14 Public Sector Undertakings have furnished vague reply. These are:- Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, NTPC Limited and State Farms Corporation of India Limited, all in New Delhi; Andrew Yule and Company Limited and Hindustan Cables Limited, both in Kolkata; Shipping Corporation of India Limited, Mumbai; G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora; Bharat Pumps and Compressors Limited, Allahabad; HMT Machine Tools Limited and HMT (International) Limited and Antrix Corporation Limited, all in Bangalore; Tungabhadra Steel Products Limited, Tungabhadra Dam, Distt. Bellary; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; and Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur.

अभिलेख सर्जक अभिकरणों द्वारा अप्रचलित अभिलेखों पर आरंभ की गई कार्रवाई

अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन अभिलेख प्रबंधन कार्यालय का एक अनिवार्य पहलू है, यह अनावश्यक अभिलेखों को पृथक करने में सहायता करता है जिसके फलस्वरूप मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि में मूल्यवान शैल्फ स्थान की बचत होती है, इससे अल्पकालिक अभिलेखों की छटाई होती है जबकि सतत मूल्य के अभिलेखों की सुरक्षित देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित होता है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6(1) (ग) विदित करता है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उपयुक्त उपबंध को ध्यान में रखते हुए दिनांक 14 अप्रैल, 2006 को सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों को परिपत्र सं 16-12 क/2006-आर. एम. जारी किया गया ताकि इस संबंध में उनके द्वारा आरंभ की गई कार्रवाई की सीमा की जानकारी प्राप्त हो सके। उपयुक्त परिपत्र के उत्तर की 154 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/लोक उपक्रमों आदि ने सूचना प्रस्तुत की जिनमें से 107 केंद्रीय सरकार के संगठन और 47 लोक उपक्रम हैं। विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं:-

11.1 निम्न 15 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों जिन्होंने सूचित किया कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन कर रहे हैं, ये हैं:- कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, रक्षा, सूचना एवं प्रसारण, रेलवे (रेलवे बोर्ड), जल संसाधन, योजना आयोग, प्रधान मंत्री कार्यालय, वायुसेना मुख्यालय, आपूर्ति एवं निपटान महा निदेशालय, क्षेत्रीय परिषद सचिवालय और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद; सभी नई दिल्ली में; जूट आयुक्त कार्यालय, कोलकाता; विधि मामले विभाग का शाखा सचिवालय, बंगलोर; मुख्य महाडाकपाल कार्यालय (उड़ीसा मंडल), भुवनेश्वर, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून, नमक आयुक्त का कार्यालय, जयपुर।

11.2 निम्न 83 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने 'शून्य' सूचना भेजी है। ये हैं:- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, वाणिज्य, एवं प्रकाशन, आयकर महानिदेशक (प्रशासन) कार्यालय, विस्तार निदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशक कार्यालय, डाटा प्रबंधन निदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, आयकर आयुक्त (अपील) कार्यालय, सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग, रक्षा मंत्रालय (सेना) एकीकृत मुख्यालय एम एस शाखा; केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, आयकर निपटान आयोग, वन्यजीव क्षेत्रीय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), टाऊन एवं कंट्री प्लानिंग संगठन सभी नई दिल्ली में; केंद्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला एवं बी.सी.जी टीका प्रयोगशाला, दोनों चेन्नई में; जूट विकास निदेशालय, पोर्ट स्वास्थ्य संगठन और केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, सभी कोलकाता में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, मुंबई-1, मुख्य महा डाकपाल कार्यालय, (महाराष्ट्र मंडल), वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय, (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) सभी मुंबई में; दक्षिणी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आं.प्र.) उप मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय (मध्य), अजमेर (राजस्थान); केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, मुख्य महाडाकपाल (कर्नाटक मंडल), उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय और केंद्रीय मात्स्यिकी इंजीनियरी

ACTION INITIATED BY RECORDS CREATING AGENCIES ON APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS

Appraisal of Non-current records is a vital aspect of Records Management programme, it helps to segregate the records no longer required resulting in saving costly shelf space in Ministries/ Departments/ Offices etc. by weeding out ephemeral records while ensuring the safe upkeep and preservation of records of enduring value. Section 6(1) (C) of Public Records Act, 1993 stipulates that the appraisal of non-current records should be undertaken in consultation with the National Archives of India, keeping in view the above said provision a Circular letter No.16-12A/2006-RM, dated 14 April, 2006 was issued to all Records Creating Agencies so as to ascertain the extend of action initiated by them in this regard. In response to the above said circular 154 Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings etc. have furnished information out of which 107 are Central Government Organisations and 47 are Public Sector Undertakings. Details are as under:-

11.1 The following 15 Ministries/ Departments/ Offices who have informed that they are conducting appraisal of non-current records in consultation with National Archives of India. These are:- Ministries of Agriculture and Cooperation, Defence, Information and Broadcasting, Railways (Railway Board), Water Resources, Planning Commission, Prime Minister's Office, Air Headquarters, Directorate General of Supplies and Disposals, Zonal Councils Secretariat and Council of Scientific and Industrial Research, all in New Delhi; Office of the Jute Commissioner, Kolkata; Branch Secretariat of Department of Legal Affairs, Bangalore; Office of the Chief Post Master General (Orissa Circle), Bhubaneswar; Forest Survey of India, Dehradun; Office of the Salt Commissioner, Jaipur.

11.2 The following 83 Ministries/ Departments/ Offices have sent 'NIL' reports. These are:- Ministry of Health and Family Welfare, Department of Chemicals and Petrochemicals, Commerce and Publication, Office of the Director General of Income Tax (Administration), Directorate of Extension, Office of the Director General of Central Reserve Police Force, Directorate of Data Management, Central Excise and Customs, Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal), Armed Forces Film and Photo Division, MS Branch of Integrated Headquarter of Ministry of Defence (Army), Central Pension Accounts Office, Income Tax Settlement Commission, Wildlife Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Town and Planning Organisation, all in New Delhi; Central Drugs Testing Laboratory, and BCG Vaccine, Laboratory, both in Chennai; Directorate of Jute Development, Port Health Organisation and Central Food Laboratory, all in Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise, Mumbai-I, Office of the Chief Post Master General (Maharashtra Circle), Wildlife Regional Office (Ministry of Environment and Forests), all in Mumbai; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (AP); Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Ajmer (Rajasthan); Office of the Commissioner of Central Excise, Chief Post Master General (Karnataka Circle), Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central)

संस्थान, सभी बंगलोर में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, बेलगांव, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), भोपाल; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कालीकट, टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय, और केंद्रीय मात्स्यिकी, सामुद्रिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, दोनों कोचीन में; मुख्य महाडाकपाल (उत्तरांचल मंडल), देहरादून, क्षेत्रीय चारा उत्पाद एवं प्रदर्शन केंद्र, पालाजी-गाँधीनगर (गुजरात) राष्ट्रीय जैव कृषि केंद्र, गाजियाबाद, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, पालाजी-गोवा, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण एवं पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, दोनों मार्मागांव गोवा में; दक्षिणी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार (हरियाणा), आयकर आयुक्त कार्यालय, हैदराबाद, संयुक्त निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्यालय, ज्वार विकास निदेशालय, सभी जयपुर में; फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर, आयकर आयुक्त (अपील) कार्यालय, जालंधर; सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, करनाल, आयकर आयुक्त कार्यालय, कानपुर; मुख्य महाडाकपाल कार्यालय (उ.प्र.मंडल) और रेलवे सुरक्षा आयोग, दोनों लखनऊ में; क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र डाकापग्रे-तूरा, मेघालय, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी; पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, मंडपम कैप, मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय और केंद्रीय एंगमार्क प्रयोगशाला तथा भारतीय खान ब्यूरो, सभी नागपुर में; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, नासिक रोड, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय और राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, दोनों पुणे में, केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा, संबलपुर (उड़ीसा) और जिला सूरत (गुजरात) सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त कार्यालय, शिलांग, क्षेत्रीय कार्यालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर, आयकर आयुक्त कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) दोनों शिमला में; सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय तूतीकोरिन, सीमा शुल्क आयुक्तालय कार्यालय, निजी क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, चंडीगढ़, हैदराबाद और जयपुर एवं परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, पटना और शिमला और तिरुवनंतपुरम।

11.3 निम्न 5 संगठनों ने सूचित किया कि अप्रचलित अभिलेखों की पहचान करने के लिए कार्रवाई आरंभ की जाएगी और तत्पश्चात् राष्ट्रीय अभिलेखागार के परामर्श से इनका मूल्यांकन किया जाएगा। ये हैं:- सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, दूरसंचार दोनों नई दिल्ली में; राष्ट्रीय एटलस थेमैटिक मैपिंग संगठन और सरकारी लेखन सामग्री कार्यालय एवं भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, सभी कोलकाता में।

11.4 दक्षिण मध्य क्षेत्रीय कार्यालय, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, हैदराबाद ने सूचित किया कि उनका कार्यालय छोटा है और अधिकतर अभिलेख उनके मुख्य कार्यालय फरीदाबाद द्वारा रखे जाते हैं।

11.5 दो कार्यालयों अर्थात् सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक) कार्यालय के चेन्नई और पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) भुवनेश्वर ने सूचित किया कि उनका कार्यालय नया नया स्थापित हुआ है, अतः अप्रचलित अभिलेख विद्यमान नहीं है।

11.6 सभी 47 लोक उपक्रमों वैधानिक निकायों ने सूचना प्रस्तुत की जिनमें से केवल एक संगठन अर्थात् बंगाल केमिकल्स एंड फार्मासियुटिकल्स लि., कोलकाता ने अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन के बारे में सकारात्मक सूचना प्रस्तुत की है।

and Central Institute of Coastal Engineering for Fisheries, all in Bangalore; Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum; Regional office, Western Region (Ministry of Environment and Forests), Bhopal; Directorate of Marketing and Inspection, Calicut; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Office of the Regional Labour Commissioner (Central) and Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, both in Cochin; Chief Post Master General (Uttaranchal Circle), Dehradun; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Palaji-Gandhinagar (Gujarat); National Centre for Organic Farming, Ghaziabad; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa; Fishery Survey of India and Port Health Organisation, both in Marmagoa, Goa; Northern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar (Haryana); Office of the Commissioner of Income Tax, Hyderabad; Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Directorate of Millets Development, all in Jaipur; Foreman Training Institute, Jamshedpur; Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal), Jalandhar; Government Medical Store Depot, Karnal; Office of the Commissioner of Income Tax, Kanpur; Office of the Chief Post Master General (UP Circle) and Commission of Railway Safety, both in Lucknow; Regional Vocational Training Institute for Women, Dakapgre-Tura, Meghalaya; Lal Bhadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie; Port Health Organisation, Mandapam Camp; Office of the Chief Commissioner of Income Tax and Central Egmark Laboratory and Indian Bureau of Mines, all in Nagpur; Directorate of Marketing and Inspection, Nasik Road; Office of the Commissioner of Central Excise and National Film Archive of India, both in Pune; Central Cattle Breeding Farms, Chiplima, Sambalpur (Orissa) and Distt. Surat (Gujarat); Office of the Commissioner of Customs (Preventive), Shillong; Regional Office of Ministry of Health and Family Welfare, Jammu and Kashmir, Srinagar; Office of the Commissioner of Income Tax and Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), both in Shimla; Office of the Commission of Customs, Tuticorin; Office of the Customs Commissionerate, Trichy; Regional Evaluation offices, Chennai, Kolkata; Mumbai, Lucknow, Chandigarh, Hyderabad and Jaipur and Project Evaluation Offices, Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Guwahati, Patna and Shimla, and Thiruvananthapuram.

11.3 The following 5 organisations have informed that action will be taken for identifying the non-current records and getting them appraised in consultation with National Archives of India. These are:- Department of Information and Technology, Telecommunications, both in New Delhi National Atlas Thematic Mapping Organisation and Government of India Stationary Office and Anthropological Survey of India, all in Kolkata.

11.4 South Central Regional Office of the Directorate of Marketing and Inspection, Hyderabad has informed that their office is a small establishment, the bulk of records maintained by their Head Office, Faridabad.

11.5 2 Office, i.e. the Office of the Commissioner of Customs (Preventive), Chennai and the Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Bhubaneswar; have intimated that their offices are newly established, non-current records are not exists.

11.6 In all 47 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies have furnished the information out of which only one Organisation i.e. Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata; has furnished positive information about appraisal of non-current records.

11.7 निम्न 18 लोक उपक्रमों ने शून्य सूचना भेजी है :- भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि., भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान एवं परियोजना उपकरण निगम लि., सभी नई दिल्ली में; इंडियन रेयर अर्थस लि., सोसायटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (समीर) मझगांव डॉक लि., और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, सभी मुंबई में; हिंदुस्तान कॉपर लि., कोलकाता, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी, राय बरेली, नैवेली लिग्नाइट निगम लि., नैवेली, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लि., न्यूजप्रिंट नगर, आधुनिक प्रशिक्षण संस्थान-इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशन, देहरादून, खनिज अनुसंधान निगम लि., नागपुर, टिहरी जल विकास निगम लि., ऋषिकेश, मझगांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा, राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा (उ.प्र.) और सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, वडोदरा।

11.8 निम्न 6 संगठनों ने सूचित किया कि अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन कार्य को यथा समय पर आरंभ किया जाएगा:- भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम लि., एल्लूर, नैशनल फर्टिलाइजर्स लि., नोएडा, हिंदुस्तान लेटेक्स लि., तिरुवनंतपुरम, और पूर्वोत्तर विद्युत ऊर्जा निगम लि., शिलांग।

11.9 निम्न 4 संगठनों ने सूचित किया है कि उनका संगठन 25 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। इस लिए, अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन का उपबंध उन पर लागू नहीं होता। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, और भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लि., दोनों नई दिल्ली में; सेंटर फॉर मेटिरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे एवं नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., गोलाघाट (असम)।

11.10 भारतीय कपास निगम लि., मुंबई और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर ने सूचित किया कि वर्तमान में ये उन पर लागू नहीं होता है।

11.11 एन्नोर पोर्ट लि., चेन्नई ने सूचित किया कि यह एक नया संगठन है और अभी-अभी प्रारंभ हुआ है।

11.12 राष्ट्रीय लघु उद्योग विभाग लि., नई दिल्ली ने सूचित किया है कि वह अप्रचलित अभिलेखों के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार से परामर्श नहीं करेगा।

11.13 नियम 14 संगठनों ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं: एन.टी.पी.सी. लि., भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि., और भारतीय राज्य कृषि निगम लि., सभी नई दिल्ली में; एंड्रयूल एण्ड कंपनी लि. और हिंदुस्तान केबल्स लि., दोनों कोलकाता में; भारतीय जहाजरानी निगम लि., मुंबई, भारत पम्प एवं कंप्रेसर लि., इलाहाबाद, एच.एम.टी. मशीन लि., एच.एम.टी. (अंतरराष्ट्रीय) लि., और अंतरिक्ष निगम लि., सभी बंगलौर में; तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लि., तुंगभद्रा बाँध, जिला बेल्लारी, जी. बी. पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा, तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन और कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर।

11.7 The following 18 Public Sector Undertakings have sent 'NIL' information:- Bharat Heavy Electricals Limited, State Trading Corporation of India Limited, National Institute of Immunology and Project Equipment Corporation Limited, all in New Delhi; Indian Rare Earths Limited, Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Mazagon Dock Limited, and Mumbai Port Trust, all in Mumbai; Hindustan Copper Limited, Kolkata; Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademy, Rae Bareilly; Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli; Hindustan Newsprint Limited, Newsprint Nagar; Advanced Training Institute - Electronics and Process Instrumentation, Dehradun, Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; Tehri Hydro Development Corporation Limited, Rishikesh; Mormugao Port Trust, Goa; National Institute for Training of Highway Engineers, Noida (UP); and Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara;

11.8 The following 6 Organisations have informed the appraisal of non-current records will be taken-up in due course :- Food Corporation of India, New Delhi; National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad; Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Elloor; National Fertilizers Limited, Noida; Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram; and North Eastern Electric Power Corporation Limited, Shillong.

11.9 The following 4 Organisations have reported that they are not 25 years old yet, therefore, the provisions of appraisal of non-current records is not applicable to them. National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, and Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, both in New Delhi; Centre for Materials for Electronics Technology, Pune and Numaligarh Refinery Limited, Golaghat (Assam).

11.10 Cotton Corporation of India Limited, Mumbai and National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar have informed that it is not applicable to them at present.

11.11 Ennore Port Limited, Chennai has informed that they are new organisation and just commenced.

11.12 National Small Industries Corporation Limited, New Delhi has informed that they will now consult National Archives of India for appraisal of non-current records.

11.13 The following 14 Organisations have forwarded vague replies:- NTPC Limited, Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited and State Farms Corporation of India Limited, all in New Delhi; Andrew Yule and Company Limited and Hindustan Cables Limited, both in Kolkata; Shipping Corporation of India Limited, Mumbai; Bharat Pumps and Compressors Limited, Allahabad; HMT Machine Tools Limited, HMT (International) Limited and Antrix Corporation Limited, all in Bangalore; Tungabhadra Steel Products Limited, Tungabhadra Dam, Distt. Bellary; G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora; Tuticorin Port Trust, Tuticorin and Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur.

अध्याय-12

संगठनात्मक इतिहास

प्रशासनात्मक एवं ऐतिहासिक दोनों बिंदुओं से संगठनात्मक इतिहास का संकलन बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह गत वर्षों में उत्पन्न अभिलेखों की प्रकृति को समझने का अनिवार्य औजार है। यह सभी अभिलेख, सभी अभिकरणों में हुए विभिन्न परिवर्तनों का बेहतर मूल्यांकन करने में सहायता करता है। लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 6 (1) (i) यह भी विदित करती है कि सभी अभिकरण सर्जक अभिलेखों को संगठनात्मक इतिहास का संकलन करना चाहिए। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने दिनांक 14 अप्रैल, 2006 को परिपत्रों सं. 16-12 क/2006-आर. एम. और दिनांक 11 मई 2006 को फा. सं. 16-6/2006-आर. एम. के द्वारा सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों से इस संबंध में सूचना मंगाने के लिए जारी किया। मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और लोक उपक्रमों से प्राप्त उत्तरों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

12.1 निम्न 36 कार्यालयों ने सूचित किया कि उनके संगठनों का संकलित इतिहास है। ये हैं: कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण, रेलवे (रेलवे बोर्ड), जल संसाधन, योजना आयोग, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, रसायन एवं पेट्रो रसायन, वाणिज्य, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, नागर विमानन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आयकर आयुक्त (प्रशासन) महानिदेशालय, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, वायुसेना मुख्यालय, सशस्त्र सेना फिल्म एवं फोटो प्रभाग, आयकर निपटान आयोग, क्षेत्रीय परिषद सचिवालय, टाउन एवं कंट्री प्लानिंग संगठन, सभी नई दिल्ली में; केंद्रीय ऑषज परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नई, जूट विकास निदेशालय, नेशनल एटलस थिमेटिक एवं मैपिंग संगठन, जूट आयुक्त कार्यालय एवं क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, सभी कोलकाता में; दक्षिणी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आं. प्रा.), अंतरिक्ष विभाग, विधि मामले विभाग का शाखा सचिवालय, केंद्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरी संस्थान सभी बंगलौर में; विक्लांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र एवं पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), दोनों भुवनेश्वर में; विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कालीकट, टर्मिनल बैलीस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़, भारतीय भेषज फार्मासियुटिकल्स प्रयोगशाला, गाजियाबाद, रेलवे सुरक्षा आयोग, लखनऊ, क्षेत्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण निदेशालय, हैदराबाद, पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, मारमागाँव, गोवा और मंडपम कैप।

12.2 निम्न 65 कार्यालय जिन्होंने अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन कर लिया है वे हैं:- रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रधान मंत्री कार्यालय, प्रकाशन विभाग, दूर संचार, विस्तार निदेशालय, डाटा प्रबंधक निदेशालय, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, रक्षा मंत्रालय (सेना) एकीकृत मुख्यालय की एम. एस. शाखा, आयकर आयुक्त (अपील) कार्यालय केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय, और वन्य जीव क्षेत्रीय कार्यालय, (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सभी नई दिल्ली में, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय, बी. सी. जी. टीका प्रयोगशाला का क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, सभी

ORGANISATIONAL HISTORY

Compilation of Organisational History is very important, both from Administrative and historical point of view. It is an essential tool to understand the nature of records generated by it over the years. It helps in having better appreciation of the various changes which have taken place in all Records Creating Agencies. Section 6(1) (i) of the Public Records Act, 1993 enjoins that all Records Creating Agencies should compile Organisational history, National Archives of India, issued Circulars letters No. 16-12A/2006-RM, dated 14 April, 2006 and F. No. 16-6/2006-RM, dated 11 May, 2006 to all Records Creating Agencies for seeking information in this regard. Response received from Ministries/ Departments/ Offices and Public Sector Undertakings etc. is summarised below:-

12.1 The following 36 Offices have informed that they have compiled Organisational Histories. These are:- Ministries of Agriculture and Cooperation, Information and Broadcasting, Railways (Railway Board), Water Resources, Planning Commission, Departments of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH), Chemicals and Petrochemicals, Commerce, Information and Technology, Directorate General of Supplies and Disposals, Civil Aviation, Central Reserve Police Force, Office of the Directorate General of Income Tax (Administration), Defence Research and Development Organisation, Air Headquarters, Armed Forces Film and Photo Division, Income Tax Settlement Commission, Zonal Council Secretariat, Town and Country Planning Organisation, all in New Delhi; Central Drugs Testing Laboratory, Chennai; Directorate of Jute Development, National Atlas Thematic and Mapping Organisation, Office of the Jute Commissioner and Regional Evaluation Office, all in Kolkata; Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (AP); Department of Space, Branch Secretariat of Department of Legal Affairs, Central Institute of Coastal Engineering for Fisheries, all in Bangalore; Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped and Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), both in Bhubaneswar; Directorate of Marketing and Inspection, Calicut; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Pharmacopoeial Laboratory for Indian Medicine, Ghaziabad; Commission of Railway Safety, Lucknow; Regional Directorate of Apprenticeship Training, Hyderabad; Port Health Organisation, Marmagao, Goa and Mandapam Camp.

12.2 The following 65 offices, who have not compiled their Organisational Histories are:- Ministries of Defence, Health and Family Welfare, Prime Minister's Office, Department of Publication, Telecommunications, Directorate of Extension, Directorate of Data Management, Central Excise and Customs, MS Branch of Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army), Office of the Commissioner of Income tax (Appeals), Central Pension Accounts Office and Wildlife Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Council of Scientific and Industrial Research, all in New Delhi; Office of the Commissioner of Customs (Preventive), BCG Vaccine, Laboratory, and Regional Evaluation Office, all in Chennai; Port Health Organisation, Central Food Laboratory and

चेन्नई में; पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, सभी कोलकाता में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय और मुख्य महाडाकपाल (महाराष्ट्र मंडल) कार्यालय, दोनों मुंबई में; क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय अजमेर (राजस्थान), केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय और मुख्य महाडाकपाल (कर्नाटक मंडल) दोनों बंगलौर में; क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) भोपाल, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, बेलगाँव, मुख्य महाडाकपाल (उड़ीसा मंडल) कार्यालय, मुवनेश्वर, (उत्तरांचल मंडल) देहरादून और (उ.प्र. मंडल) लखनऊ, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय (मध्य) और केंद्रीय मात्स्यिकी सामुद्रिक तटीय इंजीनियरी संस्थान दोनों कोचीन में; भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून, राष्ट्रीय जैव कृषि केंद्र, गाजियाबाद, क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केंद्र, पालाजी गाँधीनगर (गुजरात), सीमा एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, पणजी-गोवा, मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, दोनों हैदराबाद में; उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, हिसार (हरियाणा), संयुक्त निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्यालय, जबलपुर, फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर, सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार, करनाल, आयकर आयुक्त कार्यालय, कानपुर, आयकर आयुक्त कार्यालय, जालंधर, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मारमागाँव, गोवा, क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, डाकोपग्रे तूरा मेघालय, मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, नागपुर, आयकर आयुक्त कार्यालय तथा राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, दोनों पुणे में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, रामपुर, केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड, जिला सूरत (गुजरात) और संबलपुर (उड़ीसा) आयकर आयुक्त कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) दोनों शिमला में; सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय (निवारक) और पूर्वी क्षेत्र कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) दोनों शिलांग में; सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, तूतीकोरिन और सीमा शुल्क आयुक्तालय कार्यालय, त्रिची, क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, हैदराबाद, लखनऊ, चंडीगढ़ और परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद, भोपाल, गुवाहाटी, पटना, और तिरुवनंतपुरम।

12.3 निम्नलिखित संगठनों ने सूचित किया है कि अपेक्षित जानकारी उनके मुख्यालयों द्वारा दी जाएगी, ये हैं:- वन्य जीव क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) और परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, दोनों मुंबई में और क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर।

12.4 आयकर निपटान आयोग, नई दिल्ली, ने कार्यालय प्रबंधन अंक 1 प्रेषित किया है और उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) बंगलौर ने सूचित किया है कि यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक संबद्ध कार्यालय है, अतएव अपेक्षित जानकारी उनके मंत्रालय द्वारा दी जाएगी।

12.5 47 लोक उपक्रमों/साविधिक निकायों/समितियों/निगमों/आयोगों में से निम्न 9 संगठनों ने अपने संगठनात्मक इतिहास की प्रतियाँ भेजी हैं:- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., दोनों नई दिल्ली में; केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी एवं तकनीकी संस्थान, चेन्नई, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि., गोलाघाट (असम), हरिश चंद्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद, मारमागाँव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लि., न्यूजप्रिंट नगर और कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन;

Anthropological Survey of India, all in Kolkata; Office of the Commissioner of Central Excise and Office of the Chief Post Master General (Maharashtra Circle), both in Mumbai; Office of the Regional Labour Commissioner, Ajmer (Rajasthan); Office of the Commissioner of Central Excise and Office of the Chief Post Master General (Karnataka Circle), both in Bangalore; Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Bhopal; Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum; Offices of the Chief Post Master General (Orissa Circle), Bhubaneswar; (Uttaranchal Circle), Dehradun and (UP Circle), Lucknow; Office of the Regional Labour Commissioner (Central) and Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, both in Cochin; Forest Survey of India, Dehradun; National Centre for Organic Farming, Ghaziabad; Regional Station for Forage Production and Demonstration, Palaji-Gandhinagar (Gujarat); Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji-Goa; Office of the Chief Commissioner of Income Tax and Directorate of Marketing and Inspection, both in Hyderabad; North Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar (Haryana); Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur; Foremen Training Institute, Jamshedpur; Government Medical Store Depot, Karnal; Office of the Commissioner of Income Tax, Kanpur; Office of the Commissioner of Income Tax, Jalandhar; Lal Bhadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Fishery Survey of India, Marmagao, Goa; Regional Vocational Training Institute for Women, Dakopgre-Tura, Meghalaya; Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Nagpur; Office of the Commissioner of Income Tax and National Film Archive of India, both in Pune; Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur; Central Cattle Breeding Farm, Dhmdod, Distt. Surat (Gujarat) and Sambalpur (Orissa); Office of the Commissioner of Income Tax and Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), both in Shimla; Office of the Commissioner of Customs and Central Excise (Preventive) and North Eastern Region Office (Ministry of Environment and Forests), both in Shillong; Office of the Commissioner of Customs, Tuticorin and Office of the Customs Commissionerate, Trichy; Regional Evaluation Offices, Hyderabad, Lucknow, Chandigarh and Project Evaluation Offices, Ahmedabad, Bhopal; Guwahati; Patna; and Thiruvananthapuram.

12.3 The following organisations have informed that the requisite information will be supplied by their Headquarters, These are:- Wildlife Regional Office (Ministry of Environment and Forests) and Project Evaluation Offices, both in Mumbai and Regional Evaluation Office, Jaipur.

12.4 Income Tax Settlement Commission, New Delhi forwarded Office Management Vol. I and Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Bangalore has informed that it is an attached office under Ministry of Labour and Employment, the requisite information will be supplied by their Ministry.

12.5 Out of 47 Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies/ Committees/ Corporations/ Commissions/ Statutory Bodies, the following 9 organisations have furnished copies of their Organisational histories:- National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, and National Small Industries Corporation Limited, both in New Delhi; Central Institute of Plastics Engineering and Technology, Chennai; Mumbai Port Trust, Mumbai; Numaligarh Refinery Limited, Golaghat (Assam); Harish Chandra Research Institute, Allahabad; Mormugao Port Trust, Goa; Hindustan Newsprint Limited, Newsprint Nagar and Cochin Port Trust, Cochin;

12.6 9 संगठन जिन्होंने सूचित किया है कि उन्होंने अपने संगठनात्मक इतिहास का संकलन कर लिया है ये इस प्रकार है :- भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि., नई दिल्ली, बंगाल केमिकल्स एवं फार्मासियुटिकल्स लि., कोलकाता, इंडियन रेयर अर्थस लि., मुंबई, फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स ट्रावणकोर लि., एल्लूर, नैशनल फर्टिलाइजर्स लि., नोयडा, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली, नैवेली लिग्नाइट निगम लि. नैवेली, खनिज अनुसंधान निगम लि., नागपुर और सरदार सरोवर सलाहकार समिति, वड़ोदरा।

12.7 राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान, नई दिल्ली, राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम लि., फरीदाबाद, और पूर्वोत्तर विद्युत ऊर्जा निगम लि., शिलांग ने सूचित किया है कि उनके संगठनात्मक इतिहास के संकलन का कार्य प्रगति पर है।

12.8 एन्नोर पोर्ट लि., चेन्नई ने सूचित किया है कि उनका संगठन नया है जो अभी-अभी प्रारंभ हुआ है।

12.9 हिंदुस्तान लेटेक्स लि., तिरुवनंतपुरम ने सूचित किया है कि उन्होंने संगठनात्मक इतिहास के संकलन के लिए कदम उठाना आरंभ कर दिए गए हैं।

12.10 भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., नई दिल्ली और भारतीय कपास निगम लि., मुंबई ने सूचित किया कि ये उपबंध उन पर लागू नहीं होते हैं।

12.11 12 संगठनों का एक अन्य समूह है जिन्होंने अपने संगठनात्मक इतिहास के संकलन के संबंध में 'शून्य' सूचना भेजी है। ये हैं:- भारतीय खाद्य निगम, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लि., और परियोजना उपकरण लि. सभी नई दिल्ली में; हिंदुस्तान कॉपर लि., कोलकाता, मझगांव डॉक लि., एवं सोसायटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च (समीर) दोनों मुंबई में; सेंटर फॉर मेटिरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे, आधुनिक प्रशिक्षण संस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड प्रोसेस इन्स्ट्रूमेंटेशन, देहरादून, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर, टिहरी जल विकास निगम लि., ऋषिकेश मारमागांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा और राष्ट्रीय राज्यमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा (उ.प्र.)।

12.12 निम्न 14 संगठनों ने अस्पष्ट उत्तर भेजे हैं:- ये हैं: एन.टी.पी.सी. लि., भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि., और भारतीय राज्य कृषि निगम लि., सभी नई दिल्ली में; एंड्रयूल एंड कंपनी लि., और हिंदुस्तान केबल्स लि., दोनों कोलकाता में; भारतीय जहाजरानी निगम लि., मुंबई, जी. बी. पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा, भारत पम्प एवं कंप्रेशर लि., इलाहाबाद, एच.एम.टी. मशीन टूल्स लि., एच.एम.टी. (अंतरराष्ट्रीय) लि., और अंतरिक्ष निगम लि., सभी बंगलोर में, तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लि., तुंगभद्रा बाँध, जिला बेल्लारी, तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर।

12.6 There are 9 Organisations who have informed that they have compiled their Organisational histories:- Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata; Indian Rare Earths Limited, Mumbai; Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Elloor; National Fertilizers Limited, Noida; Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy, Rae Bareli; Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur and Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara.

12.7 National Institute of Immunology, New Delhi; National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad; and North Eastern Electric Power Corporation Limited, Shillong have informed that the compilation of their organisational history is in progress.

12.8 Ennore Port Limited, Chennai has informed that they are new Organisation and just commenced.

12.9 Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram; has informed that steps have been initiated for compilation of organisational history.

12.10 State Trading Corporation of India Limited, New Delhi; and Cotton Corporation of India Limited, Mumbai have intimated that this provision is not applicable to them.

12.11 There is yet another group of 12 Organisations who have sent 'NIL' information regarding compilation of their organisational histories. These are:- Food Corporation of India, Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited and Project Equipment Corporation Limited, all in New Delhi; Hindustan Copper Limited, Kolkata; Mazagon Dock Limited, and Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), both in Mumbai; Centre for Materials for Electronics Technology, Pune; Advanced Training Institute - Electronics and Process Instrumentation, Dehradun; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; Tehri Hydro Development Corporation Limited, Rishikesh; Mormugao Port Trust, Goa and National Institute For Training of Highway Engineers, Noida (UP).

12.12 The following 14 Organisations have sent vague replies. These are:- NTPC Limited, Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited and State Farms Corporation of India Limited, all in New Delhi; Andrew Yule and Company Limited and Hindustan Cables Limited, both in Kolkata; Shipping Corporation of India Limited, Mumbai; G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora; Bharat Pumps and Compressors Limited, Allahabad; HMT Machine Tools Limited, HMT (International) Limited and Antrix Corporation Limited, all in Bangalore; Tungabhadra Steel Products Limited, Tungabhadra Dam Distt. Bellary, Tuticorin Port Trust, Tuticorin and Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur.

अध्याय—13

‘क’ श्रेणी के अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग

राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख सर्जक अभिकरणों के पास रखी ‘क’ श्रेणी के अभिलेखों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए है। इसने दिनांक 11 मई, 2006 को परिपत्र सं. 16-9/2006-आर. एम. जारी करके भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से अनुरोध किया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले विभिन्न संबंध/अधीनस्थ कार्यालयों और लोक उपक्रमों को निदेश दें कि वे इस विभाग को अपेक्षित जानकारी भेजें। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान केवल 15 संगठनों ने सूचना भेजी है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

13.1 विधायी विभाग, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके विभाग के पास अधिकतम 5000 फाइलें हैं जिन्हें माइक्रोफिल्मिंग के लिए निर्दिष्ट किया जाना है।

13.2 भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली ने सूचित किया है कि वे सभी पुराने अभिलेखों की माइक्रोफिल्म बनाने के इच्छुक हैं। उन्होंने इसके प्रदर्शन के लिए अपने कार्यालय में एक इंजीनियर नियुक्त करने का अनुरोध किया है। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने इनसे अनुरोध किया है कि वे माइक्रोफिल्म बनाये जाने वाले कागजों के अभिलेखों की कुल संख्या बताएं।

13.3 निम्न 4 संगठनों ने अनुरोध किया है कि उन्हें ‘क’ श्रेणी के अभिलेखों की प्रकृति के बारे में दिशानिर्देश प्रदान किए जाएं और उन्हें इसकी आपूर्ति कर दी गई है। ये हैं:- प्रधान मंत्री कार्यालय, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, दोनों नई दिल्ली में; और राष्ट्रीय मिलीटरी कॉलेज, देहरादून और कोयला खान कार्यालय, भविष्य निधि आयुक्त, धनबाद।

13.4 जवाहरात एवं आभूषण निर्यात प्रोत्साहन परिषद, (जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल) मुंबई को अभिलेखों के माइक्रोफिल्मिंग के बारे में राष्ट्रीय अभिलेखागार से दिशानिर्देश दिए गए हैं।

13.5 एम.एम.टी.सी. लि., नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उनके पास पहले से ही सभी अभिलेख उनके अभिलेख कक्ष में कंप्यूटराइज्ड हैं और इसलिए, अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग इन्हें कोई लाभ नहीं देगी।

13.6 निम्नलिखित 5 विभागों/कार्यालयों ने ‘शून्य’ सूचना भेजी है। ये हैं:- वाणिज्य विभाग, योजना आयोग, व्यय, रोजगार एवं प्रशिक्षण महा निदेशालय, एम. ई. पी. जैड. विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र वाणिज्य विभाग, चेन्नई।

13.7 निम्नलिखित लोक उपक्रमों/वैधानिक विकायों ने भी ‘शून्य’ सूचना भेजी है। ये हैं:- निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली और भारतीय काजू निर्यात प्रोत्साहन परिषद, कोच्चि।

MICROFILMING OF 'A' CATEGORY RECORDS

The National Archives of India continued its efforts in seeking information in respect of records of 'A' Category lying with the records creating agencies. It issued a Circular letter No. 16-9/2006-RM, dated 11 May, 2006 to all Ministries/ Departments/ Offices of the Government of India with the request to direct various Attached/ Subordinate Offices and Public Sector Undertakings which are functioning under their control to furnish the requisite information to this Department. During the period under report only 15 Organisations have furnished information, details of which are as under:-

13.1 Legislative Department, New Delhi informed that their Department is having approx 5000 files which are to be identified for Microfilming purpose.

13.2 Food Corporation of India, New Delhi has informed that they are willing to prepare the microfilm of all old records, they have requested to depute an Engineer for demonstration of the same in their office. They are requested by National Archives of India to furnish the total bulk and pages of records to be microfilmed.

13.3 The following 4 Organisations have requested as to supply the guidelines about the nature of 'A' Category records and the same were supplied to them. These are:- Prime Minister's Office and Office of the Controller and Auditor General of India, both in New Delhi and Rashtriya Military College, Dehradun and Office of the Coal Mines, Provident Fund Commissioner, Dhanbad.

13.4 The Gems and Jewellery Export Promotion Council, Mumbai has been given guidance by National Archives of India in respect of Microfilming of records.

13.5 MMTC Limited, New Delhi has informed that they have already computerised all records in their Records Room and therefore, Microfilming of records would not give them any added advantages.

13.6 The following 5 Departments/ Office have furnished 'NIL' information. These are:- Department of Commerce, Planning Commission, Expenditure, Directorate General of Employment and Training, MEPZ Special Economic Zone of Department of Commerce, Chennai.

13.7 The following Public Sector Undertakings/ Statutory Bodies have also furnished 'NIL' information. These are:- Export Development Authority, New Delhi and Cashew Export Promotion Council of India, Kochi.

अप्रचलित अभिलेखों का मूल्यांकन

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2) (ख) के साथ पठित लोक अभिलेख नियमावली, 1997 के विस्तारित नियम 5 के अनुसार अभिलेखागार महा निदेशक को मूल्यांकन करने के लिए और स्थायी प्रकृति के जमा किए गए अभिलेख, जो 25 वर्षों से पुराने हैं और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए हैं, को स्वीकार करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है। इससे सतत मूल्य के अभिलेखों को उन अभिलेखों से पृथक करने में मदद मिलेगी जिन्हें नष्ट किए जाने, के बावजूद भी विशिष्ट अवधि के लिए प्रतिधारित करना आवश्यक होता है।

14.1 रिपोर्ट की अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार ने कुल 10,773 फाइलों को मूल्यांकित किया। इनमें से 3,331 फाइलों को प्रातिधारण के लिए अनुशंसित किया गया और 7,442 फाइलों को नष्ट करने की कोशिश की गई। इस प्रकार अभिलेखों के रख रखाव के लिए प्रति वर्ष 7,442 रूपए की बचत हुई।

14.2 जिन कार्यालयों के अभिलेख मूल्यांकित किए गए वे इस प्रकार हैं:— गृह मंत्रालय (1977-80), राष्ट्रपति सचिवालय (1927-1978), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (1936-80), भुगतान कार्यालय (निष्क्रिय निकाय) आयुक्त के अभिलेखों, नई दिल्ली सहित खान मंत्रालय (1961-85) सेना मुख्यालय की महालेखाकार शाखा, नई दिल्ली (1989 से पूर्व) राज्यबल अभिलेख (रक्षा मंत्रालय) राजपूताना राइफल्स, दिल्ली छावनी (1930-48)।

14.3 इस के अलावा, अभिलेख केंद्र (पूर्वी क्षेत्र) भुवनेश्वर ने भी 37,087 फाइलों का मूल्यांकन किया। इनमें से 33,712 को प्रतिधारण के लिए और 3,375 फाइलों को नष्ट करने के लिए अनुशंसित किया गया। जिन संगठनों के अभिलेखों को मूल्यांकित किया गया वे हैं: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (रसायन शाखा) भुवनेश्वर (1974-80), कल्याण एवं उपकर आयुक्त कार्यालय, भुवनेश्वर (1974-80) पेटेंट डिजाइन कार्यालय, कोलकाता (1961-66) और भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, कोलकाता (1886-1981)।

APPRAISAL OF NON-CURRENT RECORDS

As per Section 3(2) (b) of the Public Records Act, 1993 read with the elaborate Rule 5 of the Public Records Rules, 1997, the Director General of Archives has been authorized to undertake the appraisal and also accept for deposit records of permanent nature which are more than 25 years old for their safe custody. This helps in segregating the records of enduring value from those which are required to be retained for specified period besides having their wanton destruction.

14.1 During the period under report the National Archives of India, in all appraised 10,773 files. Out of these 3,331 were recommended for retention and 7,442 files for destruction. Thus resulting in saving of Rs.7,442 per annum on the upkeep of records.

14.2 The Organisations whose records were appraised are: Ministry of Home Affairs (1977-80), President's Secretariat (1927-1978), Ministry of Information and Broadcasting (1936-80), Ministry of Mines, including records of Commissioner of Payment Office (defunct bodies), New Delhi (1961-85), A.G. Branch of Army Headquarters, New Delhi (Pre. 1989), State Forces Records (Ministry of Defence). Rajputana Rifles, Delhi Cantt. (1930-48).

14.3 Further, Record Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar had also appraised 37,087 files. Out of these 33,712 files were recommended for retention and 3,375 files for destruction. The Organisations whose records were appraised are: Archaeological Survey of India (Chemistry Branch), Bhubaneswar (1974-80), Office of the Welfare and Cess Commissioner, Bhubaneswar (1974-80), Office of the Patent Designs, Kolkata (1961-66) and Government of India Stationary Office, Kolkata (1880-1981).

संदर्भ माध्यम

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3(2) (ड़) के अनुसार, अभिलेखागार महा निदेशक को वस्तुसूची, संसूची, विषय सूची और लोक अभिलेख के अन्य संदर्भ माध्यम निर्मित करने का कार्य सौंपा गया है ताकि इनके प्रयोक्ताओं द्वारा सूचना की तीव्र प्राप्ति में सुविधा हो। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपनी पहले की रिपोर्टों में इस बात पर बल दिया है कि प्रत्येक संगठन में उनकी अभिरक्षा में रखे गए संदर्भ माध्यमों को बनाने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किया गया कार्य नीचे दर्शाया गया है:-

15.1 गृह विभाग की 604 फाइलों की विषय सूची, मेडिकल 'क' शाखा (जनवरी 1914 से दिसम्बर, 1917 तक) बनाई गई।

15.2 अभिलेखों के संदर्भ माध्यम के कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम के तहत गृह विभाग/गृह मंत्रालय (1817-1975), रेलवे बोर्ड (1859-1968), लोक निर्माण विभाग (1861-1923), इंपीरियल कृषि अनुसंधान परिषद (1932-45) वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (1905-1950) की 3, 83, 234 फाइलों की बाहरी स्त्रोतों के माध्यम से डाटा प्रविष्टि की गई है।

15.3 वित्त विभाग (1864-1961), विधायी विभाग (1882-1967), विदेश विभाग/विदेश मंत्रालय (1865-1970), केंद्रीय राजस्व बोर्ड और गवर्नर जनरल के सचिव (1944-46) की 1,43,302 फाइलों की वैद्यता का कार्य पूरा किया गया।

15.4 ओरिएंटल रिकार्ड्स (ओ.आर) प्रभाग के ईस्ट इंडिया कंपनी के पर्शियन रिकार्ड संग्रह से डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ पर्शियन कॉर्रेसपॉडेंस, अंक iv (1804) शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की। इस अंक में वर्ष 1804 के 919 दुर्लभ और अप्रकाशित पर्शियन पत्रों का विवरण समाहित है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारतीय शक्तियों के राजनयिक और राजनैतिक संबंधों के साथ-साथ अन्य प्रशासनिक मामलों पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं।

15.5. पर्शियन, अरबी और उर्दू में अभिलेखों की विवरणात्मक सूची बनाने का कार्य (ओ आर) प्रभाग में पूरा किया गया जिससे कि आने वाले प्रकाशनों में इनको निम्नानुसार सम्मिलित किया जाए:

क. 'पर्शियन पत्राचार की विवरणात्मक सूची'

- i. अंक v (1805), 27 पत्र और
- ii. अंक vi (1806), 245 पत्र

ख. 'अधिग्रहित अभिलेखों की विवरणात्मक सूची।

- i. अंक vi (1831-1850), 20 अभिलेख
- ii. अंक vii (1851-1870), 160 अभिलेख -

REFERENCE MEDIA

As per Section 3(2)(e) of the Public Records Act, 1993, the Director General of Archives has been assigned the job of preparation of inventories, indices, catalogues and other reference media of Public Records so as to facilitate Quick retrieval of information by their users. National Archives of India has been emphasizing in its earlier reports that all efforts should be made by each and every organization to prepare reference media of records lying under their custody. The work undertaken by National Archives of India during the period is indicated below:-

15.1 Subject list of 604 files of Home Department, Medical 'A' Branch (January 1914 to December, 1917) was prepared.

15.2 Under the Programme 'Computerization of Reference Media of Records' data entry of 3,83,234 files of Home Department/ Ministry of Home Affairs (1817-1975), Railway Board (1859-1968), Public Works Department (1861-1923), Imperial Council of Agricultural Research (1932-45), Department of Commerce and Industry (1905-1950) was completed through outsourcing.

15.3 The validation of 1,43,302 files/ records of Finance Department (1864-1961), Legislative Department (1882-1967), Foreign Department/ Ministry of External Affairs (1865-1970), Central Board and Revenue (1896-1967) and Secretary to Governor General (1944-46) was completed.

15.4 The Oriental Records (OR) Division has brought out a Publication entitled *Descriptive List of Persian Correspondence, Volume IV (1804)* from its collection of Persian Records of the East India Company. This volume contains details of 919 rare and unpublished Persian letters of the year 1804 which throw significant light on diplomatic and political relations of the East India Company with Indian Powers as well as its other administrative affairs.

15.5 The descriptive listing of documents in Persian, Arabic and Urdu was completed in the OR Division for inclusion in the forthcoming publications as follows:

a. 'Descriptive List of Persian Correspondence'

i. Vol. V (1805), 27 letters and

ii. Vol. VI (1806), 245 letters

b. 'Descriptive List of Acquired Documents'

i. Vol. VI (1831-1850), 20 documents

ii. Vol. VII (1851-1870), 160 documents

इसके अलावा, अधिग्रहित अभिलेखों की 640 विषय सूची./संदर्भ कार्ड और 21 अधिग्रहित पुस्तकें भी बनाई गईं।

15.6 ओरिएंटल रिकार्ड्स (ओ आर) प्रभाग ने रामपुर रजा पुस्तकालय की पांडुलिपियों की डाटा प्रविष्टि का कार्य जारी रखा और रिपोर्ट की अवधि के दौरान 1,690 पांडुलिपियों (417 माइक्रो फिल्म रोलों में रखी गईं) की प्रविष्टि की गई और कुल 2,990 पांडुलिपियों को सूची बद्ध करने के साथ कार्य पूरा किया गया (722 माइक्रो फिल्म रोलों में निहित)।

15.7 निजी अभिलेखागार (पी ए) अनुभाग ने के. एम. मुंशी और एम. संजीवा रेड्डी के पेपरों के माइक्रो फिल्म अभिलेखों से 4,486 मदों की विषय सूची तैयार की।

Besides, 640 catalogue/ Reference Cards of the acquired documents and 21 acquired books were also prepared.

15.6 Oriental Records (OR) Division continued the data entry of manuscripts of Rampur Raza Library and during the period under report data of 1,690 manuscripts (contained in 417 Microfilms rolls) was entered and the work was completed with a listing of a total of 2,990 manuscripts (contained in 722 microfilms rolls).

15.7 Private Archives (PA) Section has prepared subject lists of 4,486 items of K.M. Munshi and N. Sanjiva Reddy papers from Microfilms of records.

अभिलेख अवाप्ति / अधिग्रहण

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2) (ख) और लोक अभिलेख नियमावली, 1997 का नियम 5 महानिदेशक अभिलेखागार, राष्ट्रीय अभिलेखागार को समस्त अभिलेख सर्जक अभिकरणों से स्थायी मूल्य के लोक अभिलेखों को जमा एवं संरक्षण के लिए स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत करता है। इसी प्रकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 (1) भी ऐतिहासिक या राष्ट्रीय महत्व के किसी अभिलेख की किसी निजी स्रोत या उपहार, खरीद या अन्य ढंग से स्वीकार्यता को भी विहित करती है। उपर्युक्त उपबंधों के अनुपालन में, राष्ट्रीय अभिलेखागार की रिपोर्ट की अवधि के दौरान निम्नलिखित अभिलेख सीरीज और समस्त निजी पत्र अधिग्रहित किए हैं:-

16.1 लोक अभिलेख प्राप्ति के संबंध में, 9,438 फाइलें गृह मंत्रालय (1966-1980) 91 फाइलें राजभाषा (गृह मंत्रालय (1958-74), 612 फाइलें कृषि एवं सहकारिता (1955-1982), 508 फाइलें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (1936-1980), 100 फाइलें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग) (1954-1975), 60 फाइलें रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (1949-1975), 1001 फाइलें उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (1944-1976), 1587 फाइलें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (1930-1964), 37 फाइलें भारी उद्योग मंत्रालय एवं लोक उपक्रम (भारी उद्योग विभाग) (1964-1974), 1337 फाइलें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (1858-1966) 386 फाइलें खान मंत्रालय (1948-1980) की, 253 फाइलें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (1954-1980), 10 फाइलें मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग) (1956-1971) 3661 फाइलें शहरी विकास मंत्रालय की (1958-1977), 22 फाइलें योजना आयोग की (1950-1978), 117 फाइलें प्रधान मंत्री कार्यालय (1947-1971) की 117 फाइलें और 3416 फाइलें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (1960-1971) की, रक्षा मंत्रालय की 119 फाइलें (कार्मिक स्थापना/प्रशासन फाइलें (1) 335, फाइलें वायुसेना मुख्यालय की मंत्रालय/आर्मर्ड कॉरपोरेशन रिकार्ड, अहमद नगर की 8633 फाइलें ए.एस.सी.सी. रिकार्ड साउथ, बंगलौर की 688 फाइलें; बंगाल इंजिरियरिंग सयूह, रुड़की की 411 फाइलें पंजाब रेजीमेंट रिकार्ड, रामगढ़ कैंट की 64 फाइलें, कुमाऊँ रेजीमेंट रिकार्ड 1056 ए पी ओ रामगढ़ की 80 फाइलें।

उपर्युक्त के अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार रिकार्ड केन्द्र (पूर्वी जोन), भुवनेश्वर ने कल्याण और उपकर आयुक्त भुवनेश्वर की 45 फाइलें (1974-80), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, कोलकाता (1900-75) की 1414 फाइलें, बीवको लॉरी, कोलकाता (1944-78) की 41 मदें, भारत करकार स्टेशनरी कार्यालय/कोलकाता (1880-1972) की 4 फाइलें और 1 मद प्राप्त की तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार, रिकार्ड केंद्र पांडिचेरी ने केंद्रीय सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, नागापटनम (1951-1980) की 220 फाइलें तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय मधुरै (1960-1979) की 95 फाइलें प्राप्त कीं।

16.2 सर्वजनिक रिकार्ड के अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रष्टपात भारतीयों के निजी दस्तावेजों (पेपरों) और विदेशों से भारतीय हित संबंधी रिकार्डों का अधिग्रहण करना भी जारी रखा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत:-

ACCESSIONS/ ACQUISITIONS

Section 3(2) (b) of the Public Records Act, 1993 and Rule 5 of the Public Records rules, 1997 authorizes the Director General of Archives, National Archives of India to accept for deposit and preservation of Public Records of permanent value from all creating agencies Similarly, Section 11(1) of the said Act also stipulates acceptance of any records of historical or national importance from any private sources by way of gift, purchase or otherwise. In compliance with the above said provisions, the National Archives of India acquired the following records series and all the private papers during the period under report:-

16.1 As regards accessioning of Public Records 9,438 files of Ministry of Home Affairs (1966-1980), 91 files of Official Language (Ministry of Home Affairs (1958-74), 612 files of Ministry of Agriculture and Cooperation (1955-1982), 508 files of Ministry of Information and Broadcasting (1936-1980), 100 files of Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce (Supply Division) (1954-1975), 60 files of Ministry of Chemicals and Fertilizers (1949-1975), 1001 files of Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution (1944-1976), 1587 files of Ministry of Health and Family Welfare (1930-1964), 37 files of Ministry of Heavy Industries and Public Enterprise (Department of Heavy Industry (1964-1974), 1337 files of Ministry of Petroleum and Natural Gas (1858-1966), 386 files of Ministry of Mines (1948-1980), 253 files of Ministry of Environment and Forests (1954-80), 10 files of Ministry of Human Resource Development (Department of Secondary and Higher Education) (1956-1971), 3,661 files of Ministry of Urban Development (1958-1977), 22 files of Planning Commission (1950-1978), 117 files of Prime Minister's Office (1947-1973) and 3416 files of Archaeological Survey of India (1960-1971), 119 files of Ministry of Defence (Personnel Establishment/ Administration files (1) 335 files of Air Headquarter (Ministry of Defence). 8633 files of Armoured Corporation Records, Ahmednagar, 668 files of A.S.CC. Records South, Bangalore; 411 files of Bengal Engineering Group, Roorkee, 64 files of Punjab Regiment, Records, Ramgarh Cantt, 80 Files of Kumaon Regiment Records 1056 APO Ramgarh,

In addition to above the National Archives of India, Records Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar accessioned 45 files of Welfare and Cess Commissioner, Bhubaneswar (1974-80), 1414 files of Archaeological Survey of India, Kolkata (1900-75), 41 items of Biecco Lawrie, Kolkata (1944-78), 4 files and 1 item of Government of India Stationary Office, Kolkata (1880-1972) and National Archives of India, Record Centre, Pondicherry accessioned 220 files of Assistant Commissioner of Customs, Negapatnam (1951-1980) and 95 files of the Office of the Central Excise, Madurai (1960-1979).

16.2 Besides Public Records, National Archives of India, continued to acquire Private Papers of eminent Indians in various fields as well as records of Indian interest form abroad. Under this programme:-

1. प्रोफेसर मलविंदर जीत सिंह वाराइच के कागजात (पेपर)/ फोटो ग्राफ (1872, 1916, 1936 और 1946)

- i) शहीद निरंजन सिंह द्वारा मंदालय जेल से अपने पिता मूल सिंह को लिखे गए एक पत्र (उर्दू) की जिराक्स प्रति।
- ii) मलेरकोटला (पंजाब) में तोपों के बल पर दबाए गए कूका आंदोलन के 66 शहिदों की सूची की जिराक्स प्रति।
- iii) आई एन ए शहीद लेफ्टीनैंट अजेमर सिंह, कैप्टन मगहर सिंह के दो छायाचित्र और चन्द्रशेखर आजाद के 7 फोटोग्राफ।

2) इ.एस.रेड्डी के पेपर (1912, 1926, 1936, 1993)

- i) पूर्व-ब्रिटिश काल के दौरान गाँवों में शिक्षा और विश्व युद्ध II के संबंध में महात्मा गाँधी द्वारा श्री फिलिप हार्टोंग को और उसके द्वारा गांधीजी को लिखे उपत्र (जिराक्स प्रतियाँ) हरिलाल गाँधी द्वारा अपने पिता एम.के.गाँधी को लिखा निजी पत्र जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि उन्होंने आजीविका अर्जन के लिए घर छोड़ दिया और यह भी सूचित करने के लिए कि कालेनबांच उनसे गुस्सा नहीं हो सकती क्योंकि वह खेती की ओर वापस मुड़कर नहीं गए।
- ii) ओला कोल्जोर्सन द्वारा नोबल समिति को लिखे गए दो पत्रों की जिराक्स प्रति जिसमें उन्होंने महात्मा गाँधी को नोबेल शांति पुरस्कार हेतु नामित करने के लिए लिखा है।
- iii) 7 पत्रों की जिराक्स प्रति - गाँधी जी के पत्राचार अर्थात् जेम्स एडम्स से सरोजिनी नायडू और गाँधी जी को, रोफस एम जॉन्स द्वारा गाँधी जी को और गाँधी द्वारा रोफस एम. जॉन्स और प्रोफेसर डी.के. कुर्वे को।
- iv) लीडर वीकली से एक प्रैस कटिंग, डरबन, (v) दक्षिण अफ्रीका को गोखले के दौरे से संबंधित इन्हीं पत्रों की 27 जिराक्स प्रतियाँ जो इ.एस.रेड्डी, ब्रिटेन से प्राप्त हुई।

3) कामरेड राम चंद्र के पेपर (1986):-

कामरेड राम चंद्र के कागजों से 9 मर्दें उनके पुत्र श्री रुद्र वीर कपूर, नई दिल्ली से प्राप्त की गई, जिनमें 3 पुस्तकें शामिल हैं।

- i) नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संघ सेना।
- ii) भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की विचारधारा एवं युद्ध।
- iii) कामरेड राम चंद्र द्वारा लिखित 'रोड टू फ्रीडम' उनका जीवन वृत्त (कामरेड राम चंद्र को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 'कौन' क्या है, से लिया गया (हिंदी एवं अंग्रेजी में); कामरेड राम चंद्र के बारे में हिंदी और अंग्रेजी में नई दिल्ली आदि में किए गए साक्षात्कार का परीक्षण।

4) डा. सूर्य कुमार भुवन पेपर (1894, 1998, 1964):-

डा. सूर्य कुमार भुइयां के कागजातों में से 41 मर्दों को उनके पुत्र श्री विजय कुमार भुइयां, गुवाहाटी से अधिग्रहण किया गया। इस संग्रह में राज्य सभा सदस्य के रूप में उनके भाषण और परनावली, उनके

1. Professor Malwinder Jit Singh Waraich papers/ Photographs (1872, 1916, 1936 and 1946)
 - i) Xerox copy of one letter (Urdu) written by Martyr Niranjana Singh to his father Bhola Singh from Mandalay Jail.
 - ii) Xerox copy of list of 66 Martyrs of Kuka Movement blown away with Canons at Malerkotla (Punjab).
 - iii) Two photographs of INA Martyrs Lt. Ajmer Singh, Captain Maghar Singh and 7 photographs of Chander Shekhar Azad.

2) **E.S. Reddy Papers (1912, 1926, 1936, 1993)**

- i) 3 letters (Xerox copies) from Mahatma Gandhi to Shri Philip Hartog and Vice Versa regarding Education in the villages during Pre-British period and World War II, personnel letter from Harilal Gandhi to his father M.K. Gandhi informing that he left the home for earning and also to inform Kallenbach not to be angered with him as he had not returned to the farm.
- ii) Xerox copies of two letters by Ole Colbjornsen to the Noble Committee, nominating Mahatma Gandhi for a Nobel Peace Prize.
- iii) Xerox copies of 7 letters – Correspondence of Gandhiji i.e. James Adams to Sarojini Naidu and Gandhiji, Rafus M. Jones to Gandhiji and from Gandhiji to Rafus M. Jones and Professor D.K. Kurve.
- iv) One press cutting from the Leader Weekly, Durban, (V) 27 Xerox copies of same papers relating to Gokhale's visit to South Africa received from E.S. Reddy, U.K.

3) **Comrade Ram Chandra Papers (1986):-**

9 items of Comrade Ram Chandra papers were received from his son Shri Rudra Vir Kapur, New Delhi, which includes 3 books.

- i) *Naujawan Bharat Sabha and Hindustan Socialist Republican Association/ Army.*
- ii) *Ideology and Battle cries of Indian Revolutionaries.*
- iii) *Road to Freedom* by Comrade Ram Chandra, his bio data (Comrade Ram Chandra taken from Himachal Pradesh Vidhan Sabha who's who (in English and Hindi); a brief about Comrade Ram Chandra in English and Hindi a text to his interview at New Delhi etc.

4) **Dr. Suryya Kumar Bhuyan Papers (1894, 1918, 1964):-**

41 items of Dr. Suryya Kumar Bhuyan papers were acquired from his son Shri Bijoy Kumar Bhuyan, Guwahati. The Collection Speeches and questions as a member of Rajya Sabha his

वैयक्तिक अभिलेख (आत्मकथात्मक) दस्तावेज और पत्राचार है जो उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं; साहित्यिक, ऐतिहासिक एवं विविध पेपर, लेखों, टिप्पणियों का संग्रह जो उनके द्वारा संकलित किया गया है; उनके द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं कागजात और उनके निजी पुस्तकालय से ली गई पुस्तकें भी।

5) श्री अतुल्य घोष के कागजात (1978.84):-

34 पत्र (32 मूल एवं 2 जिराक्स प्रतियाँ) और एक पुस्तक, जिसका शीर्षक 'अतुल्य घोष समकालीन समाज व बंगाल में राजनीति, को डॉ. मंदर मुखर्जी, कोलकाता से प्राप्त किया गया।

6) सेवानिवृत्त एयर मार्शल श्री के.सी.करिअप्पा के कागजात (1952):-

स्व. जनरल के.एन.करिअप्पा कमांडर-इन-चीफ भारतीय सेना को मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रधान मंत्री जम्मू एवं कश्मीर द्वारा विदाई समारोह में प्रस्तुत की गई डिजिटल फोटो, जो श्री. के.सी. करिअप्पा, कर्नाटक से प्राप्त की गई।

7) श्री आनंद गुप्त के कागजात (1930):-

सी. के. नायर की डायरी-उन 78 सत्याग्रहियों में से एक जिन्होंने गाँधी जी की साबरमती से दांडी की ऐतिहासिक यात्रा में हिस्सा लिया था, आनंद गुप्त, दिल्ली द्वारा दान की गई।

8) प्रोफेसर द्विजेंद्र त्रिपाठी के कागजात (1916-1951):-

बैंक आफ बड़ौदा; हिल्दा लि. लार्सेन एंड टुब्रो से संबंधित फाइलों, रिपोर्टों सहित 24 मदन और श्री रामछोडलाल, अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के संस्थापक, के कागजात प्रोफे. द्विजेंद्र त्रिपाठी, अहमदाबाद द्वारा दान किए गए थे।

उपरोक्त के अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केंद्र (पूर्वी क्षेत्र), भुवनेश्वर ने भी निजी संग्रहों को प्राप्त किया। ये हैं: डा. विभूति पटनायक संग्रह के स्वर्गीय सारंगधारी दास की 21 तस्वीरें और 1 ताम्रपत्र पांडुलिपि (ब्रह्मा संहिता) डा. स्मरण नायक संग्रह से।

16.3 इसके अलावा विदेशों से भारतीय हितों के अभिलेख/माइक्रो फिल्म रोलों के अधिग्रहण कार्यक्रम के तहत युद्ध कार्यालय (डब्ल्यू ओ) और मंत्रीमंडल सीरीज (1857-1955) की 40 माइक्रोफिल्म रोलों को राष्ट्रीय कठिनाइयों के निपटान, भारतीय बजट, भारतीय सेना, भारतीय मुद्रा, भारतीय वित्त, भारत में विमान निर्माण एवं हवाई शस्त्र, युद्ध मंत्रीमंडल में भारतीय प्रतिनिधित्व, भारत में राजनैतिक स्थिति, भारतीय परिवहन सेवा प्रशासन, ब्रिटिश सेना में सेवा के प्रति सेना पेंशन की गणना से संबंधित हैं; 41 माइक्रोफिल्म रोल एल/11 जे 17 सीरीज (1930-1940) ब्रिटिश पुस्तकालय लंदन यू.के. से प्राप्त की गई कि जो गाँधी इर्विन समझौते, सविनय अवज्ञा आंदोलन, काइरा के दंगों, दिल्ली षडयंत्र मामला, महात्मा गाँधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नागा पहाड़ियों में दास प्रथा से संबंधित हैं।

16.4 उपरोक्त के साथ ओरिएंटल रिकार्ड प्रभाग (ओ आर) ने भी ऐतिहासिक दस्तावेज खरीद समिति के माध्यम से अभिलेखीय सामग्री का अधिग्रहण किया है। ये हैं:-

- i) 324 कागजात (पर्सियन पांडुलिपि, जुब्दात अल-कुवानिन (अक्टूबर 1841) की, 72 कागजात (पाँच संक्षिप्त समझौते निहित हैं) सद पद-इ-लुकमान (1853 ईस्वी), दोनों को श्री मेरठ के श्री जामिर एच. जैदी से अधिग्रहित किया गया।

personal records (biographical) documents and correspondence which throw light on his life, a collection of literary, historical and misc. papers, articles and notes compiled by him; Certificates and testimonials issued by his and also books from his personal Library.

5) **Shri Atulya Ghosh Papers (1978-84):-**

34 letters (32 original and 2 Xerox copies) and one book entitled *Atulya Ghosh Samkalin Samaj Wa Rajniti* (in Bangla) was received from Dr. Mandar Mukherjee, Kolkata.

6) **Retired Air Marshal Shri K.C. Cariappa Papers (1952):-**

One Digital photo of farewell address presented to (Late) General K.M. Cariappa Commander-in-Chief, Indian Army by Shaikh Mohammad Abdullah Prime Minister of Jammu and Kashmir received from Shri K.C. Cariappa, Karnataka.

7) **Shri Anand Gupta Papers (1930):-**

One diary of C.K. Nair - one of the 78 Satyagrahi Participated in the historic March of Gandhiji. from Sabarmati to Dandi donated by Shri Anand Gupta, Delhi.

8) **Professor Dwijendra Tripathi Papers (1916-1951):-**

24 items including files, reports relating to Bank of Baroda; Hilda Ltd., Larsen and Turbo and the papers of Shri Ramchhodlal, the founder of Ahmedabad Cotton Textile Industries, were donated by Professor Dwijendra Tripathi, Ahmedabad.

In addition to above, National Archives of India, Records Centre (Eastern Zone), Bhubaneswar also accessioned Private Collection. These are: 21 photos of Late Sarangadhari Das of Dr. Bibhuti Patnaik Collection and 1 Palm leaf manuscript (Brahma Samhita) of Dr. Smarana Nayak Collection.

16.3 Further under the programme of acquisition of records/ Microfilms rolls of Indian interest from abroad 40 Microfilm rolls of War Office (WO) and Cabinet Series (1857-1955) have been received from the National Archives, U.K. These rolls relate to the settlement of the great indicator difficulty, Indian Budget, Indian Army, Indian Currency, Indian Finance, manufacture of aircraft and air armaments in India, Indian representation in the War Cabinet, political situation in India, administration of Indian Transport Service, services in British Army to count towards army pension etc. 41 microfilm rolls of L/11J17 Series (1930-1940) have been received from the British Library London, U.K. relating to Irwin-Gandhi Pact, Civil Disobedience Movement, riots at Kaira, Delhi Conspiracy Case, Mahatma Gandhi, Indian National Congress and Slavery in Naga Hills.

16.4 In addition to above Oriental Records Division (OR) has also made acquisition of assorted archival material through Historical Documents Purchase Committee. These are:-

- i) 324 papers (Manuscripts in Persian) of *Zubdat al-Qawanin* (October 1841), 72 papers (containing five brief treatises) of *Sad Pand-i-Luqman* (1853 AD), both acquired from Shri Zamir H. Zaidi of Meerut.

- ii) दो पांडुलिपियां, एक ताम्र पत्र पर, दोनों बंगाली में श्री शिव नारायण पोरे, पश्चिमी मिदिनापुर (प.ब.) ये अधिग्रहित की गई।
- iii) 18 कागजात/पेपर नामतः *रुबकर/थकबस्त/तमाशुक-ए-कुरसी/करार/निर्णय* आदि (1828-1910 ईस्वी) बंगाली, अंग्रेजी और उर्दू में जो मुर्शिदाबाद (प.ब.) के भी खुदीराम दास से अधिग्रहित किए गए।
- iv) कागजातों का संग्रह (दो *राहनामा* और एक *मुख्तारनामा* उर्दू में जो परगना तोडा और अकबरपुर जिला फैजाबाद से संबंधित है।
- v) 40 कागजातों का संग्रह नामतः *अर्जदास्त इस्तीफता* (1840.1855 ईस्वी) (9 कागजात पर्शियन/उर्दू में और बाकी 31 देवनागरी) मोदी लिपि में झांसी के डा. एम. एल. गुप्ता से अधिग्रहित किए गए।
- vi) 50 कागजों का संग्रह जिसमें आवेदन / याचिका आवेश, *मुचलका* (वचन पत्र) और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एवं खेतड़ी (राजस्थान) का *महकमा-ए-बंदोबस्त* (निपटान विभाग) (1886-1917 ईस्वी), से कागज क्रमशः उर्दू, देवनागरी और मोदी लिपि में हैं जो झांसी के श्री राजीव लोचन गुप्ता से अधिग्रहित किए गए हैं।
- vii) उर्दू साप्ताहिक *हिंदुस्तान गदर* (1916-1917) के जारी किए गए संग्रह, जो सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका से उर्दू में प्रकाशित किए गए, लंदन के डा. एफ. एम. भट्टी से अधिग्रहित किए गए।
- viii) आयुर्वेद पर दुर्लभ पुस्तक जिसका शीर्षक *बृहन्निधमपुरात्नाकरे* (1941 ईस्वी) जिसमें 596 पृष्ठ हैं (संस्कृत और हिंदी में) जो खेमराम श्रीकृष्णदास 'इत्यानेम' द्वारा लिखी गई है को उपहार के रूप में इंदौर के श्री. डी. के. शर्मा से प्राप्त किया गया।
- ix) पुस्तक जिसका शीर्षक '*रामायण*' (1861 ईस्वी) पर्शियन/उर्दू में जिसमें 112 पृष्ठ हैं, कानपुर के श्री परमेश्वर सहाय (छन्नूलाल निगम) से अधिग्रहित की गई।

- ii) Two Manuscripts - one on Palm leaf, both in Bengali are acquired from Shri Shib Narayan Porey of West Midnapur (W.B.)
- iii) 18 papers/ documents viz. *Rubakar/ Thakbast/ Tamassuk-e-Qurzi/ Agreements/ Judgement* etc. (1828-1910 AD) in Bengali, English and Urdu were acquired from Shri Kshudiram Das of Murshidabad (W.B.)
- iv) A collection of 3 documents (two *Rahannamas* and one *Mukhtarnama* in Urdu relating to Parganas Tanda and Akburpur District Faizabad.
- v) A collection of 40 documents viz. *Arzdashts Istiftah* (1840-1855 AD) (9 documents are in Persian/ Urdu and the remaining 31 are in Devanagari/ Modi Script acquired from Dr. M.L. Gupta of Jhansi.
- vi) A collection of 50 documents of application/ Petition orders, *Muchalka* (undertakings) and certificates of succession and *Mahakma-i-Bandobast* (Settlement Department) of Khetri (Rajasthan) (1886-1917 AD), these documents are in Urdu, Devanagari and Modi scripts respectively acquired from Shri Rajiv Lochan Gupta of Jhansi.
- vii) A collection of 8 issues of Urdu weekly *Hindustan Gadar* (1916-1917) published from the San Francisco, USA in Urdu acquired from Dr. F.M. Bhatti of London.
- viii) A rare book on Ayurveda entitled *Brihannighanturatnakare* (1941 AD) containing 596 pages (in Sanskrit and Hindi) written by Khemraj Shrikrishandas 'Ityanen' has been received as a gift by Shri D.K. Sharma of Indore.
- ix) A book entitled *Ramayana* (1861 AD) in Persian/ Urdu containing 112 pages acquired from Shri Parmehswar Sahai (Channulal Nigam) of Kanpur.

अभिलेख प्रतिधारण-सूची की पुनरीक्षा

धारा 6(1) लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 उपबंधित करता है कि अभिलेख अधिकारी, राष्ट्रीय अभिलेखाकार के परामर्श से अभिलेख प्रतिधारण सारणी के संकलन के लिए उत्तरदायी होगा। संबद्ध अभिलेख सर्जक अभिकरणों के परिवर्तनशील और विस्तारित होते क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभिलेख समूहों के लिए पर्याप्त प्रतिधारण अवधि निर्धारित करने के दृष्टिकोण से इन प्रतिधारण सारणियों को पाँच वर्षों में एक बार संशोधित करने की भी आवश्यकता होगी। इस संबंध में की गई प्रगति को नीचे दर्शाया गया है:

17.1 राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली; भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय), नई दिल्ली और मौसम विज्ञान उप महानिदेशक कार्यालय (ऊपरी हवाई उपकरण), नई दिल्ली ने अध्ययन रिपोर्ट के साथ विधितः संविक्षित अभिलेख प्रतिधारण सारणियों को पूर्ववर्ती वर्ष अर्थात् 2004 में पूरा कर लिया और इन्हें क्रियान्वयन के लिए संबंधित संगठनों को भेज दिया।

17.2 प्रतिधारण सारणी सहित अध्ययन रिपोर्ट क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को भेजे गए: नागर विभाजन मंत्रालय, श्रम, वाणिज्य विभाग, सभी नई दिल्ली में; लाल बहादुर शास्त्री आधुनिक समुद्री अध्ययन एवं अनुसंधान कॉलेज (जहाजरानी मंत्रालय), समुद्री इंजीनियरी एवं अनुसंधान संस्थान (जहाजरानी मंत्रालय), टी.एस. चाणक्य (जहाजरानी मंत्रालय) और फिल्म प्रभाग (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय) और भारतीय कपास निगम लि. (वस्त्र मंत्रालय), सभी मुंबई में; राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम लि. (ऊर्जा मंत्रालय) फरीदाबाद (हरियाणा); धातु एवं इंजीनियरी परामर्शी (भारत) लि., (इस्पात मंत्रालय) और राष्ट्रीय फाउंडरी एवं फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान (मानव संसाधन विकास मंत्रालय), दोनों राँची में और मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन मंत्रालय), लखनऊ।

17.3 रोजगार एवं प्रशिक्षण महा निदेशालय (श्रम मंत्रालय), नई दिल्ली के अभिलेख प्रतिधारण सारणी की संवीक्षा के लिए स्थान पर ही अध्ययन का कार्य भी किया गया एवं पूर्ण किया गया। अध्ययन रिपोर्ट अपने विभिन्न अंतिम चरणों में है।

VETTING OF RETENTION SCHEDULES FOR RECORDS

Section 6(1) e of the Public Records Act, 1993 stipulates that the Records Officer shall be responsible for compilation of records retention schedule in consultation with National Archives of India. These retention schedules are as well required to be revised once in five years so as to take notice of changing and expanding activities of the concerned records creating agencies with a view to assign adequate retention period for such records groups. The progress made in this regard is indicated below:-

17.1 The study reports along with duty vetted records retention schedules President's Secretariat, New Delhi; India Meteorological Department (Ministry of Science and Technology), New Delhi and office of the Deputy Director General of Meteorology (Upper air Instruments), New Delhi were completed in the previous year i.e. 2004 were forwarded for implementation to the concerned organizations.

17.2 Study Reports along with Retention Schedules were sent for implementation to the following Ministries/ Departments/ Offices:- Ministries of Civil Aviation, Labour, Department of Commerce, all in New Delhi; Lal Bahadur Shastri College of Advance Maritime Studies and Research (Ministry of Shipping), Maritime Engineering and Research Institute (Ministry of Shipping), T.S. Chanakya (Ministry of Shipping) and Film Division (Ministry of Information and Broadcasting) and Cotton Corporation of India Limited (Ministry of Textile), all in Mumbai; National Hydroelectric Power Corporation Limited (Ministry of Power), Faridabad (Haryana); Metallurgical and Engineering Consultants (India) Ltd., (Ministry of Steel) and National Institute of Foundry and Forge Technology (Ministry of Human Resources Development), both in Ranchi and Chief Commissioner of Railway Safety (Ministry of Civil Aviation), Lucknow.

17.3 On the spot study for vetting the records retention schedule of the Directorate General of Employment and Training (Ministry of Labour), New Delhi was also taken up and completed. The study report is in various stages on finalization.

परामर्शी कार्य

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 3 (2) (i) के अनुसार महानिदेशक अभिलेखागार से अपेक्षित है कि अभिलेख सर्जक अभिकरण को अभिलेखों के सृजन, वर्गीकरण और निपटान तथा अभिलेखों को उनके अर्ध-प्रचलित चरण के दौरान वैज्ञानिक रूप से संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अभिलेख प्रबंधन के मानकों, प्रक्रियाओं तकनीकों का अनुप्रयोग करने के लिए परामर्श दे। इस उद्देश्य के लिए, मंत्रालयों इत्यादि के विभागीय अभिलेख कक्षों का वार्षिक निरीक्षण किया गया और अभिलेख प्रबंधन के क्षेत्र में उन्हें आवश्यक परामर्श दिया गया।

18.1 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय अभिलेखागार के कार्यालयों द्वारा 16 संगठनों के विभागीय अभिलेख कक्षों का निरीक्षण किया गया। ये हैं: पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जल संसाधन, रेलवे (रेलवे बोर्ड), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नयन, व्यय, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, प्रधान मंत्री कार्यालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि. सार्वजनिक उपक्रम, शहरी विकास मंत्रालय एवं गरीबी उन्मूलन, एम एम टी सी लि. और हिंदुस्तान प्रीफैब लि. सभी नई दिल्ली में।

18.2 उपरोक्त के अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और सत्रे संग्रहालय, दोनों भोपाल में, के अभिलेखों के रख-रखाव व बेहतर संरक्षण पर परामर्श दिया और राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केंद्र, भुवनेश्वर ने भी निम्नलिखित कार्यालयों के अभिलेख प्रबंधक और संरक्षण पर परामर्श दिया। ये हैं: भारतीय भू सर्वेक्षण, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र, क्षेत्रीय राष्ट्रीय इतिहास संग्रहालय, भुवनेश्वर में, पूर्वोत्तर रेलवे और बीको लारी, दोनों कोलकाता में, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी, दमनजोड़ी और कोयला खान भविष्य निधि धनबाद।

18.3 इसके अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अभिलेख सर्जक अभिकरणों को जब भी ऐसे पहलु आए, अभिलेख प्रबंधन के मामलों पर परामर्श देना जारी रखा। तदनुसार, राष्ट्रीय अभिलेखागार के अधिकारियों द्वारा अभिलेख प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर विधि मंत्रालय, कंपनी कार्य विभाग, भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., भारतीय पुनः सृजित ऊर्जा विकास अभिकरण, प्रेषण कंपनी (दिल्ली विद्युत बोर्ड), हिंदुस्तान निर्यात निगम लि., इंडियन ऑयल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. मझगाँव डॉक लि. और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि. सभी नई दिल्ली में, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, गोहाटी, ऑर्डिनेंस क्लोदिंग फैक्टरी (रक्षा मंत्रालय) आवडी, चेन्नई और एनेमी प्रोपर्टीज, मुंबई को परामर्श दिया।

18.4 राष्ट्रीय अभिलेखागार ने विश्व बैंक की परियोजना 'अच्छे प्रशासन के लिए क्षमता निर्माण' के तहत अभिलेख प्रबंधन पर प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के साथ अपनी विशेषज्ञता को बाँटा। इस मॉड्यूल में अभिलेख प्रबंधन की उत्तम प्रक्रियाओं इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज और अभिलेख प्रबंधन की संकल्पना को भी शामिल किया गया। इस संबंध में संजय गर्ग, सहायक निदेशक, अभिलेखागार को

ADVISORY WORK

As per Section 3(2) (i) of the Public Records Act, 1993 Director General of Archives is required to render advice to records creating agencies on the creation, classification and disposal of records and application of standards, procedures techniques of records management in order to ensure records are preserved scientifically during their semi-current stage. For this purpose, annual inspection of Departmental Records Rooms of the Ministries, etc. been undertaken and necessary advice in the area of records management has been tendered to them.

18.1 During the period under report Departmental Records Rooms of 16 Organizations were inspected by the officers of the National Archives of India. These are:- Ministries of Environment and Forests, Information and Broadcasting, Health and Family Welfare, Road Transport and Highways, Water Resources, Railways (Railway Board), Department of Information Technology, Industrial Policy and Promotions, Expenditure, Secondary and Higher Education, Prime Minister's Office Council of Scientific and Industrial Research, National Institute of Educational Planning and Administration, National Buildings Construction Corporation Limited (PSU), (Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation), MMTC Ltd., and Hindustan Prefab Limited, all in New Delhi.

18.2 In addition the above, National Archives of India, Regional Office, Bhopal has rendered advice on better maintenance and preservation of records to the MP Board of Secondary Education, and Sapre Sangrahalaya, both in Bhopal and National Archives of India, Record Centre, Bhubaneswar has also rendered advice on Records Management and preservation of records of the following offices. These are:- Geological Survey of India, Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Regional Museum of Natural History in Bhubaneswar; Eastern Railways and Biecco Lawrie, both in Kolkata; National Aluminium Company, Damanjodi and Coal Mines Provident Fund, Dhanbad.

18.3 Further, the National Archives of India continued to tender advice on the matters of records management to records creating agencies as and when such aspects received. Accordingly advice on various aspects of records management was rendered by the officers of the National Archives of India to Ministry of Law, Department of Company Affairs, State Trading Corporation of India Limited; Indian Renewable Energy Development Agency, Transmission Company (Delhi Vidyut Board), Hindustan Export Corporation of India Ltd., Indian Oil Corporation of India Ltd., Mazagon Dock Limited and Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, all in New Delhi; North East Frontier Railway, Guwahati, Ordnance Clothing Factory (Ministry of Defence), Avadi, Chennai and Enemy Properties, Mumbai.

18.4 The National Archives of India shared its expertise with the Department of Administrative Reforms and Public Grievances in developing a training module on records management under the World Bank Project 'Capacity Building for Good Governance'. The module incorporates the best practices in records management and also the concept of electronics documents and records

चेन्नई, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली में 4 से 15 अप्रैल 2005 के लिए स्रोत व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया गया।

18.5 श्री संजय गर्ग, सहायक निदेशक अभिलेखागार और गायत्री वशिष्ठ, अभिलेखागार द्वारा 16-18 मई, 2005 को कड्डलूर में नैवेली लिग्नाइट निगम लि. में अधिकारियों के लिए अभिलेख प्रबंधन में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

18.6 उपरोक्त के अलावा संगठनों को विभिन्न रेप्रोग्राफी सेवाओं पर तकनीकी दिया गया। ये हैं: इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, भुवनेश्वर, जिला मजिस्ट्रेट एवं क्लेक्टर कार्यालय, कोरापट, सी एम पी एफ आयुक्त कार्यालय, धनबाद, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय अभिलेख एवं अभिलेखन केंद्र और कृषि बैंकिंग संयुक्त कॉलेज सभी पुणे में; कर्नाटक राज्य अभिलेखागार, बंगलौर, उ.प्र. राज्य अभिलेखागार, लखनऊ; राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, मिजोरम राज्य अभिलेखागार, कला एवं संस्कृति विभाग, मिजोरम अभिलेखागार विभाग, पंचकूला (हरियाणा) और जापान दूतावास, नई दिल्ली।

18.7 निम्नलिखित आख्यान भी दिए गए और रेप्रोग्राफी प्रभाग के कर्मचारियों द्वारा बैठक में हिस्सा लिया गया:-

- i) श्री ए.के.डे. माइक्रोफोटोग्राफीस्ट ने एल. एन. जे. एन. राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं न्यायलयी विज्ञान संस्थान, दिल्ली के विभिन्न रेप्रोग्राफी सेवाओं पर आख्यान दिए।
- ii) श्री एन.एस. मणि, माइक्रोफोटोग्राफिस्ट ने 19 सितंबर, 2005 को कोयला खान भविष्य निधि आयुक्त के क्षेत्रीय उपायुक्तों की फरीदाबाद (हरियाणा) में बैठक में हिस्सा लिया और अभिलेखों की माइक्रोफिलिमिंग पर तकनीकी मार्गदर्शन और परामर्श दिया।

18.8 (क) अभिलेखीय दाय के संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर निम्नलिखित को तकनीकी जानकारी दी गई: उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय और मेसर्स माइक्रो वैज्ञानिक कार्य सभी दिल्ली और नई दिल्ली में; तमिलनाडू राज्य अभिलेखागार, चेन्नई, भारतीय भू-सर्वेक्षण, कोलकाता; लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, मिजोरम राज्य अभिलेखागार (कला एवं संस्कृति विभाग), आइजोल, मिजोरम और गुरुकुल कांगड़ी विश्व विद्यालय, हरिद्वार।

(ख) अभिलेखों की उचित देखभाल के लिए निम्न कार्यालयों को स्पॉट पर ही मार्गदर्शन दिया गया:-

- i) कमांडिंग अधिकारी, 3 मैके, आई एन एफ (118जी.आर.), सी/ओ 56 ए पी ओ, सूरतगढ़ राजस्थान)
- ii) कमांडिंग अधिकारी 2/8 गोरखा राइफल्स, सी/ओ 56 ए पी ओ, देहरादून।

18.9 निम्न संस्थान/संगठनों को संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर तकनीकी परामर्श दिया गया:-

- i) मि. इनेको देसरनो, अभिलेख एवं अभिलेखागार प्रमुख विश्व स्वास्थ्य संगठन जनरल, स्वीट्जरलैंड।
- ii) मणिपुर राज्य अभिलेखागार, इम्फाल, पंजाब राज्य अभिलेखागार, चंडीगढ़, मिजोरम राज्य अभिलेखागार, मिजोरम, अभिलेखागार विभाग, हरियाणा, पंचकूला, टाटा इस्पात अभिलेखागार, जमशेदपुर, राजस्थान, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर (राजस्थान) और राष्ट्रीय शारीरिक विकलांग संस्थान, देहरादून।

management. In this regard Shri Sanjay Garg, Assistant Director of Archives was nominated to act as a Resource Person for conducting Trainers' Training Workshops at Chennai, Bhopal, Kolkata and Delhi from 4 to 15 April, 2005.

18.5 A Special Training Course in Records Management was conducted for officers of the Neyveli Lignite Corporation Limited from the 16-18 May, 2005 at Cuddalore by Shri Sanjay Garg, Assistant Director of Archives and Mrs. Gayatri Vasisht, Archivist.

18.6 In addition to above the technical Information/ Guidance on the various Reprographic services given to the organizations these are:- Indian Oil Corporation, Bhubaneswar, Office of the District Magistrate and Collector, Koraput, Office of the C.MPF. Commissioner, Dhanbad; Reserve Bank of India, Central Records and Documentation Centre and College of Agricultural Banking Compound, all in Pune; Karnataka State Archives, Bangalore; UP State Archives, Lucknow; Rajasthan State Archives, Bikaner; Mizoram State Archives, Art and Culture Department, Mizoram Archives Department, Panchkula (Haryana) and Embassy of Japan, New Delhi.

18.7 The following lectures were also delivered and a meeting was attended by the Staff of Reprography Division:-

- i) Shri A.K. Dey, Microphotographer delivered lectures on various Reprographic services to the trainees of the L.N.J.N. National Institute of Criminology and Forensic Science, Delhi.
- ii) Shri N.S. Mani, Microphotographer attended a meeting of Regional Commissioners of Coal Mines Provident Fund Commissioner at Faridabad (Haryana) on 19 September, 2005 to give technical guidance and advice on microfilming of documents.

18.8 (a) Technical information rendered on various aspects of conservations of documentary heritage was supplied to the following:- Ministry of Development of North Eastern Region, National Museum, Nehru Memorial Museum and Library and M/s Macro Scientific Works, all in Delhi and New Delhi; Tamil Nadu State Archives, Chennai; Geological Survey of India, Kolkata; Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie; Mizoram State Archives, (Arts and Culture Department), Aizwal, Mizoram and Gurukul Kangri Vishwa Vidyalaya, Hardwar.

(b) On the spot guidance for proper up keep of records was provided to the following offices:-

- i) Commanding Officer, 3MECH, INF (118 GR), C/o 56 APO, Suratgarh (Rajasthan).
- ii) Commanding Officer 2/8 Gurkha Rifles, C/o 56 APO, Dehra Dun.

18.9 The following Institution/ Organisations have been rendered technical advice on various aspects of conservation:-

- i) Mr. Ineko Deserno, Head Records and Archives WHO General, Switzerland.
- ii) Manipur State Archives, Imphal, Punjab State Archives, Chandigarh, Mizoram State Archives, Mizoram, Archives Department, Haryana, Panchkula; Tata Steel Archives, Jamshedpur, Rajasthan; Prachya Vidhyya Pratisthan, Jodhpur (Rajasthan) and National Institute of the Physically Handicapped, Dehra Dun.

ट्रेनिंग

कार्मिकों को अपने संबंधित संगठनों में उचित ढंग से अभिलेख एवं अभिलेख मास प्रबंधन क्रियाकलाप करने के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के दृष्टिकोण के साथ अभिलेख अध्ययन विद्यालय द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे अभिलेखीय अध्ययन में डिप्लोमा, अभिलेख प्रबंधन, अभिलेखागार प्रशासन, पुस्तकों की देखभाल एवं संरक्षण, पांडुलिपि एवं अभिलेखागार, अभिलेखों की देखभाल एवं अनुरक्षण और रेप्रोग्राफी में अल्प कालिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/लोक उपक्रम इनमें से किसी भी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु अपने कार्मिकों को भेज सकते हैं। इसी प्रकार, संबंधित संगठनों में लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नामित विभागीय अभिलेख अधिकारियों के लिए अभिलेख प्रबंधक में पाँच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम वार्षिक चलाए जाते हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 91 विभागीय अभिलेख अधिकारियों ने अभिलेख प्रबंधन अभिविन्यास पाठ्यक्रम में हिस्सा लिया। वर्ष 2005 के दौरान इन पाठ्यक्रमों में जिन विभागीय अभिलेख अधिकारियों ने हिस्सा लिया उनकी सूची रिपोर्ट के अनुलग्नक V पर देखी जा सकती है।

19.1 2004-05 शैक्षिक वर्ष के लिए अभिलेखागार अध्ययन के एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के बैच में 12 विद्यार्थी थे, इनमें से दो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा और एक उच्चतर शिक्षा निदेशालय, त्रिपुरा सरकार, अगरतला (त्रिपुरा) द्वारा प्रायोजित थे और बाकी निजी उम्मीदवार थे।

19.2 अभिलेखागार अध्ययन स्कूल ने किताबों पांडुलिपियों और अभिलेखों के संरक्षण और देखभाल पर भी दो अल्प कालिक, पाठ्यक्रम आयोजित किए जिसमें 13 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जिनमें से रेलवे बोर्ड, कृष्णा विधि कॉलेज, बिजनौर, पुरातत्व विज्ञान एवं संस्कृति, रायपुर, अभिलेखागार निदेशक असम, दिसपुर, रामपुर रज़ा पुस्तकालय रामपुर द्वारा एक-एक प्रायोजित थे बाकी निजी उम्मीदवार थे।

19.3 अभिलेख प्रबंध पर दो अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 26 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इनमें से 2 अभ्यर्थियों को केंद्रीय सरकार और तीन अभ्यर्थियों को यू.सी. कालेज विभाग, केरल, इतिहास विभाग, मेरठ कालेज, मेरठ और एस. डी एस एस. डी ए वी पब्लिक स्कूल, जिला, करनाल द्वारा आमंत्रित किया गया और बाकी अभ्यर्थी निजी अभ्यर्थी थे।

19.4 अभिलेखागार अध्ययन स्कूल ने भी अभिलेखागार प्रशासन पर एक अल्प कालिक पाठ्यक्रम आयोजित किया जिसमें 12 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। सभी निजी उम्मीदवार थे।

19.5 रेप्रोग्राफी में दो अल्पकालिक पाठ्यक्रम सत्र भी आयोजित किए गए जिसमें 15 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इनमें से छह हरियाणा राज्य अभिलेखागार, चंडीगढ़, कर्नाटक राज्य अभिलेखागार, बंगलौर, उड़ीसा संग्रहालय, भुवनेश्वर, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र), आंबिया विद्या निकेतन, ओबियानगर, जूनागढ़ (गुजरात), प्रभात उच्चतर माध्यमिक स्कूल, राय राजनाथपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रायोजित थे और बाकी निजी उम्मीदवार थे।

19.6 अभिलेखों के रख-रखाव व मरम्मत पर दो अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में 28 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इनमें से 8 विभिन्न संगठनों द्वारा प्रायोजित थे और बाकी निजी उम्मीदवार थे। इनमें से खाद्य एवं सार्वजनिक

TRAINING

Various training courses like Diploma in Archival Studies, Short Term Certificate Courses in Records Management, Archives Administration, Care and Conservation of Books, Manuscripts and Archives, Servicing and Repair of Records and Reprography are being conducted by School of Archival Studies with a view to produce trained personnel to manage archival and records management activities in their respective Organisations in a proper manner. Ministries/ Departments/ Offices/ Public Sector Undertakings can send their officials to undergo training in any of these courses. Similarly, for better implementation of Public Records Act, 1993 in the concerned organisations, Five days Orientation Course in records management are also being conducted annually for designated Departmental Records Officers. During the period under report 91 Departmental records Officers have attended the Orientation Course in Records Management. A list of Departmental Records Officers who have attended these courses during the year 2005 may be seen at Annexure V of the Report.

19.1 One year Diploma Course in Archival Studies for the Academic year 2004-05 has a batch of 12 students. Out of these, two are sponsored by Office of the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi and one by Directorate of Higher Education, Government of Tripura, Agartala (Tripura), and the rest were private candidates.

19.2 School of Archival Studies also conducted two Short Term Courses in Care and Conservation of Books, Manuscripts and Archives which were attended by 13 candidates. One each was sponsored by Railway Board, Krishna College of Law, Bijnor, Archaeology and Culture, Raipur, the Director of Archives Assam, Dispur, Rampur Raza Labara, Rampur, and the rest were private candidates.

19.3 Two Short Term Courses in Records Management were conducted, which were attended by 26 Candidates, two were nominated by Central Government Organisations whereas three were nominated by Department U.C. College, Kerala, Department of History, Meerut College, Meerut and S.DSS. DAV Public School, Distt, Karnal and the rest were private candidates.

19.4 School of Archival Studies also conducted one Short Term Course in Archives Administration which was attended by 12 candidates. All were private candidates.

19.5 Two sessions of Short Term Courses in Reprography were also conducted which were attended by 15 candidates. Out of these six were sponsored by Haryana State Archives, Chandigarh, Karnataka State Archives, Bangalore, Orissa Museum, Bhubaneswar, Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwa Vidyalaya, Wardha (Maharashtra), Ambiya Vidya Niketan Ambyannagar, Junagarh (Gujarat), Prabhat Higher Secondary School, Rai Rajnathpur, Chhatishgarh and the rest were private candidates.

19.6 Two Short Term Courses in Servicing and Repair of Records were attended by 28 candidates. Out of these 8 were sponsored by various organisations and the rest were private candidates. One each

वितरण विभाग और इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र, दोनों दिल्ली में, से एक-एक और केरल राज्य अभिलेखागार और कर्नाटक राज्य अभिलेखागार बंगलौर से 3 उम्मीदवार प्रायोजित किए गए।

19.7 निम्नलिखित 39 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अपने अधिकारियों को भेजने के लिए इच्छा दर्शायी है। ये हैं: रक्षा मंत्रालय, रेलवे (रेलवे बोर्ड), जल संसाधन, योजना आयोग, वायुसेना मुख्यालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), टाउन एवं कंट्री प्लानिंग संगठन, सभी नई दिल्ली में; बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला, ये है; जूट आयुक्त कार्यालय, कोलकाता वन्य जीव क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), मुंबई, मुख्य उप श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कार्यालय, अजमेर (राजस्थान); केंद्रीय तटीय इंजीनियरी, मात्स्यिकी संस्थान, मुख्य उप श्रम आयुक्त (मध्य) कार्यालय और विधि मामले विभाग की शाखा सचिवालय, सभी बंगलौर में, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), भुवनेश्वर, टर्मिनल बैलीस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़; केंद्रीय संस्थान क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य) कार्यालय और मात्स्यिकी सामुद्रिक इंजीनियरी प्रशिक्षण दोनों कोचीन में; मुख्य महाडाकपाल (उत्तरांचल), देहरादून, हैदराबाद, मुख्य महाडाकपाल (उ.प्र.मंडल) कार्यालय और कार्यालय, जयपुर, पोर्ट स्वास्थ्य संगठन, मारमागाँव, गोवा और मंडपम कैप; लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, मसूरी; भारतीय खान ब्यूरो और केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला दोनों नागपुर में; केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, पुणे; केंद्रीय उत्पाद प्रजनन फार्म, चिपलीमा, संबलपुर (उड़ीसा), सीमा शुल्क आयुक्त (निवारण) कार्यालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) दोनों शिलांग में और सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, तूतीकोरिन।

19.8 लोक उपक्रमों/समितियों/निगमों/सांविधिक निकायों आदि से प्राप्त 47 उत्तरों में से 15 संगठनों ने सूचित किया है कि उनके पास पूर्ण कालिक प्रशिक्षित अभिलेख अधिकारी हैं। ये हैं: भारतीय खाद्य निगम, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि.। राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, परियोजना उपकरण निगम लि. और भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ लि. सभी नई दिल्ली में; बंगाल केमिकल्स एंड फार्मसियुटिकल्स लि. कोलकाता, भारतीय कपास निगम लि., मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और इंडियन रेंयर अर्थस लि., सभी मुंबई में; नैशनल फर्टिलाइजर्स लि., नोएडा; हिंदुस्तान लेटेक्स लि., तिरुवनंतपुरम, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लि., न्यूजप्रिंट नगर, आधुनिक प्रशिक्षण संस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशन, देहरादून, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लि., भुवनेश्वर, राष्ट्रीय जलविद्युत ऊर्जा निगम लि., फरीदाबाद, और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. गोलाघाट (असम)।

19.9 भारतीय राज्य व्यापार निगम लि., नई दिल्ली और मारमागाँव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा ने सूचित किया है कि वर्तमान में उनके पास विभागीय अभिलेख अधिकारी नहीं है परंतु जल्दी ही उन्हें नामित किया जाएगा।

19.10 एन्नोर पोर्ट लि., चेन्नई ने सूचित किया है कि यह नया संगठन है जो अभी-अभी प्रारंभ हुआ है।

was sponsored by Department of Food and Public Distribution and Indira Gandhi National Centre for Arts, both in New Delhi; Three from Kerala State Archives, and Karnataka State Archives, Bangalore.

19.7 The following 39 Ministries/ Departments/ Offices/ have shown their willingness to depute their officials for various training courses conducted by the National Archives of India. These are:- Ministry of Defence, Railways (Railway Board), Water Resources, Planning Commission, Air Headquarters, Departments of Chemicals and Petrochemicals, Commerce, Directorate General of Supplies and Disposals, Central Pension Accounts office, Wildlife Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Town and Country Planning Organisations, all in New Delhi; BCG Vaccine Laboratory, Chennai; Office of the Jute Commissioner, Kolkata; Wildlife Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Mumbai; Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Ajmer (Rajasthan); Central Institute of Coastal Engineering for Fisheries, Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) and Branch Secretariat of Department of Legal Affairs, all in Bangalore; Eastern Regional Office (Ministry of Environment and Forests), Bhubaneswar; Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh; Central Institute of Office of the Regional Labour Commissioner (Central) and Fisheries Nautical and Engineering Training, both in Cochin; Chief Post Master General (Uttaranchal), Dehradun; National Centre of Organic Farming, Ghaziabad; Office of the Commissioner of Income Tax, Hyderabad; Office of the Chief Post Master General (UP Circle) and Regional Evaluation Office, both in Lucknow; Office of the Salt Commissioner, Jaipur; Post Health Organisations, Marmagao, Goa and Mandapam Camp; Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Mussoorie; Indian Bureau of Mines and Central Agmark Laboratory, both in Nagpur; Office of the Commissioner of Central Excise, Pune; Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Raipur; Central Cattle Breeding Farm, Chiplima, Sambalpur (Orissa); Office of the Commissioner of Customs (Preventive), North Eastern Region and North Eastern Regional Office (ministry of Environment and Forests), both in Shillong and Office of the Commissioner of Customs, Tuticorin.

19.8 Out of 47 replies received from Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc. 15 Organisations have intimated that they have full time trained Records Officers. These are:- Food Corporation of India, Food Corporation of India, Bharat Heavy Electricals Limited, National Institute of Immunology, Project Equipment Corporation Limited, and Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, all in New Delhi; Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata; Cotton Corporation of India Limited, Mumbai Port Trust and Indian Rare Earths Limited, all in Mumbai; National Fertilizers Limited, Noida; Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram; Hindustan Newsprint Limited, Newsprint Nagar; Advanced Training Institute - Electronics and Process Instrumentation, Dehradun; National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar; National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad; and Numaligarh Refinery Limited, Golaghat (Assam);

19.9 State Trading Corporation of India Limited, New Delhi; and Mormugao Port Trust, Goa have informed that presently they do not have a Departmental Records Officer but will be nominated soon.

19.10 Ennore Port Limited, Chennai has informed that they are new organisation which is just commenced.

19.11 14 लोक उपक्रमों ने सूचित किया है कि उनके पास प्रशिक्षित अभिलेख अधिकारी नहीं हैं: ये हैं: राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, दोनों नई दिल्ली में; मझगाँव डॉक लि., और सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग तथा हिंदुस्तान कॉपर लि., कोलकाता; द फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावणकोर लि., एल्लूर; इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली, नैवेली लिग्नाइट निगम लि., नैवेली, सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी, पुणे; खनिज अन्वेषण निगम लि. नागपुर, टिहरी जल विकास निगम लि., ऋषिकेश, पूर्वोत्तर विद्युत ऊर्जा निगम लि., शिलांग, राष्ट्रीय राजमार्ग इंजीनियर प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा (उ.प्र.) और सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति, बड़ोदरा।

19.12 निम्न 14 लोक उपक्रमों ने अस्पष्ट उत्तर दिए हैं। ये हैं: भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि. एन.टी.पी.सी लि., राज्य कृषि निगम लि. सभी नई दिल्ली में; ऐड्रयूल एंड कंपनी लि. और हिंदुस्तान केवल्स लि. दोनों कोलकाता में; भारतीय जहाजरानी निगम लि. मुंबई, जी. बी. पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा, भारत पंप एवं कंप्रेसर लि., इलाहाबाद, एच.एम.टी मशीन टूल्स लि. एच.एम.टी (अंतराष्ट्रीय) लि. और अंतरिक्ष निगम लि. सभी बंगलौर में; तुंगभद्रा इस्पात लि., तुंगभद्रा बाँध, जिला, बेल्लारी, तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन; और भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर।

19.11 14 Public Sector Undertakings have informed that they do not have trained Records Officer. These are:- National Small Industries Corporation Limited, National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, both in New Delhi; Mazagon Dock Limited, and Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), both in Mumbai; Hindustan Copper Limited, Kolkata; The Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Elloor; Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy, Rae Bareli; Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli; Centre for Materials for Electronics Technology, Pune; Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur; Tehri Hydro Development Corporation Limited, Rishikesh; North Eastern Electric Power Corporation Limited, Shillong; National Institute for Training and Highways Engineers, Noida (UP); and Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara.

19.12 The following 14 Public Sector Undertakings have furnished vague reply. These are:- Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, NTPC Limited, State Farms Corporation of India Limited, all in New Delhi; Andrew Yule and Company Limited and Hindustan Cables Limited, both in Kolkata; Shipping Corporation of India Limited, Mumbai; G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora; Bharat Pumps and Compressors Limited Allahabad; HMT Machine Tools Limited, HMT (International) Limited and Antrix Corporation Limited, all in Bangalore; Tungabhadra Steel Products Limited, Tungabhadra Dam, Distt. Bellary; Tuticorin Port Trust, Tuticorin; and Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur.

अध्याय-20

अभिलेख जागरूकता

जैसा कि लोक अभिलेख अधिनियम 1993 की धारा 3 (2) (घ) में विचरित किया गया है; अभिलेखागार महानिदेशक को आम जनता के बीच अभिलेखागार जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से लोक अभिलेखों की प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। तदनुसार, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए:

20.1 'अभिलेखागार सप्ताह समारोह' के साथ 'युगों से गुजरते भारतीय खेल' शीर्षक प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री के. जयकुमार, संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 23 फरवरी, 2005 को किया गया। उद्घाटन समारोह में श्री कपिल देव मुख्य अतिथि थे जबकि श्री जाफर इकबाल और अजीत पाल सिंह सहित अन्य प्रमुख खिलाड़ियों ने इस अवसर पर भाग लिया यह प्रदर्शनी 23 मार्च, 2005 तक जनता के लिए खुली रही और खास तौर पर स्कूली बच्चों द्वारा पसंद की गई।

20.2 (i) अभिलेखागार सप्ताह मनाने के लिए, राष्ट्रीय अभिलेखागार, अभिलेख केंद्रों, जयपुर, पांडिचेरी और भुवनेश्वर तथा क्षेत्रीय केंद्र, भोपाल ने भी 'युगों से गुजरते भारतीय खेल' शीर्षक से प्रदर्शनी आयोजित की जिसका दृष्टिकोण आम जनता तथा खासकर विद्यार्थियों/शैक्षिक समुदायों के बीच अभिलेखीय जागरूकता पैदा करना है।

ii) 14-18 फरवरी 2005 तक पंजाब राज्य अभिलेखागार, चंडीगढ़ में 'अमर शहीद' शीर्षक से प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसके अलावा, निदेशक के अनुरोध पर, जाकिर हुसैन और उसके समकालीन अभिलेखों और पोर्ट्रेट दीर्घा, इस प्रदर्शनी को भी जामिया सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में 15-27 अगस्त, 2005, तक नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया।

iii) 'दांडी यात्रा' शीर्षक प्रदर्शनी जिसका उद्घाटन माननीय सूचना, प्रसारण एवं संस्कृति में श्री एस. जयपाल रेड्डी द्वारा 22 अगस्त 2005 को गाँधी जी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा के 75 वर्षों की याद में किया गया जिसमें श्रीमती नीना इंजन, सचिव (संस्कृति) और प्रमुख अतिथि नामतः श्री एल.पी. साही, पूर्व केंद्रीय शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री, श्री सत्यपाल, सचिव, सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसायटी, नई दिल्ली, प्रो. के. डी. गंगराडे, उप-सभापति, गाँधी स्मृति एवं गाँधी समिति, नई दिल्ली, श्रीमती पी. फड़के और श्री आनंद गुप्त, सी. के. नायर की मूल डायरी के अभिरक्षक, जो दांडी यात्रा पर जाने वाले सत्यग्रहियों में से एक थे, उन विशिष्ट अतिथियों में से जो उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। ये प्रदर्शनी 23 सितंबर, 20.05 तक जनता के लिए खुली रही और हर वर्ग की जनता से इसे देखा।

इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य अभिलेखागार, मुंबई द्वारा 2-5 अक्टूबर, 2005 तक 'दांडी यात्रा' पर संक्षिप्त प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उद्घाटन मुख्य मंत्री श्री विलासराव देशमुख, महाराष्ट्र सरकार ने डॉ. विजय कोके, मुंबई विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, श्री एकनाथ गायकवाड़, संसद सदस्य, श्री प्रभाकर कुंटे, पूर्व-मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी, और उषा ठक्कर, माननीय सचिव, मणि भवन गाँधी संग्रहालय, मुंबई की उपस्थिति में किया गया।

ARCHIVAL AWARENESS

As envisaged in Section 3(2) (d) of the Public Records Act, 1993, the Director General of Archives is authorised the held exhibitions of Public Records with a view to arouse archival awareness among the common people. Accordingly, the following activities were undertaken during the period under report:

20.1 To coincide with 'Archives Week Celebrations' an exhibition entitled 'Indian Sports through the Ages' was inaugurated by Shri K. Jayakumar, Joint Secretary, Ministry of Culture on 23 February, 2005. Shri Kapil Dev, was the Guest of Honour during the inauguration function while a gallery of other prominent Sports personalities including Shri Zafar Iqbal and Ajit Pal Singh, graced the occasion. This exhibition remained open for public till 23 March, 2005 and was specially appreciated by the school children.

20.2 (i) To celebrate the Archives Week, National Archives of India, Records Centres, Jaipur, Pondicherry and Bhubaneswar and Regional Office, Bhopal also organised the exhibition entitled 'Indian Sports Through the Ages' with a view to create archival awareness amongst the public in general and students/ academic community in particular.

ii) The Exhibition entitled 'Immortal Martyrs' was displayed in Punjab State Archives, Chandigarh from 14-18 February, 2005. Besides, on the request of Director, Zakir Hussain and his Contemporary Archives and Portrait Gallery, this exhibition was also displayed under the auspice of Jamia Cultural Committee, New Delhi from 15- 27 August, 2005.

iii) An exhibition entitled 'Dandi Yatra' was inaugurated by Shri S. Jaipal Reddy, Hon'ble Minister of Information, Broadcasting and Culture on 22 August 2005 to commemorate 75 years of historic Dandi March of Gandhi in the presence of Smt. Neena Ranjan, Secretary (Culture) and a galaxy of prominent visitors viz. Shri L.P. Shahi, Former Union Minister for the Education and Culture, Shri Satyapaul, Secretary, Servants of the People Society, New Delhi, Professor K.D. Gangrade, Vice-Chairman, Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi; Mrs. P. Phadke and Shri Anand Gupt, the Custodian of Original diary of C.K. Nair, who was one of the Satyagrahis who followed Gandhiji during the March, were few of the distinguished guest who were present during the inaugural function. This Exhibition remained open for public till 23 September, 2005 and was visited by the people from all walks of life.

Besides, an abridged version of the exhibition on 'Dandi Yatra' was organised by Maharashtra State Archives, Mumbai from 2-5 October, 2005, where it was inaugurated by Shri Vilasrao Deshmukh, Chief Minister, Government of Maharashtra, in the presence of Dr. Vijay Koke, Vice Chancellor of Mumbai University, Shri Eknathrao Gaikwad, Member of Parliament, Shri Prabhakar Kunte, Ex-Minister and Freedom Fighter, and Dr. Usha Thakkar, Hon'ble Secretary, Mani Bhawan Gandhi Sangrahalaya Mumbai.

‘दांडी यात्रा’ पर राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी का आयोजन भी अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर द्वारा 2-8 अक्टूबर, 2005 पोर्ट ब्लेयर में किया गया श्री एस. नेगी, मुख्य सचिव, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने 2 अक्टूबर, 2005 को प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पोर्ट ब्लेयर नगर निगम परिषद की अध्यक्ष क्रमशः श्रीमती जुबैदा बेगम, अध्यक्ष, श्रीमती परमेश्वरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजा जूनियर, उपाध्यक्ष, सहित अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया। बड़ी संख्या में लोगों सहित विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी को देखा और दुर्लभ अभिलेख संग्रह को पसंद किया।

‘दांडी यात्रा’ प्रदर्शनी पर फिर, जिसमें 275 वस्तुओं के संक्षिप्त रूप, प्रचार सामग्री और ऑडियो कैसेट शामिल हैं जिनमें बापू के पसंदीदा भजन निहित हैं, आंध्र प्रदेश सरकार, चंडीगढ़, गुजरात, गोवा, हरियाणा, जम्मू एवं काश्मीर, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान सिक्किम, तमिलनाडू, त्रिपुरा, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल को महान ऐतिहासिक मार्च की 75 वीं साल गिरह के समारोहों के दौरान अपने राज्य की राजधानियों में प्रदर्शनी लगाने के लिए उपहार में दी गई।

इसके अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रहालय सभी कार्य दिवसों को 10:00 से 5:30 बजे के बीच जनता के लिए खुला रहा है।

20.3 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान महानिदेशक अभिलेखागार और संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय ने निम्न बैठकों में हिस्सा लिया:

1. श्री के. जयकुमार, संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक अभिलेखागार, संस्कृति मंत्रालय ने निम्न बैठकों में हिस्सा लिया:-
 - i. तंजावूर महाराजा सरफोजी के सरस्वती महल पुस्कालय के गर्वनरों के बोर्ड 4 अक्टूबर 2005 को चेन्नई में हुई बैठक में
 - ii. आइ जी एन सी ए के अभूतपूर्व दाय के संरक्षण के लिए परियोजना सलाहकार समिति की दिनांक 7 नवंबर, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में
2. श्री शीतला प्रसाद, उप निदेशक अभिलेखागार ने निम्न बैठकों में हिस्सा लिया:-
 - i. एकीकृत श्रम इतिहास अनुसंधान कार्यक्रम की संयुक्त परामर्शी समिति की 27 अप्रैल, 2005 को श्री वी.वी. गिरी, राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा में आयोजित की गई 15वीं बैठक में
 - ii. जैन पांडुलिपियों की राष्ट्रीय पंजी पर विदाई समारोह में जो राष्ट्रीय प्राकृत अध्ययन एवं अनुसंधान संस्थान, श्रावणबेलगोला (कर्नाटक) में 26 सितंबर, 2005 को आयोजित हुआ (डा. प्रमोद मेहरा सहायक निदेशक अभिलेखागार ने भी साथ में इस बैठक में हिस्सा लिया)।
 - iii. जे एन यू. के समकालीन इतिहास पर 26 अक्टूबर, 2005 को नई दिल्ली में अभिलेखागार सलाहकार समिति की बैठक।
3. श्री एस. एम. आर बाकर, उप निदेशक, अभिलेखागार को भारतीय एडवांस अध्ययन संस्थान की 5 अप्रैल 2005 को इंडिया इंटरनैशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए नियुक्त किया गया।

The National level Exhibition on 'Dandi Yatra' was also mounted by Andaman and Nicobar Administration, Port Blair from 2-8 October, 2005 at Port Blair. Shri D.S. Negi, Chief Secretary, Andaman and Nicobar Administration, inaugurated the exhibition on 2 October, 2005. Smt. Zubiada Begum, Chairperson, Smt. Parmeshwari, Senior Vice Chairperson, Shri Raja Junior, Vice Chairperson, respectively of the Port Blair Municipal Council along with other senior officers of the Andaman and Nicobar Administration attended the inaugural function. People in large numbers including the Students witnessed the exhibition and appreciated the rare archival collection.

A kit of the exhibition on 'Dandi Yatra' comprising of an abridged version of 75 exhibits, publicity material and audio cassette containing favourite bhajans of Bapu, was gifted to the Governments of Andhra Pradesh, Chandigarh, Gujarat, Goa, Haryana, Jammu and Kashmir, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Manipur, Orissa, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttaranchal and West Bengal for displaying this exhibition in their state capitals during the 75th Anniversary Celebrations of the Great Historic March.

Besides, the National Archives Museum remained open for public from 10.00 AM to 5.30 PM during the all working days.

20.3 The Director General of Archives and other Senior officers had attended the following meetings during the period under report:-

1. Shri K. Jayakumar, Director General of Archives and Joint Secretary, Ministry of Culture attended the following meetings:-
 - i. Meeting of Board of Governors of the Thanjavur Maharaja Serfoji's Saraswati Mahal Library held on 4 October, 2005 at Chennai.
 - ii. Meeting of the Project Advisory Committee for preservation of intangible heritage of IGNCA held on 7 November, 2005 in New Delhi.
2. Dr. Shitla Prasad, Deputy Director of Archives attended the following meetings:-
 - i. 15th Meeting of the Joint Advisory Committee of the Integrated Labour History Research Programme held on 27 April, 2005. Shri V.V. Giri, National Labour Institute, Noida.
 - ii. Valedictory function of the National Register of Jain Manuscripts held at National Institute of Prakrit Studies and Research held at Shravanabelagola (Karnataka) on 26 September, 2005 (attended along with Dr. Pramod Mehra, Assistant Director of Archives).
 - iii. Meeting of the Advisory Committee of the Archives on Contemporary History of J.N.U. held on 28 October, 2005 in New Delhi.
3. Shri S.M.R. Baqar, Deputy Director of Archives was deputed to attend the Annual meeting of Indian Institute of Advanced Study on 5 April, 2005 at India International Centre, New Delhi.

4. श्री पी. एस. एम. मोइदीन, सहायक निदेशक, अभिलेखागार और डॉ. सी. एल. प्रजापति, वैज्ञानिक अधिकारी मे राज्य अभिलेखागार में पांडुलिपि भवन के संरक्षण पर जम्मू एवं कश्मीर सरकार को परामर्श देने के लिए 6-9 अप्रैल, 2005 में जम्मू व कश्मीर भेजा गया।
5. डॉ. आर. पी. मलिक (स्वर्गीय) और श्री के.के. शर्मा, सहायक निदेशक, अभिलेखागार को चंडीगढ़ में बनाए जा रहे केंद्रीय अभिलेख कक्षों की भवन योजना और संरचना की जाँच करने और तकनीकी तथा अन्य विषयों पर परामर्श देने के लिए 18-19 मई 2005 को चंडीगढ़ में तैनात किया गया।
6. श्री संजय गर्ग, सहायक अभिलेख निदेशक, को राष्ट्रीय फिज्म अभिलेखागार की परामर्श समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 27 अगस्त, 2005 को पुणे में तैनात किया गया।
7. डा. प्रमोद मेहरा, सहायक अभिलेख निदेशक, अभिलेखागार को भेजा गया:
 - i. पंजाब विश्वविद्यालय की ए.सी. पुस्तकालय, चंडीगढ़ में सहायक अभिलेखाकार के पद की चयन समिति के आयोजन में साक्षात्कार के लिए 14 फरवरी, 2005 की चंडीगढ़ में हिस्सा लिया।
 - ii. 'राष्ट्रीय अभिलेखागार संग्रहालय' पर पेपर प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार के प्रतिनिधि के रूप में भोपाल गए। 25-27 जुलाई, 2005 को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में भारत में विशिष्टीकृत संग्रहालयों के शासन पर 'मल्टीपल हैरीटेज' पर राष्ट्रीय गोष्ठी में हमारी 'अभिलेखित विरासत' पर दृष्ट्य कार्यक्रम आयोजित किया गया।
 - iii. निम्नलिखित बैठकों में हिस्सा लिया:
 - क) संघ लोक सेवा आयोग की पुस्तकालय-सह-संग्रहालय अभिलेखागार समिति की 31 मई, 2005 को हुई बैठक।
 - ख) वृंदावन अनुसंधान संस्थान की प्रशासन समिति एवं आम सभा की दिनांक 18 जून, 2005 को वृंदावन में आयोजित हुई बैठक।
 - ग) दिनांक 11 जुलाई, 2005 की नोएडा में वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान में एकीकृत श्रम कार्यक्रम पर संयुक्त सलाहकार समिति की 16वीं बैठक।
8. डॉ. प्रमोद मेहरा, सहायक अभिलेख निदेशक, अभिलेखागार और राजेश वर्मा, अभिलेखागार को निम्न में नियुक्त किया गया:
 - i. राजेंद्र स्मारक संग्रहालय, पटना में संग्रहालय-सह-अभिलेखागार की स्थापना के लिए विशेषज्ञ के रूप में परामर्श देने हेतु 2-4 जून 2005 को पटना गए।
 - ii. उत्तरांचल राज्य अभिलेखागार की 22 दिसंबर, 2005 को क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए देहरादून गए।
- 9 (i) श्री नव रतन सिंह, सहायक निदेशक, अभिलेखागार और डा. सी. एल. प्रजापति, वैज्ञानिक अधिकारी को 29 अगस्त, 2005 को महानिदेशक लेखा परीक्षक, केंद्रीय राजस्व, नई दिल्ली में अभिलेखों के भंडारण से संबंधित आवश्यक परामर्श देने और पुराने अभिलेखों की जाँच करने के लिए नियुक्त किया गया।
- (ii) श्री नव रतन सिंह को राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में 2 दिसंबर 2005 को क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों के उन्नयन और मजबूत बनाने के लिए वित्तीय सहायता योजना पर विशेषज्ञ समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भी गए।

4. Shri P.S.M. Moideen, Assistant Director of Archives and Dr. C.L. Prajapati, Scientific Officer were deputed to Jammu and Srinagar 6-9 April, 2005 to advise the Government of Jammu and Kashmir on preservation of Manuscripts housed in the State Archives.
5. Dr. R.P. Malik (Late) and Shri K.K. Sharma, Assistant Director of Archives were deputed to Chandigarh on 18-19 May, 2005 to examine the structure and the building plans of the Central Records Rooms being constructed at Chandigarh and offer advice on the technical and other issues.
6. Shri Sanjay Garg, Assistant Director of Archives was deputed to Pune to attend the Advisory Committee Meeting of National Film Archive of India, Pune on 27 August, 2005.
7. Dr. Pramod Mehra, Assistant Director of Archives was deputed to:
 - i. Chandigarh to attend an interview of the Selection Committee for the post of Assistant Archivist for A.C. Joshi Library of the Punjab University, Chandigarh held on 14 February, 2005.
 - ii. Bhopal as a representative of the National Archives of India to present a paper on 'National Archives Museum – A Visual Embodiment of our Archival Legacy' at the National Seminar on 'Multiple Heritage' Role of Specialized Museums in India held from 25-27 July, 2005 at Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal.
 - iii. To attend the following Meetings:
 - (a) Meeting of the Library Archives-Cum-Museum Committee of UPSC on 31 May, 2005.
 - (b) Governing Council and General Body meeting of Vrindaban Research Institute held on 18 June, 2005 at Vrindaban.
 - (c) 16th Meeting of the Joint Advisory Committee of the Integrated Labour Programme, V.V. Giri National Labour Institute on 11 July, 2005 at Noida.
8. Dr. Pramod Mehra, Assistant Director of Archives and Shri Rajesh Verma, Archivist were deputed to:
 - i. Patna from 2-4 June, 2005 as experts to advise on establishment of a Museum-cum-Archives at Rajendra Memorial Sangrahalaya, Patna.
 - ii. Dehradun to attend the meeting of the Regional Records Survey Committee of the Uttaranchal State Archives held on 22 December, 2005.
- 9 (i) Shri Nav Rattan Singh, Assistant Director of Archives and Dr. C.L. Prajapati, Scientific Officer were deputed to the Office of the Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi on 29 August, 2005 to examine the old Records wing and tender necessary advice regarding storage of records etc.
- (ii) Shri Nav Rattan Singh also attended the meeting of Expert Committee for Financial Assistance Scheme for Promotion and Strengthening of Regional and Local Museum held at National Museum, New Delhi on 21 December, 2005.

प्राथमिकताएं

वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार (आर टी आई) अधिनियम पारित किया गया। हमारे देश के इतिहास में ये नागरिकों की लोकतांत्रिक सशक्तीकरण की मिसाल है। इस अधिनियम में लोक अभिलेख, सहित उन समस्त सूचनाओं का प्रगटीकरण शामिल है, जिसको प्राप्त करने के लिए अब नागरिकों के पास अधिकार है। यह अधिनियम हमारे सामने चुनौती खड़ी कर रहा है चूँकि सूचना प्रबंधन की पारंपरिक प्रणाली बढ़ते दबाव के साथ सामना नहीं कर पा रही है। सूचना का अधिकार अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में सूचना की त्वरित पुनः प्राप्ति और प्रसार ने और महत्व प्राप्त कर लिया है। इस चुनौती का सामना करने का एक प्रभावी उपकरण मजबूत अभिलेख प्रबंधक प्रणाली है। अभिलेख प्रबंधन को अब केवल सूचना प्रबंधन के रूप में ही नहीं बल्कि वृहत लोक सेवा सुधार कार्यसूची के रूप में देखने की आवश्यकता है।

सूचना के अधिकार ने एक बार फिर अभिलेख प्रबंधन के मुद्दे को समस्त कार्यालय प्रशासन के केंद्र में ला दिया है, जिस पर मैंने अपनी पहले की रिपोर्टों में भी बल दिया है।

21.1 सभी अभिलेख सर्जक अभिकरणों की रिपोर्ट का संकलन करने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार के साथ सहयोग करना आवश्यक है। हमारे समस्त प्रयासों के बावजूद भी, 85 मंत्रालयों/विभागों में से 13, 1,239 संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों में से 94 ने और 239 लोक उपक्रमों में से केवल 47 ने सूचना भेजी है जो लोक अभिलेख अधिनियम के तहत आने वाले कुल संगठनों का 9.85% है। यहाँ पर भी भेजी गई सूचना पूर्व एवं संतोषजनक स्तर से बहुत दूर है। इस परिस्थिति को बदलने की आवश्यकता है जिससे कि हम सभी अपनी कमियों को जान सकें और लोक अभिलेख प्रबंधक में सर्वोत्तम व्यवहारों की स्थापना के लिए हमारे प्रयासों को बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति को जान सकें।

21.2 जबकि लोक अभिलेख अधिनियम के अंतर्गत शामिल सभी अभिलेख सर्जन अभिकरणों में विभागीय अभिलेख अधिकारी (डी आर ओज) को नामित करने का कार्य अभी भी वास्तविकता से बहुत दूर है, आर टी आई अधिनियम के प्रकाश में अब इनकी आवश्यकता और भी तीव्रता से महसूस की जा रही है। इसके अलावा आर टी आई अधिनियम ने डी आर ओज की भूमिका और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सी पी आई ओज) के साथ उनके संबंधों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता को और भी जरूरी बना दिया है। वस्तुतः डी आर ओज को अर्ध-प्रचलित अभिलेखों के अभिरक्षक के रूप में, आई टी अधिकारी /वैव मास्टरो को सूचना प्रबंधक के रूप में और (सी पी आई ओज) को सूचना प्रदाताओं के रूप में एक पूर्वनिर्धारित संबंध के ढाँचे के भीतर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि प्रभावी अभिलेख प्रबंधक के माध्यम से परदर्शिता, दक्षता, अखेयता और नागरिक केंद्रित अच्छा शासन लाया जा सके।

21.3 सभी अप्रलित अभिलेखों का मूल्यांकन अर्थात् वे सभी अभिलेख जो 25 वर्ष या इससे अधिक पुराने हैं राष्ट्रीय अभिलेखागार के भी परामर्श से उनकी प्राथमिकता निर्धारित करने की आवश्यकता है। ऐसे सभी अभिलेख मूल्यांकन के अधीन हैं और इस व्यवहार के द्वारा गुजरे सभी अभिलेखों को स्थायी संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार में भेजा जाना चाहिए। विदित प्रक्रिया का पालन करने के बाद बाकि अभिलेखों की छँटाई की जा सकती है। इससे न केवल मूल्यवान कार्यालयी स्थान की बचत होगी बल्कि इससे स्थायी संरक्षण के लायक अभिलेखों की पहचान करने में भी सुनिश्चितता आएगी।

PRIORITIES

The year 2005 saw the passing of the right to information (RTI) act. In the history of our country it is a landmark of democratic empowerment of the citizenry. This act includes all manifestations of information, including the public records, to which a citizen now has a right to access. This act has posed a challenge before us since the traditional system of information management seem to be inadequate to cope with the pressure. Quick retrieval and dissemination of information has assumed greater significance in the light of the RTI act. One effective tool to face this challenge is a robust record management system. Records management is now required to be viewed not only as information management but also as a wider public service reform agenda.

The RTI act has once again brought the issue of records management into the core of overall office administration, which i had been emphasising in my earlier reports.

21.1 All records creating agencies need to cooperate with the National Archives of India for compiling this report. In spite of our best efforts, out of 85 ministry/ departments 13, out of 1,239 attached subordinate offices 94 and out of 239 Public Sector Undertakings only 47 have send information which amounts 9.85% of the total organizations covered under the Public Records Act. Here too the information supplied is far from complete and satisfactory. This situation needs to be altered so that we all become aware of our shortcomings and strengths for optimising our efforts for establishing best practices in public records management.

21.2 While the nomination of Departmental Records Officers (DROs) in all the records creating agencies covered under the Public Records Act is still far from reality, their need is felt more strongly now in the light of the RTI Act. Moreover, the RTI Act has also necessitated the need for redefining the role of the DROs and their relationship with the Central Public Information Officers (CPIOs). In fact, the DROs, as the custodians of the semi-current records, the IT Officer/ Web Master as the information managers and the CPIOs as the information providers need to work within a framework of predefined relationship so as to bring about transparency, efficiency, accountability and citizen centric good governance through effective records management.

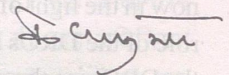
21.3 Appraisal of all non-current records, i.e. all records that are older than 25 years or more, in consultation with the National Archives of India too, needs prioritization. All such records should be subjected to appraisal, and all records surviving this exercise should be sent to National Archives of India for permanent preservation. The remaining records can be weeded out after following the prescribed procedure. This will not only save the precious office space, time, money and manpower spent in maintaining these records but will also ensure the identification of records worthy of permanent preservation.

21.4 वर्गीकृत अभिलेखों के विवर्गीकरण का मुद्दा (अर्थात् अति गुप्त, गुप्त, गोपनीय या प्रतिबंधित, की भी आर टी आई अधिनियम के प्रकाश में पुनः मूल्यांकित करने की आवश्यकता होगी, जिसके तहत केवल धारा 8(1) में गिनाए गए अभिलेखों की कोटि सूचना के प्रकटीकरण से मुक्त है। अब अन्य सभी अभिलेख कोटियाँ जनता की संवीक्षा के लिए खुली हैं। अतः लोक अभिलेख नियमावली भी वे नियम 7 (1) के तहत नामित अधिकारी के द्वारा सभी विद्यमान वर्गीकृत अभिलेखों की समय-बद्ध समीक्षा का कार्य किया जाना चाहिए। इस संबंध में आर टी आई अधिनियम की धारा 8 (3) के अंतर्गत उपबंधों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो 20 वर्षों के पश्चात छूट दिए गए अभिलेखों की सूचना देने की भी व्यवस्था करता है।

21.5 हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा विधितः संविक्षित अभिलेख प्रतिधारण सारणियों का पालन करते हुए आवश्यक अवधि से अधिक के लिए न तो रखा जाए और न ही अभिलेखों की अपरिपक्व अवधि में छँटाई की जाए। वे सभी संगठन जिन्होंने अभी तक अपने अभिलेख प्रतिधारण सारणियों का निर्धारण नहीं किया है वे इस कार्य को अग्रता आधार पर कर लें, हमेशा की भाँति, राष्ट्रीय अभिलेखागार, प्रत्येक संगठन को अभिलेख प्रतिधारण सारणियों को बनाने में पारंगत करने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए इच्छुक रहेगा।

21.6 अंत में, महती उत्तरदायित्व की भावना के साथ मैं यह कहता हूँ कि हमारे संगठन में अभिलेख प्रबंधक को धारा प्रवाही बनाने के लिए किए जा रहे हमारे समस्त प्रयास असफल हो सकते हैं यदि इन्हें अग्रता नहीं दी गई और इन संगठनों के प्रमुखों द्वारा इन पर वैयक्तिक रूप से ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा, लोक उपक्रमों में अभिलेख प्रबंधन को बोर्ड इनके कार्यसूची में शामिल किया जाना चाहिए। इस कार्य की आवश्यकता है, आज्ञा है और विशेषज्ञता उपलब्ध है। अतः, मुझे इसका कोई कारण नहीं दिखता कि हम अपने प्रशासनिक ढाँचे के इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर उदासीनता क्यों जारी रखें।

मैं आशा करता हूँ कि लोक अभिलेख अधिनियम के तहत शामिल सभी अभिलेख सर्जक अभिकरण इस अधिनियम के क्रियान्वयन को कागजों पर अनुपालन के स्थान पर वास्तविक व्यवहार में लाने के लिए आवश्यक समस्त कार्य करेंगे; ताकि अच्छा शासन प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा किया जा सके, जिसके लिए लोक अभिलेखों का दक्ष प्रबंधन जिसकी कुंजी है।



(कै. जयकुमार)

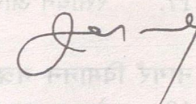
संयुक्त सचिव
संस्कृति विभाग, भारत सरकार
और महानिदेशक अभिलेखागार

21.4 The issue of declassification of classified records (i.e. Top Secret, Secret, Confidential or Restricted), also needs to be reassessed in the light of the RTI Act, under which only the records categories enumerated under Section 8(1) are exempted from disclosure of information. All other categories of records are now open for public scrutiny. Therefore, a time-bound exercise to review all existing classified records should be undertaken by an officer designated under Rule 7(1) of the Public Records Rules. In this connection, the provisions under Section 8(3) of the RTI Act should also be kept under consideration, which provides for the supply of information even from the exempted records categories after twenty years.

21.5 We can ensure that neither an important record is prematurely weeded out nor kept for the periods longer than it is required by adhering to Records Retentions Schedules dully vetted by the National Archives of India. Therefore, all those organisations who have not yet formulated their Records Retentions Schedules should do it on priority. The National Archives of India, as always, will be willing to work out a plan for formulating customised Records Retentions Schedules for each organisation.

21.6 Lastly, with great sense of responsibility I dare say that all our efforts in streamlining the record management in our organisations might come to a naught if these do not find a place of priority and do not receive the personal attention of the heads of these organisations. More so in the Public Sector Undertakings, record management should be included in the boardroom agenda. The need is there, the mandate is there, the expertise is available. I, therefore, see no reason why we should continue with our apathy towards this important aspect of our administrative framework.

I sincerely hope that all the records creating agencies covered under the Public Records Act will do all that is necessary to make the implementation of this Act a reality in practice rather than a compliance on paper, so as the goal of establishing good governance can be achieved, for which efficient management of public records holds the key.



(K. Jayakumar)

Joint Secretary,
Department of Culture, Government of India, and
Director General of Archives

अनुलग्नक-1

लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के कार्यान्वयन के संबंध में सूचना प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

क कृषि मंत्रालय और सहकारिता

कृषि मंत्रालय और सहकारिता

1. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धमरोड (जिला सूरत)।
2. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा, सम्बलपुर, (उड़ीसा)।
3. केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर।
4. केन्द्रीय मात्स्यिकी नॉटिकल और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन।
5. विस्तार निदेशालय, दिल्ली।
6. जूट विकास निदेशालय, कोलकाता।
7. विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कालीकट।
8. विपणन और निरीक्षण निदेशालय, हैदराबाद।
9. विपणन और निरीक्षण निदेशालय, नासिक रोड।
10. बाजरा विकास निदेशालय, जयपुर।
11. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, गोआ।
12. कृषि और सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली।
13. राष्ट्रीय जैव कृषि केन्द्र, गाजियाबाद।
14. उत्तर क्षेत्र दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, हिसार, (हरियाणा)।
15. रीजनल स्टेशन फार फोरेन प्रोडक्शन एंड डेमोस्ट्रेशन, पालाजी, गांधी नगर।
16. दक्षिण क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

17. रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, नई दिल्ली।

नागर विमानन मंत्रालय

18. रेल सुरक्षा आयोग, लखनऊ।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

19. वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग), नई दिल्ली।
20. आपूर्ति और निपटान निदेशालय, नई दिल्ली।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

21. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली।
22. दूर संचार विभाग, नई दिल्ली।
23. आफिस ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल (उत्तरांचल सर्किल), देहरादून।
24. आफिस ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल (उड़ीसा सर्किल), भुवनेश्वर।

ANNEXURE - I

LIST OF ORGANISATIONS WHO HAVE FURNISHED INFORMATION ON THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC RECORDS ACT, 1993.

A. Ministries/Departments/Offices

Ministry of Agriculture

1. Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod (District Surat).
2. Central Cattle Breeding Farm, Chiplima, Dist. Sambalpur (Orissa).
3. Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore.
4. Central Institute of Fisheries Nautical and Engineering Training, Cochin.
5. Directorate of Extension, New Delhi.
6. Directorate of Jute Development, Kolkata.
7. Directorate of Marketing and Inspection, Calicut.
8. Directorate of Marketing and Inspection, Hyderabad.
9. Directorate of Marketing and Inspection, Nasik Road.
10. Directorate of Millets Development, Jaipur.
11. Fishery Survey of India, Marmagoa, Goa.
12. Ministry of Agriculture and Cooperation, New Delhi.
13. National Centre of Organic Farming, Ghaziabad.
14. North Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Hissar (Haryana).
15. Regional Station for Forage Production and Demonstration, Palajii, Gandhinagar.
16. Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (AP).

Ministry of Chemical and Fertilizers.

17. Department of Chemicals and Petrochemicals, New Delhi.

Ministry of Civil Aviation

18. Commission of Railway Safety Lucknow.

Ministry of Commerce and Industry

19. Department of Commerce (Supply Division), New Delhi.
20. Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi.

Ministry of Communication and Information Technology.

21. Department of Information Technology, New Delhi.
22. Department of Telecommunications, New Delhi.
23. Office of the Chief Postmaster General (Uttaranchal Circle), Dehradun.
24. Office of the Chief Postmaster General, (Orissa Circle), Bhubaneswar.

25. आफिस ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल (कर्नाटक सर्किल), बंगलौर।
26. आफिस ऑफ चीफ पोस्टमास्टर जनरल (उत्तर प्रदेश सर्किल), लखनऊ।
27. आफिस ऑफ पोस्टमास्टर जनरल (महाराष्ट्र सर्किल), मुंबई।

सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्रालय

28. भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता।

रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली

29. रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
30. सशस्त्र सेना फिल्म और फोटो प्रभाग, नई दिल्ली।
31. एम एस समोक्त मुख्यालय शाखा (रक्षा मंत्रालय) (सेना), नई दिल्ली।
32. टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला, चंडीगढ़।

पर्यावरण और वन मंत्रालय

33. पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिमी क्षेत्र, भोपाल।
34. पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिमी क्षेत्र, भुवनेश्वर।
35. भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून।
36. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग।
37. वन्य जीव क्षेत्रीय कार्यालय (एन. आर.), नई दिल्ली।
38. वन्य जीव क्षेत्रीय कार्यालय (एन. आर.), मुंबई।

वित्त मंत्रालय

39. केन्द्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय, नई दिल्ली।
40. डाटा प्रबंधन निदेशालय, उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली।
41. आयकर निपटान आयोग, नई दिल्ली।
42. मुख्य उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, मुंबई।
43. मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय (निरोधक), चेन्नई।
44. मुख्य आयकर आयुक्त कार्यालय, हैदराबाद।
45. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त कार्यालय, पूणे।
46. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त कार्यालय, बंगलौर।
47. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त कार्यालय, बेलगांव।
48. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त कार्यालय, चेन्नई।
49. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त कार्यालय, जयपुर।
50. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त कार्यालय, रायपुर।
51. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त कार्यालय, शिलांग।
52. केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, कार्यालय, पणजी, गोवा।
53. सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, तूतिकोरन।
54. आयकर आयुक्त (अपील) कार्यालय, नई दिल्ली।
55. आयकर आयुक्त (अपील) कार्यालय, जालंधर।
56. आयकर आयुक्त कार्यालय, कानपुर।
57. आयकर आयुक्त कार्यालय, शिमला।
58. सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, त्रिची।

25. Office of the Chief Postmaster General, (Karnataka Circle), Bangalore.
26. Office of the Chief Postmaster General, UP Circle, Lucknow.
27. Office of the Post Master General, (Maharashtra Circle), Mumbai.

Ministry of Culture

28. Anthropological Survey of India, Kolkata.

Ministry of Defence

29. Ministry of Defence, New Delhi.
30. Armed Forces Film and Photo Division, New Delhi.
31. MS Branch of Integrated Headquarter (Ministry of Defence) (Army), New Delhi.
32. Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh.

Ministry of Environment and Forests.

33. Eastern Regional Office Western Region, Bhopal
34. Eastern Regional Office Western Region, Bhubaneswar
35. Forest Survey of India, Dehradun.
36. North Eastern Regional Office, Shillong.
37. Wildlife Regional Office (N.R.), New Delhi.
38. Wildlife Regional Office, Mumbai.

Ministry of Finance

39. Central Pension Accounting Office, New Delhi.
40. Directorate of Data Management, Central Excise and Customs, New Delhi.
41. Income Tax Settlement Commission, New Delhi.
42. Office of the Chief Commissioner of Central Excise, Mumbai.
43. Office of the Chief Commissioner of Customs (Preventive), Chennai.
44. Office of the Chief Commissioner of Income Tax, Hyderabad.
45. Office of the Commissioner of Central Excise, Pune.
46. Office of the Commissioner of Central Excise, Bangalore.
47. Office of the Commissioner of Central Excise, Belgaum.
48. Office of the Commissioner of Central Excise, Chennai.
49. Office of the Commissioner of Central Excise, Jaipur.
50. Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur.
51. Office of the Commissioner of Central Excise, Shillong.
52. Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji Goa.
53. Office of the Commissioner of Customs, Tuticorin.
54. Office of the Commissioner of Income Tax (Appeals), New Delhi.
55. Office of the Commissioner of Income Tax, (Appeal), Jalandhar.
56. Office of the Commissioner of Income Tax, Kanpur
57. Office of the Commissioner of Income Tax, Shimla.
58. Office of the Customs Commissionerate, Trichy.

59. आयकर (प्रशासन) महानिदेशक कार्यालय, नई दिल्ली।
 60. जन संपर्क अधिकारी कार्यालय, मुम्बई।
 61. नमक आयुक्त कार्यालय, जयपुर।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

62. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली।
 63. बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई।
 64. केन्द्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर
 65. केन्द्रीय औषध जांच प्रयोगशाला, चेन्नई।
 66. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता।
 67. सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, करनाल।
 68. संयुक्त सचिव कार्यालय, केन्द्रीय सरकार, स्वास्थ्य योजना, जबलपुर।
 69. पोत पत्तन संगठन, कोलकाता।
 70. पोत पत्तन संगठन, मंडपम कैम्प।
 71. पोत पत्तन स्वास्थ्य संगठन, मारमागोवा, गोवा।
 72. क्षेत्रीय कार्यालय (स्वा. एवं प. क. मंत्रा) जम्मू एण्ड कश्मीर, श्रीनगर।
 73. क्षेत्रीय कार्यालय (स्वा. एवं प. क. मंत्रा) शिमला।

गृह मंत्रालय

74. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी।
 75. महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली।
 76. आंचलिक परिषद सचिवालय, नई दिल्ली।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

77. प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
 78. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
 79. भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, पुणे।

विधि एवं न्याय मंत्रालय

80. विधिक कार्य संबंधी सचिवालय, बंगलौर।

श्रम और रोजगार मंत्रालय

81. अनुसूचित जाति/जन जाति कोचिंग सह मार्गदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी।
 82. फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान, जमशेदपुर।
 83. मुख्य श्रम उपायुक्त कार्यालय (केन्द्रीय), बंगलौर।
 84. कार्यालय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), अजमेर।
 85. कार्यालय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कोचीन।
 86. क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, डाकोपग्रे (तुरा) मेघालय।

खान मंत्रालय

87. भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर।

59. Office of the Director General of Income Tax (Admn.), New Delhi. ८३
60. Office of the Public Relation Officer, Mumbai. ८४
61. Office of the Salt Commissioner, Jaipur. ८४

Ministry of Science and Technology

Ministry of Health and Family Welfare

62. Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi. ८४
63. BCG Vaccine Laboratory, Chennai. ८५
64. Central Agmark Laboratory, Nagpur. ८५
65. Central Drugs Testing Laboratory, Chennai. ८५
66. Central Food Laboratory, Kolkata. ८५
67. Government Medical Store Depot, Karnal. ८५
68. Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur. ८५
69. Port Health Organization, Kolkata. ८५
70. Port Health Organization, Mandapam Camp. ८५
71. Port Health Organization, Marmagao, Goa. ८५
72. Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), J&K, Srinagar. ८५
73. Regional Office (Ministry of Health and Family Welfare), Shimla. ८५

Ministry of Home Affairs

74. Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie. ८५
75. Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi. ८५
76. Zonal Council Secretariat, New Delhi. ८५

Ministry of Information and Broadcasting

77. Department of Publication, New Delhi. ८५
78. Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi. ८५
79. National Film Archive of India, Pune. ८५

Ministry of Law and Justice

80. Secretariat of Legal Affairs, Bangalore. ८५

Ministry of Labour and Employment

81. Coaching cum Guidance Centre for SC/ST, Guwahati. ८५
82. Foremen Training Institute, Jamshedpur. ८५
83. Office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Bangalore. ८५
84. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer. ८५
85. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Cochin. ८५
86. Regional Vocational Training Institute for Women, Dakopgre-Tura, Meghalaya. ८५

Ministry of Mines

87. Indian Bureau of Mines, Nagpur. ८५

रेल मंत्रालय

88. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड), नई दिल्ली।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

89. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
90. राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन, कोलकाता।

कपड़ा मंत्रालय

91. पटसन आयुक्त कार्यालय, कोलकाता।

शहरी विकास मंत्रालय

92. टाउन एवं कंट्री प्लानिंग संगठन, कोलकाता।

जल संसाधन मंत्रालय

93. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।

ख अन्य संगठन

94. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।

योजन मंत्रालय

95. योजना आयोग, नई दिल्ली।
96. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, गुवाहाटी।
97. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, अहमदाबाद।
98. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, भोपाल।
99. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, पटना।
100. परियोजना मूल्यांकन कार्यालय, तिरुवनंत पुरम।
101. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, लखनऊ।
102. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, मुम्बई।
103. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चंडीगढ़।
104. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, चैन्नई।
105. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, हैदराबाद।
106. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, जयपुर।
107. क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालय, कोलकाता।

ग. सार्वजनिक उपक्रम/समितियां/निगम/सांविधिक निकाय इत्यादि

कृषि मंत्रालय

108. भारतीय राज्य मार्ग सहकारिता लिमिटेड, नई दिल्ली।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

109. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता।

Ministry of Railways

88. Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi.

Ministry of Science and Technology

89. Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi.
90. National Atlas and Thematic Mapping Organization, Kolkata.

Ministry of Textiles

91. Office of the Jute Commissioner, Kolkata.

Ministry of Urban Development

92. Town and Country Planning Organisation, Kolkata.

Ministry of Water Resources

93. Ministry of Water Resources, New Delhi.

B. Other Organisation(s)

94. Prime Minister's Office, New Delhi

Ministry of Planning

95. Planning Commission, New Delhi.
96. Project Evaluation Office, Guwahati.
97. Project Evaluation Office, Ahmedabad.
98. Project Evaluation Office, Bhopal.
99. Project Evaluation Office, Patna.
100. Project Evaluation Office, Thiruvananthapuram.
101. Regional Evaluation Office, Lucknow.
102. Regional Evaluation Office, Mumbai.
103. Regional Evaluation Office, Chandigarh.
104. Regional Evaluation Office, Chennai.
105. Regional Evaluation Office, Hyderabad.
106. Regional Evaluation Office, Jaipur.
107. Regional Evaluation Office, Kolkata.

C. Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc.

Ministry of Agriculture

108. State Farm Corporation of India Limited, New Delhi.

Ministry of Chemicals and Fertilizers

109. Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata

110. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नोएडा (उत्तर प्रदेश)।
111. फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन।

नागर विमान मंत्रालय

112. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली।

कोयला मंत्रालय

113. नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन लि., नैवेली।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

114. प्रोजेक्ट एक्विपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली।
115. भारतीय राज्य व्यापार कारपोरेशन लि., नई दिल्ली।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

116. इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी संबंधी पदार्थों के लिए केन्द्र, सेंटर फॉर मेटिरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलोजी पूर्ण।
117. सोसाइटी फार अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च मुंबई।

रक्षा मंत्रालय

118. मजगांव डाक लिमिटेड, मुंबई।

कार्यालय एवं वन मंत्रालय

119. जी.बी. पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवारनमेंट एंड डेवलपमेंट, अल्मोड़ा।

खाद्य मंत्रालय

120. भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

121. हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम।

भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय

122. एंड्रयूल एंड कंपनी लि. कोलकाता।
123. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि. नई दिल्ली।
124. भारत पंप एंड कम्प्रेसर लि., इलाहाबाद।
125. एच एम टी (अन्तरराष्ट्रीय) लि., बंगलौर।
126. एम एम टी मशीन टूल लि., बंगलौर।
128. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि., न्यूजप्रिंट नगर।
129. तुंगाभाद्रा स्टील प्रोजेक्ट्स लि., तुंगाभाद्रा बांध, जिला: बेल्लारी।

श्रम मंत्रालय

130. हाई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रानिक प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशन, देहरादून।

खान और खनिज मंत्रालय

131. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता।

110. National Fertilizers Limited, Noida.
111. Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Elloor.

Ministry of Civil Aviation

112. Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy, Rae Bareilly.

Ministry of Coal

113. Neyveli Lignite Corporation Limited, Neyveli.

Ministry of Commerce and Industry

114. Project Equipment Corporation Limited, New Delhi.
115. State Trading Corporation of India Limited, New Delhi.

Ministry of Communication and Information Technology

116. Centre for Materials for Electronics Technology, Pune.
117. Society For Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Mumbai.

Ministry of Defence

118. Mazagon Dock Limited, Mumbai.

Ministry of Environment and Forests

119. G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development, Almora.

Ministry of Food

120. Food Corporation of India, New Delhi.

Ministry of Health and Family Welfare

121. Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram.

Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises

122. Andrew Yule and Company Limited, Kolkata.
123. Bharat Heavy Electricals Limited, New Delhi.
124. Bharat Pumps and Compressors Limited, Allahabad.
125. HMT (International) Limited, Bangalore.
126. HMT Machine Tools Limited, Bangalore.
127. Hindustan Cables Limited, Kolkata.
128. Hindustan Newsprint Limited, Newsprint Nagar.
129. Tungabhadra Steel Products Limited, Tungabhadra Dam, Distt. Bellary.

Ministry of Labour and Employment

130. High Training Institute – Electronics Process Instrumentation, Dehradun.

Ministry of Mines and Minerals

131. Hindustan Copper Limited, Kolkata.

132. मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर।
 133. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

134. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड गोलाघाट (असम)।

ऊर्जा मंत्रालय

135. एन टी पी सी लि, नई दिल्ली।
 136. राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रीक पावर कारपोरेशन लि., फरीदाबाद।
 137. पूर्वोत्तर विद्युत पावर कारपोरेशन लि., शिमला।
 138. टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. ऋषिकेश।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

139. भारतीय प्रतिरक्षण संस्थान, नई दिल्ली।

जहाजरानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

140. एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई।
 141. मर्मगाओ पोर्ट ट्रस्ट, गोवा।
 142. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई।
 143. नेशनल इस्टिमेट्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ हाइवेय इंजीनियर्स, नोएडा।
 144. शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया, मुंबई।
 145. तूतीकोरिन बंदरगाह न्यास, तूतीकोरिन।

लघु उद्योग मंत्रालय

146. राष्ट्रीय लघु उद्योग कारपोरेशन, लिमिटेड, नई दिल्ली।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

147. भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (आर्टिफिशल लिंब मैनुफेक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया), कानपुर।
 148. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली।

कपड़ा मंत्रालय

149. भारतीय शिल्पकला और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
 150. भारतीय कपड़ा काटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवी मुम्बई।

जनजातीय कार्य मंत्रालय

151. ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन (ट्राइफेड), नई दिल्ली।

जल संसाधन मंत्रालय

152. सरदार सरोवार निर्माण सलाहकारी समिति (कन्सल्टेशन एडवाइजरी कमिटी) वड़ोदरा।

परमाणु ऊर्जा विभाग

153. इंडिया रेअर अर्थ लिमिटेड, मुम्बई।

अंतरिक्ष विभाग

154. अंतरिक्ष निगम लिमिटेड, बंगलौर।

132. Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur.
133. National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar.

Ministry of Petroleum and Natural Gas

134. Numaligarh Refinery Limited, Gholaghat (Assam)

Ministry of Power

135. NTPC Limited, New Delhi
136. National Hydroelectric Power Corporation Limited, Faridabad.
137. North Eastern Electric Power Corporation Limited, Shillong.
138. Tehri Hydro Development Corporation, Limited, Rishikesh.

Ministry of Science and Technology

139. National Institute of Immunology, New Delhi.

Ministry of Shipping, Road Transport and Highways

140. Ennore Port Limited, Chennai.
141. Mormugao Port Trust, Goa.
142. Mumbai Port Trust, Mumbai.
143. National Institute for Training of Highway Engineers, Noida.
144. Shipping Corporation of India Limited, Mumbai.
145. Tuticorin Port Trust, Tuticorin.

Ministry of Small Scale Industries

146. National Small Industries Corporation Limited, New Delhi.

Ministry of Social Justice and Empowerment

147. Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Kanpur.
148. National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, New Delhi.

Ministry of Textile

149. Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, New Delhi.
150. Cotton Corporation of India Limited, Mumbai.

Ministry of Tribal Affairs

151. Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, New Delhi.

Ministry of Water Resources

152. Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara.

Department of Atomic Energy

153. Indian Rare Earth Limited, Mumbai.

Department of Space

154. Antrix Corporation Limited, Bangalore.

अनुलग्नक - II

अर्ध-प्रचलित अभिलेखों के अभिलेखीकरण, सूचीकरण, समीक्षा तथा
विनष्टीकरण के संबंध में की गयी प्रगति के बारे में अर्धवार्षिक
विवरणियां प्रेषित करने वाले संगठनों की सूची

क. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

क्र.	संगठन का नाम	प्राप्त अर्धवार्षिक विवरणों की सं.
कृषि मंत्रालय		
1.	दक्षिणी क्षेत्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और जांच संस्थान, अनंतपुर(आंध्र प्रदेश)	2
2.	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड़, जिला सूरत।	2
3.	केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर।	2
4.	विपणन और निरीक्षण निदेशालय, नासिक रोड।	1
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
5.	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, नई दिल्ली।	2
नागर विमानन मंत्रालय		
6.	प्रधान लेखा कार्यालय, नई दिल्ली।	2
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
7.	वाणिज्य विभाग (आपूर्ति प्रभाग), नई दिल्ली।	1
8.	आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली	2
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		
9.	निदेशक कार्यालय, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता।	1
रक्षा मंत्रालय		
10.	रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।	2
11.	क्षेत्रीय सेना उड़ान सक्षमता केन्द्र, जिला सुल्तानपुर (उ.प्र.)	1
12.	टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी, चंडीगढ़।	2
वित्त मंत्रालय		
13.	कार्यालय आयकर आयुक्त (अपील), नई दिल्ली।	2
14.	कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, औरंगाबाद।	2
15.	कार्यालय आयकर आयुक्त(अपील), जालंधर।	1

ANNEXURE - II

LIST OF ORGANISATIONS WHO HAVE FURNISHED HALF-YEARLY RETURNS ON THE PROGRESS MADE BY THEM IN RECORDING, INDEXING, REVIEWING AND WEEDING OF SEMI-CURRENT RECORDS

A. Ministries/Departments/Offices

S. No.	Name of Organisations	No. of Half-yearly returns received
Ministry of Agriculture		
1.	Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (AP)	2
2.	Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod, District Surat.	2
3.	Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore.	2
4.	Directorate of Marketing and Inspection, Nasik Road.	1
Ministry of Chemicals and Fertilizers		
5.	Department of Chemicals and Petrochemicals, New Delhi	2
Ministry of Civil Aviation		
6.	Principal Accounts Office, New Delhi.	2
Ministry of Commerce and Industry		
7.	Department of Commerce (Supply Division), New Delhi.	1
8.	Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi.	2
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution		
9.	Office of the Director, Central Food Laboratory, Kolkata.	1
Ministry of Defence		
10.	Ministry of Defence, New Delhi.	2
11.	Regional Centre for Military Airworthiness, District -Sultanpur (UP).	1
12.	Terminal Ballistics Research Laboratory, Chandigarh.	2
Ministry of Finance		
13.	Office of the Commissioner of Income Tax (Appeal), New Delhi.	2
14.	Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Aurangabad.	2
15.	Office of the Commission of Income Tax (Appeal), Jalandhar	1

16. कार्यालय केन्द्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आयुक्त, पणजी (गोवा)	2
17. कार्यालय नमक आयुक्त, जयपुर।	1
18. कार्यालय महा प्रबंधक, इंडियन सिक्कोरिटी प्रेस, नासिक रोड।	1
19. कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, नागपुर।	2

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

20. बीसीजी टीका प्रयोगशाला, चैन्नई।	2
21. कार्यालय अवर निदेशक, केन्द्र सरकार, स्वास्थ्य योजना, मुम्बई।	2
22. संयुक्त निदेशक कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर, (म.प्र.)	2
23. पोत पतन स्वास्थ्य संगठन, मंडपम कैप, मारमागांव, गोवा।	2

गृह मंत्रालय

24. गृह मंत्रालय, नई दिल्ली। न्याय विभाग और राजभाषा विभाग नई दिल्ली सहित।	2
25. महानिदेशक कार्यालय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, नई दिल्ली।	2
26. सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय, नई दिल्ली।	2

श्रम और रोजगार मंत्रालय

27. विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, मुम्बई	2
28. विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, भुवनेश्वर।	2
29. विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, लुधियाना।	2
30. मुख्य श्रम उपायुक्त कार्यालय (मध्य), बंगलौर।	2
31. कार्यालय श्रम उपायुक्त (मध्य), चंडीगढ़।	2
32. कार्यालय क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य), काकीनाडा, कौच्चि।	2
33. अनु. जा./अनु. जनजाति के लिए कोचिंग-कम-गाइडेंस सेंटर, हिसार।	2
34. महिला क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, मेघालय।	2

रेलवे मंत्रालय

35. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) नई दिल्ली।	2
---	---

जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

36. जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली।	2
37. जहाजरानी मंत्रालय, नई दिल्ली।	2
38. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।	1
39. मुख्य अभियंता और प्रशासन कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर।	2

वस्त्र मंत्रालय

40. कार्यालय पटसन आयुक्त, कोलकाता।	2
------------------------------------	---

जल संसाधन मंत्रालय

41. जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।	2
------------------------------------	---

- | | | |
|-----|---|---|
| 16. | Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji Goa. | 2 |
| 17. | Office of the Salt Commissioner, Jaipur | 1 |
| 18. | General Manager, India Security Press, Nasik Road. | 1 |
| 19. | Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur. | 2 |

Ministry of Health and Family Welfare

- | | | |
|-----|---|---|
| 20. | BCG Vaccine Laboratory, Chennai. | 2 |
| 21. | Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Mumbai. | 2 |
| 22. | Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur (MP) | 2 |
| 23. | Port Health Organisation, Mandapam Camp, Marmagoa, Goa. | 2 |

Ministry of Home Affairs

- | | | |
|-----|---|---|
| 24. | Ministry of Home Affairs, including Department of Justice and Department of Official Language, New Delhi. | 2 |
| 25. | Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi. | 2 |
| 26. | Directorate General Border Security Force, New Delhi. | 2 |

Ministry of Labour and Employment

- | | | |
|-----|--|---|
| 27. | Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Mumbai. | 2 |
| 28. | Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Bhubaneswar. | 2 |
| 29. | Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Ludhiana. | 2 |
| 30. | Office of the Deputy Chief Commissioner (Central), Bangalore. | 2 |
| 31. | Office of the Deputy Chief Labour Commissioner, Chandigarh. | 2 |
| 32. | Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Kakkannad, Cochin. | 2 |
| 33. | Coaching-Cum-Guidance Centre for SC/ST, Hissar. | 2 |
| 34. | Regional Vocational Training Institute for Women, Meghalaya. | 2 |

Ministry of Railways

- | | | |
|-----|--|---|
| 35. | Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi. | 2 |
|-----|--|---|

Ministry of Shipping, Road Transport and Highways

- | | | |
|-----|--|---|
| 36. | Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, New Delhi. | 2 |
| 37. | Department of Shipping, New Delhi. | 2 |
| 38. | Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi. | 1 |
| 39. | Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair. | 2 |

Ministry of Textiles

- | | | |
|-----|---|---|
| 40. | Office of the Jute Commissioner, Kolkata. | 2 |
|-----|---|---|

Ministry of Water Resources

- | | | |
|-----|--|---|
| 41. | Ministry of Water Resources, New Delhi | 2 |
|-----|--|---|

ख. अन्य संगठन

योजना आयोग, नई दिल्ली

42. योजना आयोग, नई दिल्ली।

2

ग. सार्वजनिक उपक्रम/समितियां/निगम/सांविधिक निकाय आदि

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

43. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता।

2

44. ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि., डिब्रुगढ़।

1

नागर विमानन मंत्रालय

45. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली।

2

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

46. सेंटर फॉर मेटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पूणे

1

47. सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मुम्बई।

1

रक्षा मंत्रालय

48. मझगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई।

2

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

49. हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम

1

भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय

50. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, न्यूजप्रिंट नगर (कोडायम)

1

श्रम और रोजगार मंत्रालय

51. उच्च प्रशिक्षण संस्थान-इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोसेस इंटरमेटेशन, देहरादून।

1

खान और खनिज मंत्रालय

52. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता।

1

53. मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर।

2

ऊर्जा मंत्रालय

54. सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर।

2

55. टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, ऋषिकेश।

1

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

56. इंडियन अकादमी ऑफ साइंसेस, बंगलौर।

1

57. जवाहर लाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर।

2

B Other Organisations(s)**Planning Commission**

42. Planning Commission, New Delhi.

2

C Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc.**Ministry of Chemicals and Fertilizers**

43. Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata
44. Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Dibrugarh.

2

1

Ministry of Civil Aviation

45. Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy, Rae Bareilly.

2

Ministry of Communication and Information Technology

46. Centre for Materials for Electronics Technology, Pune.
47. Society For Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Mumbai.

1

1

Ministry of Defence

48. Mazagon Dock Limited, Mumbai.

2

Ministry of Health and Family Welfare

49. Hindustan Latex Limited, Thiruvananthapuram.

1

Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises

50. Hindustan Newsprint Limited, Newsprint Nagar (Kottayam)

1

Ministry of Labour and Employment

51. High Training Institute – Electronics and Process Instrumentation, Dehradun.

1

Ministry of Mines and Minerals

52. Hindustan Copper Limited, Kolkata.
53. Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur.

1

2

Ministry of Power

54. Central Power Research Institute, Bangalore.
55. Tehri Hydro Development Corporation, Limited, Rishikesh.

2

1

Ministry of Science and Technology

56. Indian Academy of Sciences, Bangalore.
57. Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore.

1

2

जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

58. मारमागांव पोर्ट ट्रस्ट, गोवा।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

59. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली।

वस्त्र मंत्रालय

60. भारतीय शिल्पकला और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय

61. होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई।

जनजातीय मामले मंत्रालय

62. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, नई दिल्ली।

जल संसाधन मंत्रालय

63. सरदार सरोवर निर्माण सलाहकारी समिति (कंस्ट्रक्शन एडवाइसरी कमेटी), वडोडरा

Ministry of Shipping, Road Transport and Highways

58. Mormugao Port Trust, Goa.

1

Ministry of Social Justice and Empowerment

59. National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, New Delhi.

1

Ministry of Textile

60. Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, New Delhi.

1

Ministry of Tourism and Culture

61. Hotel Corporation of India Limited, Mumbai

1

Ministry of Tribal Affairs

62. Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, New Delhi.

2

Ministry of Water Resources

63. Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara.

2

अनुलग्नक - III

वर्गीकृत अभिलेखों के विवर्गीकरण पर अर्धवार्षिक विवरणियां
भेजने वाले संगठनों की सूची

क. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

क्र. सं.	संगठन का नाम	प्राप्त अर्धवार्षिक विवरणों की सं.
कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय		
1.	केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धामरोड, जिला सूरत।	2
2.	विपणन और निरीक्षण निदेशालय, उपकार्यालय, नासिक रोड।	2
3.	दक्षिणी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान, अनंतपुर (आं. प्र.)।	2
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		
4.	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, नई दिल्ली।	2
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		
5.	पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, नागपुर।	2
6.	आपूर्ति निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली।	2
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		
7.	कार्यालय मुख्य महाडाकपाल, पणजी, गोवा।	2
कम्पनी मामले मंत्रालय		
8.	सरकारी परिसमापक का कार्यालय, मुम्बई उच्च न्यायालय नागपुर।	2
रक्षा मंत्रालय		
9.	रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।	2
10.	गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, नई दिल्ली।	2
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय		
11.	उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़।	2
वित्त मंत्रालय		
12.	आयकर आयुक्त (अपील-24) नई दिल्ली।	2
13.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, दिल्ली-I, नई दिल्ली।	1
14.	आयकर आयुक्त (अपील), जालंधर	2
15.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद।	2
16.	सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, पणजी (गोवा)	2

ANNEXURE - III

**LIST OF ORGANISATIONS WHO HAVE FURNISHED
HALF-YEARLY RETURNS ON DE-CLASSIFICATION
OF CLASSIFIED RECORDS.**

A. Ministries/Departments/Offices

S. No.	Name of Organisations	No. of Half-yearly returns received
--------	-----------------------	-------------------------------------

Ministry of Agriculture

1. Central Cattle Breeding Farm, Dhamrod, District Surat. 2
2. Directorate of Marketing and Inspection, Sub-Office, Nasik Road. 2
3. Southern Region Farm Machinery Training and Testing Institute, Anantapur (AP). 2

Ministry of Chemicals and Fertilizers

4. Department of Chemicals and Petrochemicals, New Delhi. 2

Ministry of Commerce and Industry

5. Petroleum and Explosives Safety Organisations, Nagpur. 2
6. Directorate General of Supplies Disposals, New Delhi. 2

Ministry of Communications and Information Technology

7. Office of the Chief Postmaster General, Panaji, Goa. 2

Ministry of Company Affairs

8. Office of the Official Liquidator, High Court of Mumbai, Nagpur. 2

Ministry of Defence

9. Ministry of Defence, New Delhi. 2
10. Director General of Quality Assurance, New Delhi. 2

Ministry of Environment and Forests

11. Northern Regional Office, Chandigarh. 2

Ministry of Finance

12. Commissioner of Income Tax (Appeal-24), New Delhi. 2
13. Office of the Commissioner of Central Excise, Delhi-I, New Delhi. 1
14. Commission of Income Tax (Appeal), Jalandhar. 2
15. Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Aurangabad. 2
16. Office of the Commissioner of Customs and Central Excise, Panaji, Goa. 2

17.	महा प्रबंधक इंडियन सिक्कोरिटी प्रेस, नासिक रोड।	2
18.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, नागपुर।	2
19.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, रायपुर।	2
20.	स्मगलर फारेन एक्सचेंज मेनिप्यूलेटर (फॉरफीटर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट 1976) एंड नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोफिक सब्सटेंस एक्ट 1985 नई दिल्ली।	1

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

21.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली।	1
22.	बीसीजी टीका प्रयोगशाला, चैन्नई।	2
23.	संयुक्त दिनेशक कार्यालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, जबलपुर (म.प्र.)।	2
24.	कार्यालय अपर निदेशक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली।	2
25.	पोर्ट हेल्थ आर्गेनाइजेशन, मंडपम कैम्प, रामनाथपुरम, तमिलनाडु।	2
26.	राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग महाविद्यालय, नई दिल्ली।	1

गृह मंत्रालय

27.	महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली।	2
28.	महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्यालय, नई दिल्ली।	2
29.	आंचलिक सचिवालय, नई दिल्ली।	1

श्रम और रोजगार मंत्रालय

30.	अखिल भारतीय शल्यचिकीत्सीय और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई।	2
31.	अनु.जा./अन.जनजाति कोचिंग-कम-गाइडेंस सेंटर, हिसार।	1
32.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय (केन्द्रीय), बंगलौर।	2
33.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय (केन्द्रीय), काकीनाडा, कोचीन।	2
34.	विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, भुवनेश्वर।	2
35.	महिला क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, मेघालय।	2

जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

36.	जहाजरानी विभाग, नई दिल्ली।	1
37.	मुख्य अभियंता और प्रशासक कार्यालय, अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, पोर्ट ब्लेयर।	2

रेल मंत्रालय

38.	रेल मंत्रालय (रेलव बोर्ड), नई दिल्ली।	2
-----	---------------------------------------	---

जल संसाधन मंत्रालय

39.	जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली।	2
-----	--------------------------------	---

परमाणु ऊर्जा विभाग

40.	न्यूक्लियर ईंधन कॉम्प्लेक्स, हैदराबाद।	2
-----	--	---

ख. अन्य संगठन

योजना आयोग

41.	योजना आयोग, नई दिल्ली।	2
-----	------------------------	---

17. General Manager, India Security Press, Nasik Road. 2
18. Office of the Commissioner of Central Excise and Customs, Nagpur. 2
19. Office of the Commissioner of Central Excise, Raipur. 2
20. Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property Act, 1976) and Narcotics Drugs and Psychotropic Substance Act, 1985, New Delhi. 1

Ministry of Health and Family Welfare

21. Directorate General of Health Services, New Delhi. 1
22. BCG Vaccine Laboratory, Chennai. 2
23. Office of the Joint Director, Central Government Health Scheme, Jabalpur (MP) 2
24. Office of the Additional Director, Central Government Health Scheme, Mumbai. 2
25. Port Health Organisation, Mandapam Camp, 2
26. Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi. 1

Ministry of Home Affairs

27. Directorate General Border Security Force, New Delhi. 2
28. Office of the Directorate General, Central Reserve Police Force, New Delhi. 2
29. Zonal Council Secretariat, New Delhi. 1

Ministry of Labour and Employment

30. All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai. 2
31. Coaching-Cum-Guidance Centre for SC/ST, Hissar. 1
32. Office of the Regional Labour Commissioner (C), Bangalore. 2
33. Office of the Regional Labour Commissioner (Central), Kakkanad, Cochin. 2
34. Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Bhubaneswar. 2
35. Regional Vocational Training Institute for Women, Meghalaya. 2

Ministry of Shipping, Road Transport and Highways

36. Department of Shipping, New Delhi. 1
37. Office of the Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair. 2

Ministry of Railways

38. Ministry of Railways (Railway Board), New Delhi. 2

Ministry of Water Resources

39. Ministry of Water Resources, New Delhi. 2

Department of Atomic Energy

40. Nuclear Fuel Complex, Hyderabad. 2

B. Other Organisations (s)

Planning Commission, New Delhi.

41. Planning Commission, New Delhi. 2

ग. सार्वजनिक उपक्रम/समितियां/निगम/सांविधिक निकाय आदि

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

42. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता।

2

43. ब्रह्मपुत्र वेली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि., डिब्रूगढ़।

1

नागर विमानन मंत्रालय

44. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, राय बरेली।

2

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

45. सेंटर फॉर मेटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, पूणे

1

46. सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मुंबई।

1

रक्षा मंत्रालय

47. मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई।

1

भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम, मंत्रालय

48. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, न्यूजप्रिंट नगर

1

श्रम और रोजगार मंत्रालय

49. उच्च प्रशिक्षण संस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रोसेस इंस्ट्रुमेंटेशन, देहरादून।

1

खान और खनिज मंत्रालय

50. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कोलकाता।

1

51. मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर।

2

ऊर्जा मंत्रालय

52. सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर।

2

53. टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, ऋषिकेश।

1

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

54. इंडियन अकादमी ऑफ साइंसेस, बंगलौर।

1

55. जवाहर लाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बंगलौर।

2

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

56. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम नई दिल्ली।

1

जनजातीय मामले मंत्रालय

57. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड, नई दिल्ली।

2

जल संसाधन मंत्रालय

58. सरदार सरोवर निर्माण सलाहकारी समिति, (कंस्ट्रक्शन एडवाइसरी कमिटी), वडोडरा

2

59. भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, चंडीगढ़।

1

C. Public Sector Undertakings/ Committees/ Corporations/ Statutory Bodies etc.

Ministry of Chemicals And Fertilizers

- | | | |
|-----|---|---|
| 42. | Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited, Kolkata | 2 |
| 43. | Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited, Dibrugarh. | 1 |

Ministry of Civil Aviation

- | | | |
|-----|---|---|
| 44. | Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy, Rae Bareli. | 2 |
|-----|---|---|

Ministry of Communication and Information Technology

- | | | |
|-----|--|---|
| 45. | Centre for Materials for Electronics Technology, Pune. | 1 |
| 46. | Society For Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), Mumbai. | 1 |

Ministry of Defence

- | | | |
|-----|-------------------------------|---|
| 47. | Mazagon Dock Limited, Mumbai. | 1 |
|-----|-------------------------------|---|

Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises

- | | | |
|-----|---|---|
| 48. | Hindustan Newsprint Limited, Newsprint Nagar. | 1 |
|-----|---|---|

Ministry of Labour and Employment

- | | | |
|-----|--|---|
| 49. | High Training Institute – Electronics and Process Instrumentation, Dehradun. | 1 |
|-----|--|---|

Ministry of Mines and Minerals

- | | | |
|-----|--|---|
| 50. | Hindustan Copper Limited, Kolkata. | 1 |
| 51. | Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur. | 2 |

Ministry of Power

- | | | |
|-----|--|---|
| 52. | Central Power Research Institute, Bangalore. | 2 |
| 53. | Tehri Hydro Development Corporation, Limited, Rishikesh. | 1 |

Ministry of Science and Technology

- | | | |
|-----|--|---|
| 54. | Indian Academy of Sciences, Bangalore. | 1 |
| 55. | Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bangalore. | 2 |

Ministry of Social Justice and Empowerment

- | | | |
|-----|--|---|
| 56. | National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation, New Delhi. | 1 |
|-----|--|---|

Ministry of Tribal Affairs

- | | | |
|-----|---|---|
| 57. | Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited, New Delhi. | 2 |
|-----|---|---|

Ministry of Water Resources

- | | | |
|-----|---|---|
| 58. | Sardar Sarovar Construction Advisory Committee, Vadodara. | 2 |
| 59. | Bhakhra Beas Management Board, Chandigarh | 1 |

अभिलेख प्रबंधन पर पांच दिवसीय अभिविन्यास पाठ्यक्रम में
शामिल हुए विभागीय अभिलेख अधिकारियों के नाम

क्रम सं.	विभागीय अभिलेख अधिकारी का नाम	प्रायोजक संस्था का नाम (अंग्रेजी वर्णानुक्रम में)
1.	शेखर, पी. चन्द्र	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भोपाल
2.	तोमर, अशोक कुमार	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भोपाल
3.	चक्रवर्ती, नयन अनंदा	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जयपुर
4.	सिंह, बी आर	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जयपुर
5.	सिन्हा, बिप्लव	भारतीय डायनामिक्स लि., हैदराबाद
6.	यादवैया, डी.	भारतीय डायनामिक्स लि., हैदराबाद
7.	राय. शौमिक एस.	भारत इलेक्ट्रानिक्स लि. मुंबई
8.	शर्मा, जे.पी.	भारत संचार निगम लि., भोपाल
9.	रे, सुब्रत कुमार	बीको लावरी लि., कोलकाता
10.	वंजनी राजेश	ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, दूरदर्शन केंद्र, भोपाल
11.	विस्वास, आलोक कुमार	सीमेंट कॉरपोरेशन आफ इंडिया लि., नई दिल्ली
12.	पावनानी, चतन	जनगणना आपरेशनल, जयपुर
13.	यशकर, के	सैंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, मुंबई
14.	जयपाल, राम रख	सैंट्रल एक्साइज कमीशनरेट, जयपुर
15.	नारायण, राम	केंद्रीय भूजल बोर्ड, जयपुर
16.	बोकरे, एम.डी.	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल
17.	पात्रा, स्मरजीत	केंद्रीय ऊर्जा अनुसंधान संसाधन बंगलोर
18.	गुरुराज, आर.एस.ए.	केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, भोपाल
19.	पांडे, राकेश	केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, माउंटआबू (राजस्थान)
20.	मोहंती श्रीनिवास	सिविल लेखा परीक्षा (उड़ीसा) भुवनेश्वर
21.	कार्तिकेयन, आर	सी.एल.ओ.वी.डी. आवडी चेन्नई
22.	सिवास्वामी. के.	सी.एल.ओ.वी.डी. आवडी चेन्नई
23.	शिरसात, आर.एस.	कोच रिहॅवलिटेशन वर्कशॉप, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, भोपाल
24.	सिजेटिया चंददीप	कस्टम एंड सेंट्रल एक्साइज, राजस्व विभाग, भोपाल
25.	चौधरी, कुमार चंद्र	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ब्रालासोर
26.	कुमार, नरेंद्र	कृषि और सहकारिता विभाग, जयपुर

ANNEXURE- IV

**NAMES OF DEPARTMENTAL RECORDS OFFICERS
WHO HAVE ATTENDED FIVE-DAY ORIENTATION
COURSE ON RECORDS MANAGEMENT**

S.No.	Name of DRO	Name of the Sponsoring Authority (in alphabetical order)
1.	Sekhar, P. Chandra	Airports Authority of India, Bhopal
2.	Tomar, Ashok Kumar	Airports Authority of India, Bhopal.
3.	Chakroborty, Nayan Ananda	Archaeological Survey of India, Jaipur.
4.	Singh, B.R.	Archaeological Survey of India, Jaipur.
5.	Sinha, Biplab	Bharat Dynamics Limited, Hyderabad.
6.	Yadaiah, D.	Bharat Dynamics Limited, Hyderabad.
7.	Roy, Soumick S.	Bharat Electronics Limited, Mumbai.
8.	Sharma, J.P.	Bharat Sanchar Nigam Ltd., Bhopal.
9.	Ray, Subrat Kumar	Biecco Lawrie Limited, Kolkata.
10.	Vanjani, Rajesh	Broadcasting Corporation of India, Doordarshan Kendra, Bhopal.
11.	Biswas, Alok Kumar	Cement Corporation of India Limited, New Delhi.
12.	Pawnani, Chatan	Census Operational, Jaipur.
13.	Yashkar, K.	Central Board of Film Certification, Mumbai.
14.	Jaipal, Ram Rakh	Central Excise Comissionerate, Jaipur.
15.	Narain, Ram	Central Ground Water Board, Jaipur.
16.	Bokre, M.D.	Central Pollution Control Board, Bhopal.
17.	Patra, Smarajit	Central Power Research Institute, Bangalore
18.	Gururaj, R.S.A.	Central Reserve Police Force, Bhopal.
19.	Pandey, Rakesh	Central Reserve Police Force, Mount Abu (Rajasthan)
20.	Mohanty, Srinibas	Civil Audit Orissa, Bhubanwsvar
21.	Karthikeyan, R.	CLOVAD, Avadi, Chennai.
22.	Sivaswamy, K.	CLOVAD, Avadi, Chennai.
23.	Shirsat, R.S.	Coach Rehabilitation Workshop, West Central Railway, Bhopal.
24.	Sijeria, Deep Chand	Customs and Central Excise, Department of Revenue, Bhopal.
25.	Chaudhury, Kumar Chandra	Defence Research and Development Organisations, Balasore.
26.	Kumar, Narender	Department of Agriculture and Cooperation, Jaipur

27. वंशीस्वरन, एम.वी.	नाभिकीय ऊर्जा विभाग, भुवनेश्वर
28. जार्ज, सैमुअल	शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
29. वाजी-उद्-दीन	विस्फोटक विभाग, जयपुर
30. श्रीवास्तव. वी.एस.	राजस्व विभाग, सी सी आई 'टी, भोपाल
31. मिश्रा आर. के.	जनगणना ऑपरेशन निदेशालय, भोपाल
32. साहू मनमोहन	जनगणना ऑपरेशन निदेशालय, भुवनेश्वर
33. माधवन, पी.	फील्ड पब्लिसिटी निदेशालय, जयपुर
34. सापकल, आर.ओ.	गन्ना विभाग निदेशालय, लखनऊ
35. राठौर, के.एस.	दूरदर्शन केंद्र, जयपुर
36. मंडल, पी.बी.	ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर
37. टी. उदय कुमार	इंजीनियर (ई एम आई) रिकार्ड, रक्षा मंत्रालय, सिकंदराबाद (आं.प्र.)
38. डे, सकीना	फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, कोलकाता
39. वशिष्ठ, राजेंद्र प्रसाद	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर लि., कोलकाता
40. बोर्दे, शशिकांत	भारतीय जनरल बीमा निगम, मुम्बई
41. सिंह, किशन	भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जयपुर
42. सोनी, आर. एस.	भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जयपुर
43. शर्मा, एस.दास	भारत सरकार स्टेशनरी कार्यालय, कोलकाता
44. बातव एस. के.	इंडियन ब्यूरो आफ माईन्स, नागपुर
45. नायर पी.एल.एस.	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल
46. सोनी, आठ के	इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल
47. मोहंती, दुर्गा चरण	जन शिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर
48. राव, ए. बालाजी	केंद्रीय विद्यालय संगठन, भोपाल
49. दास, एम.के.	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता
50. श्रीवास्तव, आर.आर.	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता
51. ठाकुर, एस.	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, कोलकाता
52. टोपो, बीबी	मीकॉन लि., रांची
53. शर्मा, पी.एस.	राष्ट्रीय सेवा योजना (क्षेत्रीय केंद्र) युवक मामले और खेल मंत्रालय, जयपुर
54. झा, विनोद कुमार	एमएमटीसी लि., कोलकाता
55. श्रद्धी, टी. पर्दा	एमएमटीसी लि., विशाखापट्टनम
56. लागू मराजू, के	एमएमटीसी लि., कर्नाटक
57. अमीनचंद	एमएमटीसी लि., नई दिल्ली
58. चतुर्वेदी, जितेंद्र	एमएमटीसी लि., नई दिल्ली
59. बिस्वाल, रीता	नेशनल एल्यूमिनियम कं. लि., भुवनेश्वर
60. दास, जगत बिहारी	नेशनल एल्यूमिनियम कं. लि., कोरापुत (उड़ीसा)
61. रविंद्रनाथ, कदारला	नेशनल एल्यूमिनियम कं. लि., कोरापुत (उड़ीसा)

27. Vanseeswaran, M.V., Department of Atomic Energy, Bhubaneswar.
28. George, Samuel Department of Education, Regional Office, Bhopal.
29. Waji-Ud-Din, Department of Explosives, Jaipur.
30. Srivastava, V.S. Department of Revenue, Office of the CCIT, Bhopal.
31. Mishra, R.K. Directorate of Census Operations, Bhopal
32. Sahoo, Manmohan Directorate of Census Operations, Bhubaneswar.
33. Madhavan, P. Directorate of Field Publicity, Jaipur.
34. Sapkal, R.O. Directorate of Sugarcane Department, Lucknow.
35. Rathore, K.S. Doordarshan Kendra, Jaipur.
36. Mondal, P.B. East Coast Railway, Bhubaneswar.
37. T. Uday Kumar Engineer (EME) Records, Ministry of Defence, Secunderabad (AP)
38. Dey, Sakina Falta Export Processing Zone, Kolkata.
39. Vashista, Rajender Prasad Garden Reach Shipbuilders and Engineers Ltd., Kolkata.
40. Bondre, Shashikant General Insurance Corporation of India, Mumbai.
41. Singh, Kishan Geological Survey of India, Jaipur.
42. Soni, R.S. Geological Survey of India, Jaipur.
43. Sharma, S. Das Government of India Stationery Office, Kolkata.
44. Batav, S.K. Indian Bureau of Mines, Nagpur.
45. Nair, P.L.S. Indian Institute of Forest Management, Bhopal.
46. Soni, R.K. Indira Gandhi National Open University Bhopal.
47. Mohanty, Durga Charan Jan Shikshan Sansthan, Bhubaneswar.
48. Rao, A. Balaji Kendriya Vidyalaya Sangathan, Bhopal.
49. Das, M.K. Kolkata Port Trust, Kolkata.
50. Srivastava, R.R. Kolkata Port Trust, Kolkata.
51. Thakur, S. Kolkata Port Trust, Kolkata.
52. Toppo, B.B. MECON Limited, Ranchi.
53. Sharma, P.S. National Service Scheme (Regional Centre), Ministry of Youth Affairs and Sports, Jaipur.
54. Jha, Binod Kumar MMTC Limited, Kolkata.
55. Saradhi, T. Pardha MMTC Limited, Visakhapatnam
56. Lagumaraju, K. MMTC Limited, Karnataka.
57. Aminchand, MMTC Limited, New Delhi.
58. Chaturvedi, Jitender MMTC Limited, New Delhi.
59. Biswal, Rita National Aluminium Company Limited, Bhubaneswar.
60. Dash, Jagat Bihari National Aluminium Company Limited, Koraput (Orissa).
61. Ravindranath, Kadarla National Aluminium Company Limited, Koraput (Orissa)

62	डोब्रीयाल, एस.पी.	नेशनल फर्टीलाइजर्स लि. नोएडा
63	सिंह, अनिल कुमार	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रीक पावर का. लि., फरीदाबाद
64	काक, सुचीता	नेशनल इनफोर्मेटिक्स सेंटर, भोपाल
65	मेशाराम, धनराज	नेशनल इनफोर्मेटिक्स सेंटर, भोपाल
66	मिश्रा, केदार नारायण	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउण्ड्री एंड फार्ज टेक्नोलॉजी, हटिया, रांची
67	पाठक, संजय	महालेखागार कार्यालय (कार्य एवं प्राप्ति के लेखापरीक्षा), भोपाल
68	तिवारी, एस.के.	महालेखाकार कार्यालय, (ए/ई)-I, भोपाल
69	मीना, एम.एल.	अपर महा सर्वेक्षण कार्यालय जयपुर
70	सिंह, एस.के.	खादी एवं ग्राम उद्योग आयुक्त कार्यालय, मुंबई
71	महतो, आर.सी.	मुख्य कार्मिक उपाधिकारी कार्यालय (डब्ल्यू) खडगपुर
72	साहा, ए.के.	मुख्य कार्मिक उपाधिकारी कार्यालय (डब्ल्यू) खडगपुर
73	गोपालकृष्णन, बी.एस.	विदेशी व्यापार संयुक्त महानिदेशक कार्यालय, भोपाल
74	मधुसूदनन, पी.आर.	विदेशी व्यापार संयुक्त महानिदेशक कार्यालय, भोपाल
75	कुमार, नवीन	आर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री, चेन्नई
76	नायक, जयाकृष्णा	उड़ीसा जियो - स्पाशियल डाटा सेंटर, भारतय सर्वेक्षण, भुवनेश्वर
77	दास, गंगाधर	प्रसार भारती (ब्रांडकास्टिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) ऑल इंडिया रेडियो, कटक, उड़ीसा
78	दास, संजीव कुमार	क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (एनसीईआरटी), भोपाल
79	धीर, राकेश	क्षेत्रीय मेट्रोलोजिकल सेंटर, नई दिल्ली
80	प्रसाद, ज्वाला	क्षेत्रीय मेट्रोलोजिकल सेंटर, नई दिल्ली
81	सिंह, वी.री.	क्षेत्रीय मेट्रोलोजिकल सेंटर, नई दिल्ली
82	इंद्रेशा, जी.एन.	रीजनल म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री, भुवनेश्वर
83	मजूमदार, एस.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल
84	श्रीवास्तव, पी.के.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल
85	शर्मा, गिरराज प्रसाद	सांबर साल्ट्स लि., जयपुर (राजस्थान)
86	महापात्रा, आर.एन.	साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच, कोलकाता
87	भट्टाचार्य, एस.	साउथ ईस्टर्न रेलवे, इंजीनियर्स वर्क्स, खडगपुर
88	पापाराव, वाई	साउथ ईस्टर्न रेलवे, वेगनशाप, खडगपुर
89	लोकवाणी, सुरेश कुमार	सबसीडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जयपुर
90	बादी, कपिलेश्वर	वोकेशनल रिहैबीलिटेशन, सेंटर फॉर हैंडीकेप्ड, भुवनेश्वर
91	सोनी, अनिल कुमार	बेतार मानिट्रिंग संगठन, भोपाल

62.	Dobriyal, S.P.	National Fertilizers Limited, Noida.
63.	Singh, Anil Kumar	National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad.
64.	Kak, Sucheeta	National Informatics Centre, Bhopal.
65.	Meshram, Dhanraj	National Informatics Centre, Bhopal.
66.	Mishra, Kedar Narayan	National Institute of Foundry and Forge Technology, Hatia, Ranchi. (Jharkhand)
67.	Pathak, Sanjay	Office of the AG, (Work and Receipt Audit), Bhopal.
68.	Tiwari, S.K.	Office of the Accountant General, (A/E)-I, Bhopal.
69.	Meena, M.L.	Office of the Additional Surveyor General, Jaipur.
70.	Singh, S.K.	Office of the Commissioner for Khadi and Village Industries, Mumbai.
71.	Mahato, R.C.	Office of the Deputy Chief Personnel Officer (W), Kharagpur.
72.	Saha, A.K.	Office of the Deputy Chief Personnel Officer (W), Kharagpur.
73.	Gopalkrishnan, B.S.	Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Bhopal.
74.	Madhusoodanan, P.R.	Office of the Joint Director General of Foreign Trade, Bhopal.
75.	Kumar, Naveen	Ordnance Clothing Factory, Chennai.
76.	Nayak, Jayakrishna	Orissa Geo-Spatial Data Centre, Survey of India, Bhubaneswar.
77.	Das, Gangadhar	Prasar Bharati, (Broadcasting Corporation of India) All India Radio, Cuttack, Orissa.
78.	Das, Sanjib Kumar	Regional Institute of Education, (NCERT), Bhopal.
79.	Dhir, Rakesh	Regional Meteorological Centre, New Delhi.
80.	Prasad, Jwala	Regional Meteorological Centre, New Delhi.
81.	Singh, Viri	Regional Meteorological Centre, New Delhi.
82.	Indresha, G.N.	Regional Museum of Natural History, Bhubaneswar.
83.	Mazumdar, S.	Regional Research Laboratory, Bhopal.
84.	Srivastava, P.K.	Regional Research Laboratory, Bhopal.
85.	Sharma, Girraj Prasad	Sambhar Salts Limited, Jaipur (Rajasthan).
86.	Mahapatra, R.N.	South Eastern Railway Garden Reach, Kolkata.
87.	Bhattacharjee, S.	South Eastern Railway, Engineers Works, Kharagpur.
88.	Paparao, Y.	South Eastern Railway, Wagon Shop, Kharagpur.
89.	Lokwani, Suresh Kumar	Subsidiary Intelligence Bureau, Jaipur.
90.	Badi, Kapileswar	Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped, Bhubaneswar.
91.	Soni, Anil Kumar	Wireless Monitoring Organisation, Bhopal.

राष्ट्रीय अभिलेखागार
जनपथ, नई दिल्ली-110001



NATIONAL ARCHIVES OF INDIA
JANPATH, NEW DELHI - 110001

email : archives@nic.in
website : www.nationalarchives.gov.in